तृतीय माला, खंड 45, अंक 11 मंगलवार, 31 अगस्त, 1965/9 भाद्र, 1887 (शक)
Third Series, Vol. XLV, No. 11 Tuesday, August 31, 1965/Bhadra 9, 1887 (Saka

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र]

Twelfth Session

...ation Unit
1-6-92
20-12-83
...ment Library

[खंड 45 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 11—मंगलवार, 31 अगस्त, 1965/9 भाद्र, 1887 (शक)

No. 11—Tuesday, August 31, 1965/Bhadra 9, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
299	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents in Delhi.	1109–11
300	अमरीका से उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers from U.S.A.	1111–13
301	खाद उत्पादन	Production of Manures	1113–19
302	कृषि उत्पादन बोर्ड	Agricultural Production Board	1119–20
303	चीनी का उत्पादन	Production of Sugar	1121–24
304	कीटनाशी दवाइयों का विमान द्वारा छिड़का जाना	Aerial Spraying of Pesticides	1124–26
305	केन्द्रीय वन बोर्ड	Central Board of Forestry	1126–27
306	गेहूं के जोन	Wheat Zones	1127–28

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
307	चीनी मूल्य जांच आयोग	Sugar Price Enquiry Commission	1128
308	नई चीनी मिलें	New Sugar Factories	1129
309	कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना	Second Shipyard at Cochin	1129
310	दिल्ली में अंधों के लिये संस्था	Institution for the Blind in Delhi	1130
311	समुद्र तट पर तलाश तथा बचाव कार्यों के लिये केन्द्रीय संगठन	Central Organisation for Search and Rescue Operations on Sea Coast	1130
312	प्रदीप बन्दरगाह	Pradeep Port	1130–31
313	लाख विकास निगम	Lac Development Corporation	1131
314	खाद्यान्नों का समाहार	Procurement of Foodgrains	1131–32
315	कृषिजन्य पदार्थों के मूल्य सम्बन्धी नीति	Policy on Farm Prices	1132
316	कलकत्ता दुग्ध योजना	Calcutta Milk Scheme	1132
317	अन्तर्राज्यिक सड़क परिवहन निगम	Inter-State Road Transport Corporation	1133

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
318	देहाती सड़कों के विकास के लिये डीज़ल तेल पर अधिभार	Surcharge on Diesel oil for Development of Rural Roads	1133–34
319	दिल्ली के लाल किले में प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम	Light and Songs Programme at Red Fort, Delhi	1134
320	गेहूं के दाम	Prices of Wheat	1134
321	चीनी मिलों का आधुनिक ढंग का बनाया जाना	Modernisation of Sugar Mills	1135
322	दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी भण्डार	Delhi State Central Co-operative Stores	1135
323	केरल में राशन-व्यवस्था	Rationing in Kerala	1135
324	खाद्य नीति	Food Policy	1136
325	कोचीन पत्तन में जहाजों से अनाज उतारना	Unloading of Food Ships at Cochin Port	1136
326	गोआ में आम चुनाव	General Elections in Goa	1137
327	कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना	Second Shipyard at Cochin	1137
328	खरीफ की उपज	Kharif Production	1137–38

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1071	पश्चिमी तट नहर	West Coast Canal	1138
1072	दिल्ली में हरिजनों के लिये मकान	Houses for Harijans in Delhi.	1138–39
1073	पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas	1139–40
1074	काजू का उत्पादन तथा निर्यात	Production and Export of Cashew-nuts	1140
1075	इलायची का उत्पादन	Production of Cardamom	1141
1076	केरल में जापानी पोदीने की खेती	Cultivation of Japanese Mint in Kerala	1141–42
1077	भू-संरक्षण	Soil Conservation	1142
1078	केरल के वनों से किसानों की बेदखली	Eviction of Peasants from Forests in Kerala	1143
1079	चम्बल घाटी के लिये योजना	Plan for Chambal Ravines	1143
1080	केरल में दस्तकारी का विकास	Development of Handicrafts in Kerala	1143–45
1081	केरल के दस्तकार	Handicraft Artisans of Kerala	1145
1082	राजस्थान में सामुदायिक विकास खण्ड	Community Development Blocks in Rajasthan	1146
1083	पार्श्विक सड़क विकास योजना	Lateral Road Development Scheme.	1146

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1084	बम्बई बन्दरगाह पर जहाज़ों से माल का उतारा जाना	Unloading of Cargo Ships at Bombay Port	1146–47
1085	कुक्कुट परिष्करण कारखाना	Poultry Processing Plant	1147–48
1086	लघु सिंचाई परियोजनायें	Minor Irrigation Projects	1148
1087	भोजन-व्यवस्था प्रौद्योगिकी तथा व्यावहारिक पोषाहार संस्था	Institute of Catering Technology and Applied Nutrition	1148–49
1088	उपभोक्ता सहकारी समितियां	Consumers' Cooperatives	1149
1089	प्रदीप बन्दरगाह	Pradeep Port	1149–50
1090	राजस्थान के भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण	Survey of Rajasthan Underground Water Resources	1150–51
1091	कृषि जन्य उत्पादन	Agricultural Production	1151
1092	भिखारियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना	Migration of Beggars	1151
1093	दिल्ली में लगान देने से छूट	Exemption from Payment of Land Revenue in Delhi	1152
1094	महानगरों के प्रयोजनार्थ दुमंजिलो बसों के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Double-Decker Buses for Metropolitan Cities	1152
1095	थुम्बा से छोड़े गये राकेट	Rockets Launched from Thumba	1152–53
1096	सघन क्षेत्र केन्द्र	Intensive Area Centres	1153
1097	अदालतों में दलाल	Touts in Courts	1153
1098	उत्तरी बिहार में हवाई अड्डा	Aerodrome in North Bihar	1154
1099	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनरीक्षण	Revision of Lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	1154
1100	एयर इण्डिया की मास्को-लन्दन विमान सेवायें	Moscow-London Air India Services	1154–55
1101	होटल विकास ऋण, निधि	Hotel Development Loan Fund	1155
1102	पटसन की खेती के लिये सहायता	Assistance for Cultivation of Jute	1155
1104	भारतीय दण्ड संहिता	Indian Penal Code	1156
1105	पंजाब का चीनी का अभ्यंश	Sugar Quota for Punjab	1156
1106	पर्यटन	Tourism	1156–58
1107	रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी	River Steam Navigation Co. Ltd.	1158
1108	पश्चिम बंगाल तथा बिहार में पटसन की खेती	Jute Cultivation in West Bengal, Bihar	1158
1109	उत्तर प्रदेश में दस्तकारी उद्योग	Handicrafts in Uttar Pradesh	1158–59
1110	केन्द्रीय सड़क उपकर निधि	Central Road Fund	1159
1111	उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory in U.P.	1159

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1112	धान की खेती का जापानी तरीका	Japanese Method of Paddy Cultivation	1159-60
1113	कृषि विभाग में जलप्रयोग तथा प्रबन्ध एकक की स्थापना	Setting up of Water Utilisation and Management Cell in the Department of Agriculture	1160-61
1114	पर्यटन का बढ़ावा देने के लिये निगमें	Corporations to Develop Tourism	1161
1115	सड़क बनाने की मशीनें	Road Making Machinery	1161-62
1116	केरल में मत्स्यपालन निगम	Fisheries Corporation in Kerala	1162
1117	पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां	Colonies for S.C. and S.T. in Punjab	1162
1118	पंजाब में अम्बर चर्खा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	Ambar Charkha Training Courses in Punjab	1162
1119	पंजाब में बागबानी का विकास	Development of Horticulture in Punjab	1163
1120	कृषि का विकास	Development of Agriculture	1163
1121	पश्चिम बंगाल में सहकारी चावल मिल	Co-operative Rice Mill in West Bengal	1163-64
1122	पिछड़े वर्ग	Backward Classes	1164-65
1123	परिवहन सम्बन्धी योजना	Transport Plan	1165
1124	मृत्यु दण्ड	Capital Punishment	1165
1125	चावल की बोरियों का खराब हो जाना	Damage to Rice Bags	1165-67
1126	बेतुल (म० प्र०) में लौगिंग प्रशिक्षण केन्द्र	Logging Training Centre at Betul (M.P.)	1167
1127	दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	International Airport in Delhi	1167
1128	केरल में किसानों को सहायता	Help to Agriculturists in Kerala	1168
1129	भारतीय खाद्य निगम	Food Corporation of India	1168
1130	बीज वर्धन कार्यक्रम	Seed Multiplication Programme	1169-70
1131	धान की अधिकतम कीमत	Maximum Prices of Paddy	1170
1132	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का कलकत्ता स्थित बेस	I.A.C. Base at Calcutta	1170-71
1133	पैकेज प्रोग्राम	Package Programme	1171-72
1134	मैसूर में पर्यटन	Tourism in Mysore	1172
1135	कृषि आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र	Agro-Economic Research Centres	1172
1136	होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर पुल	Bridge on Narmada River at Hoshangabad	1172-73

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1137	दिल्ली के चिड़ियाघर में "पॉयलट गेम फार्मस"	Pilot Game Farms in Delhi Zoo .	1173
1138	चिड़ियाघर अध्ययन दल (सर्किल)	Zoological Study Circle .	1173
1139	केरल में मत्स्यपालन उद्योग का विकास	Development on Fisheries in Kerala .	1173
1140	केरल में पर्यटन	Tourism in Kerala .	1174
1141	सहकारिता कानून	Co-operation Laws . .	1174
1142	राज्यों में परिसीमन आयोग की बैठकें	Delimitation Commission's Sittings in States	1174
1143	खादी और ग्रामोद्योग आयोग	Khadi and Village Industries Commission	1175
1144	गौरिबिदनूर में चीनी मिल	Sugar Factory at Gauribidanur .	1175
1145	कपास की पैदावार	Production of Cotton . .	1176
1146	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की सहकारी बचत तथा ऋण समिति सीमित, नई दिल्ली	Ministry of Food and Agriculture Co-operative Thrift and Credit Society Ltd., New Delhi . .	1176–77
1147	फलों की खपत	Consumption of Fruit . . .	1177
1148	तंजौर में कृषि औजार कारखाना	Agricultural Implements Work, Tanjore	1177
1149	बाजरे की मिलीजुली (हाइब्रिड) खेती	Hybrid Cultivation of Bajra .	1178
1150	प्रायोगिक दूध योजनायें	Pilot Milk Schemes . .	1178
1151	पड़ोस के राज्यों से दूध इकट्ठा करना	Milk Procurement from Neighbouring States	1179
1152	बाल कल्याण	Child Welfare . .	1179
1153	हवाई अड्डों पर धावन मार्ग	Runways at Aerodromes .	1179–80
1154	पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का आधुनिकीकरण	Rationalisation of Sugar Mills in Eastern U.P. .	1180
1155	खाद्य पालीटेकनिक	Food Polytechnics .	1180
1156	खड़ी फसलों की जमानत पर ऋण	Credit Against Standing Crops .	1180–81
1157	कृषि कार्यक्रम	Agricultural Programme	1181
1158	केरल नौपरिवहन निगम	Kerala Water Transport Corporation	1181
1159	गरीब लोगों को कानूनी सहायता	Legal Aid to Poorer Sections	1181
1160	हरिजनों के लिये मकान	Houses for Harijans . . .	1182
1161	बड़े बन्दरगाहों में आयात किये गये सामान की चोरी	Theft of Cargo Imports at Major Ports	1182
1162	जहाजों का खुर्चा जाना (स्क्रेपिंक)	Scrapping of Ships	1182

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1163	पंचायतों द्वारा लगान की वसूली	Collection of Land Revenue by Panchayats	1183
1164	कलकत्ता रोजगार दफ्तर में दर्ज विकलांग व्यक्ति	Physically Handicapped Persons Registered in Calcutta Employment Exchange	1183
1165	भूमिहीन लोगों के लिये भूमि	Land to Landless People	1183–84
1166	इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की अलाभप्रद विमान सेवायें	Unremunerative I.A.C. Routes	1184–85
1167	कोचीन बन्दरगाह में जहाजों की टक्कर	Collision of Ships at Cochin Harbour	1185
1168	पटसन की फैसल	Jute Crop	1185
1169	'जवाहर' जहाज का निर्माण	Construction of Ship 'Jawahar'	1185–86
1170	मुर्गियों के दाने के लिये मक्का	Maize for Poultry Feed	1186
1171	राजस्थान रेगिस्तान का विकास	Development of Rajasthan and Kutch Areas	1186–87
1172	कोचीन हवाई अड्डा	Cochin Aerodrome	1187
1173	खाद्य विभाग के कर्मचारी	Employees of Food Department	1187
1174	मांडुवाडीह केन्द्रीय खाद्य भंडार	Manduadih Central Food Storage	1187
1175	सेवा निवृत्ति/परिवार पेंशन	Retirement/Family Pension	1188
1176	खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया अनाज	Procurement of Wheat	1188
1177	गेहूं का आयात	Import of Wheat	1188
1178	अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में संशोधन	Revision of Lists of S.C. & S.T.	1189
1179	राज्य भविष्य निधि योजना	State Provident Fund Scheme	1189
1180	चलते-फिरते खाद्य तथा पोषाहार विस्तार यूनिटें	Mobile Food and Nutrition Extension Units	1190
1181	दिल्ली में कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा के औषधालय	Employees Health Insurance Dispensaries in Delhi	1190
1182	सामुदायिक विकास खण्ड	C.D. Blocks	1191
1183	वनस्पति बनाने में सोयाबीन तेल का प्रयोग	Use of Soya Bean Oil in the Manufacture of Vanaspati	1191
1184	वनस्पति घी में रंग मिलाना	Colourisation of Vanaspati	1191
1185	मूंगफली तथा मूंगफली के तेल के दाम	Prices of Groundnut and Groundnut Oil	1191–92
1186	फीरोजपुर जिले (पंजाब) में हैलीकाप्टर दूर्घटना	Crash of Helicopter in Ferozepore Distt. (Punjab)	1192
1187	ढोर बीमा	Cattle Insurance	1192

पृष्ठ

विषय	SUBJECT	PAGES
स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में—	Re: Motions for Adjournment and Calling Attention Notices—	
इम्फाल में खाद्य स्थिति तथा वहां पर गोली चलाया जाना	Food situation in Imphal and the firing there . . .	1193-1200
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर एक अज्ञात विमान की उड़ान	Flight of an unidentified aircraft over West Coast of Maharashtra	1200-03
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	1203-04
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल्वे), 1965-66	Demands for Supplementary Grants (Railways), 1965-66	1204
सरकार (दुष्कृति के लिये दायित्व) विधेयक—पुरःस्थापित	Government (Liability in Tort) Bill —Introduced	1204
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1965—	Finance (No. 2) Bill, 1965—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्रीमती रेणुका राय	Shrimati Renuka Ray . .	1205
श्री किशन पटनायक	Shri Kishen Pattnayak . .	1205-06
श्री कमलनयन बजाज	,, Kamalnayan Bajaj . .	1206-07
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi .	1207-08
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey .	1208-09
श्री जयदेव सिंह सिद्धान्ती	,, Jagdev Singh Siddhanti .	1209
श्री काशी नाथ पांडें	,, K. N. Pande. . . .	1209-10
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	,, T. T. Krishnamachari .	1210-13
खण्ड 2 से 25	Clauses 2 to 25 .	1213-21

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 31 अगस्त, 1965/9 भाद्र, 1887 (शक)
Tuesday, August 31, 1965/Bhadra 9, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

+

*299. **श्री वारियर :**
श्री प्रभात कार :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री बागड़ी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सड़कों की दुर्घटनायें बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना के सम्बन्ध में 27 अप्रैल, 1965 को मौखिक प्रश्न संख्या 1032 के उत्तर में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया था ।

श्री वारियर : इस आधार पर कि दिल्ली की सड़कों पर दुर्घटनायें बढ़ रही है और कम नहीं हो रही है क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कोई विशेष कदम उठाये हैं ?

श्री राज बहादुर : जो कदम उठाये गये हैं उनमें से कुछ विवरण में बता दिए गए हैं । विशेष कदम सड़कों को चौड़ा करना, सड़क के बारे में लोगो को शिक्षा देना, चलते फिरते यातायात, पैट्रौल, आदि को, सुदृढ़ करना है ।

श्री वारियर : क्या दिल्ली की मुख्य सड़कें अभी भी कहीं कहीं पर इतनी कम चौड़ी हैं जैसे सफदरजंग हवाई अड्डा तथा अन्य स्थान जहां गंभीर दुर्घटनायें अक्सर होती रहती हैं ? यदि हां, तो इन सड़कों को चौड़ा करने में सरकार विलम्ब क्यों कर रही हैं ?

श्री राज बहादुर : हमने एक कार्यक्रम बनाया है और कुछ क़दम उठाये जा चुके हैं। हमने कई सड़कों को चौड़ा कर दिया है। इसके अतिरिक्त कई कम चौड़ी तथा भीड़भाड़ वाली सड़कों को भारी गाड़ियों के लिए बन्द कर दिया गया है।

श्री विश्वनाथ राय : क्या विवरण में बताये गये कदमों से दुर्घटनायें कम हुई हैं? यदि हां, तो इस दिशा में और क्या कदम उठाने का विचार हैं?

श्री राज बहादुर : हमने कुछ कदम उठाये हैं और एक सीमा तक उनका असर अच्छा हुआ है।

Shri Bagri : In view of the fact that the number of accidents in Delhi have increased since 1961-62 by 1000 and the same percentage of other crises have also increased. May I know whether Government propose to change the structure of Police in Delhi due to its incapability in reducing the number of accidents etc.?

Shri Raj Bahadur : Hon. Member must have seen that the number of accidents in 1962 was 7270 and now it is 8004. Side by side our population have also increased which was 29 Lakhs and now it is 31·6 Lakhs. In these two years the number of vehicles in Delhi have also increased from 60,300 to 89,400. In this way the number of vehicles have increased by 113 and population have increased by 2 and half Lakhs. When there is increase in population and increase in the vehicles it is natural to have more accidents.

Shri Bagri : What I meant was that the increase in the number of accidents is due to incapability of Police.

Mr. Speaker : No. This is not the case. The number of vehicles have increased and the population have also increased.

श्री कपूर सिंह : प्रश्न संख्या 1032 के उत्तर में 27 अप्रैल को पटल पर रखे गये एक विवरण में बताया गया था कि :

"समझदारी के साथ गाड़ी चलाने के बारे में डी० टी० यू० के बस ड्राइवरों को विशेष तौर से अवगत करा दिया गया है"।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली में दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बस ड्राइवरों की अनभिज्ञता नहीं हैं अपितु परिवहन बस ड्राइवरों तथा स्कूटर ड्राइवरों द्वारा सड़क अनुशासन को न मानना है तथा यदि हां, तो इस अनुशासन-हीनता को दूर करने के लिये सरकार का क्या विशेष कदम उठाने का विचार है?

श्री राज बहादुर : यह सभी दुर्घटनायें अनभिज्ञता तथा अन्य इसी प्रकार के कारणों से होती हैं। कोई भी यह निश्चितरूप से नहीं कह सकता है कि ऐसा किसी विशेष कारण से हुआ है। सच यह है कि बस ड्राइवरों, पैदल चलने वालों तथा स्कूटर ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया गया है तथा 4000 लोगों को यातायात प्रशिक्षण दिया गया है।

श्री बासप्पा : माननीय मंत्री ने बताया कि कम चौड़ी तथा भीड़भाड़ वाली सड़कों पर यातायात बन्द कर दिया गया है। इनपर यातायात बन्द करने के स्थान पर इनको चौड़ा करने के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री राज बहादुर : ऐसी कम चौड़ी सड़कों अथवा गलियों जिनके दोनों ओर भव्य और विशाल भवन हो, चौड़ा उन भवनों को गिरा कर किया जा सकता है। ऐसा करना संभव नहीं है इस लिए इन पर भारी गाड़ियों का चलाया जाना बन्द कर दिया गया।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या टोक्यो तथा न्यूयार्क की तरह सड़क पर बिजली के खम्भों को रंगने का दिल्ली नगर निगम का विचार है जिससे दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें कम हो जायें तथा यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

श्री राज बहादुर : आपने यह सुझाव दिया है। मैं इसको दिल्ली के अधिकारियों के पास भेज दूंगा।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि दिल्ली में अधिक दुर्घटनायें अधिक मात्रा में मदिरापान के कारण तथा बहुत से लोग मदिरा पान के बाद गाड़ियां चलाते हैं के कारण होती हैं तथा यदि हां, तो ऐसी दुर्घटनायें कितने प्रतिशत हुई हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राज बहादुर : मैं नहीं जानता कि मदिरापान के कारण कितने प्रतिशत दुर्घटनायें हुई हैं। मुझे मालूम है कि माननीय सदस्य मद्यनिषेध के लिए अत्यधिक तथा प्रभावी कदम उठा रहे हैं।

Shri Kashi Ram Gupta : Hon. Minister has just now told that some roads are being widened. May I Know what method is being adopted to widen the roads of Old Delhi and how much time will be taken to fulfil this programme.

Shri Raj Bahadur : We are trying to widen all those roads which we can widen and for which we have money. It is clear that we have to spend more for this work in Old Delhi. But many roads have been widen in New Delhi.

अमरीका से उर्वरकों का आयात

***300. श्री यशपाल सिंह** : + **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री ओंकार लाल बेरवा** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अमरीका से 350,000 मीट्रीक टन उर्वरक आयात करने का विचार है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई करार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 1965-66 के लिये नाइट्रोजन का 350,000 मीट्रिक टन का आयात कार्यक्रम बनाया गया था जिस में से आशा है कि अमरीका से 134,290 मीट्रिक टन नाइट्रोजन का आयात होने की आशा है।

(ख) केवल अमरीका से उर्वरक के आयात के बारे में भारत तथा अमरीका के बीच कोई अलग समझौता नहीं है।

अमरीका से उर्वरक का आयात अमरीका सहायता गैर परियोजना ऋण-समझौता संख्या 386 एच 138 के अधीन किया जाता है। इसमें उर्वरक के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का भी आयात होता है।

(ग) दिनांक 17-6-65 के समझौते की एक प्रति सभा के पुस्तकालय में रख दी गयी है। उपरोक्त समझौते के अधीन दिया गया ऋण 40 वर्ष में वापस दिया जायेगा जिसमें से 10 वर्ष तक सूद नहीं लिया जायेगा। अगले 10 वर्ष के लिए 1 प्रतिशत सूद लिया जायेगा तथा बाद में $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत सूद लिया जायेगा।

Shri Yashpal Singh : After seeing this agreement it cannot be found that whether Government have got any account of the garbage stocked in our villages. I think if 50 per cent of this is utilised in our fields then the money which we are spending on these fertilizers can be saved. May I know whether Govt. have collected any figures in this regard?

Shri Shahnawaz Khan : Government have got the figures. Mr. Speaker, Sir, if you allow me, I can tell them.

Shri Yashpal Singh : In the statement it has not been given that how much money will be spent and how much interest will be paid?

Shri Raghunath Singh : Interest has already been paid.

Shri Shahnawaz Khan : This information is there. For first ten year we have not to pay any interest. Thereafter one per cent for the another ten years and two half per cent for the remaining period will be paid. The loan is for forty years.

Shri Yashpal Singh : In this way we will be under debt for forty years, and will be paying interest.

Shri Shahnawaz Khan : We will have to.

Shri Raghunath Singh : Your requirement is $3\frac{1}{2}$ Lakhs tones. You are importing one Lakh tone from America. May I know from where you will have the remaining ?

Shri Shahnawaz Khan : The remaining we will procure from U.K., U.S.S.R., Japan, Canada and U.A.R.?

श्री मा० ल० जाधव : क्या इस प्रकार की कोई शिकायत मिली है कि उर्वरक उचित समय पर सप्लाई नहीं किया गया था ?

Shri Shahnawaz Khan : This was in the past. Now there will not be any complaint.

Shri Sheo Narain : What arrangement you have made in regard to cow-dung manure?

Shri Shahnawaz Khan : In our country we have 148 million tons of cow-dung. We are preparing manure from it. This work is being done by Blocks and village level workers. They are doing it efficiently.

श्री बूटा सिंह : उर्वरक की कमी के कारण सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है जिससे किसानों को सहायताप्राप्त मूल्यों पर उर्वरक का वितरण हो सके ?

श्री शाहनवाज खां : ये दो प्रश्न हैं; एक उर्वरक की कमी तथा दूसरा राज सहायता। हम उर्वरक का आयात करके उर्वरक की कमी को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। राज सहायता के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री हेम बरुआ : यदि यह बात सच है कि आयात किया हुआ उर्वरक बहुत धीरे धीरे आ रहा है और इसी कारण से आयात किया गया उर्वरक किसानों को भी धीरे धीरे ही दिया जा रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है जिससे आयात किया गया उर्वरक किसानों को ठीक समय पर दिया जा सके ?

श्री शाहनवाज़ खां : उर्वरक आ रहा है तथा वितरित किया जा रहा है ।

श्री हेम बरुआ : मैं 'दि स्टेट्समैन' में आज प्रकाशित एक समाचार की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जिसमें स्पष्टतया बताया गया है कि पहली छमाही में उर्वरक धीरे धीरे मिला है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : अभी उपमंत्री महोदय ने बताया कि अब वह आने लगा है। मैं मानता हूं कि वर्ष के आरम्भ में धीमी गति से उर्वरक आया था। इसीलिए हम दीर्घकालीन प्रयत्न कर रहे हैं जिससे उर्वरक को ठीक प्रकार से जहाज़ पर लादा जा सके और वह ठीक समय पर आ सके। इस संबंध में कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : जब एक स्पष्ट प्रश्न पूछा जाता है और मंत्री महोदय यहां उपस्थित होते हैं तो ऐसे उपमंत्री, जिनको कुछ मालूम नहीं होता है, को उत्तर देने की अनुमति क्यों दे दी जाती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे विचार से माननीय सदस्य को यह नहीं कहना चाहिये कि उपमंत्री को कुछ मालूम नहीं है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : उन्हें उपमंत्री की बात ठीक करने के लिये तुरंत खड़ा हो जाना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर उत्तेजित नहीं होना चाहिए। उपमंत्री ने उत्तर दिया, मंत्री महोदय ने अनुपूरक उत्तर दिया। कभी उर्वरक धीमी गति से आया हो परन्तु अब ठीक आ रहा है।

श्री रंगा : कभी कभी आपको उन्हें भी कहना चाहिये कि वह ठीक प्रकार से व्यवहार करें।

श्री हरि विष्णु कामत : आप हमेशा हमें ताड़ना देते हैं परन्तु कभी कभी आपको उन्हें भी कुछ कहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आवश्यकता होने पर मैं ऐसा करूंगा।

Shri Bagri : I want Sir, their replies should not be incorrect.

+

खाद उत्पादन

*301. **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेधे :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री बागड़ी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद का उत्पादन कितना पिछड़ गया है और इस बारे में हम कब तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे; और

(ख) उर्वरक प्रति वर्ष कितनी मात्रा में आयात किये जाते हैं और वे किन-किन देशों से मंगाये जाते हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) इकट्ठा आर्गनिक खाद का प्रकार	तृतीय योजना लक्ष्य	1965-66 में पुरा होने की संभावना
रूरल कम्पोस्ट	148.03 मिलि० मीट्रिक टन	128 मिलियन मीट्रिक टन
टाउन कम्पोस्ट	4.4 मिलियन मीट्रिक टन	4.00 मिलियन मीट्रिक टन
ग्रीन मैन्योरिंग	41.0 मिलियन एकड़	28.26 मिलियन एकड़

आर्गनिक खाद तथा उर्वरक एक दूसरे के पूरक हैं तथा सामान्यतया दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। स्थानीय उपलब्ध खाद का अधिकतम उपयोग करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) अनुमान है कि चालू वर्ष अर्थात् 1965–66 में नाइट्रोजन उर्वरक का आयात 3,50,000 मीट्रीक टन होगा। इन उर्वरकों का आयात अमरिका, ब्रिटेन, कनाडा, पश्चिमी योरोपीय देशों, पूर्व जर्मनी, रूस, जापान, रुमानिया, संयुक्त अरब गणराज तथा ईरान से होगा। चालू योजना के पहले चार वर्षों में आयात निम्न प्रकार से होंगे :—

1961-62	138,000	एमटी (एन)
1962-63	245,000	एमटी (एन)
1963-64	223,000	एमटी (एन)
1964-65	235,000	एमटी (एन)

Shri M. L. Dwivedi : Mr. Speaker, Sir, I asked that the extent to which the manures are lagging behind production but the answer is in regard to likely achievement in 1965-66. This, has not been replied that the extent to which the manures are lagging behind. I want that the reply should be straight.

Mr. Speaker : Please reply that what the reply was not straight.

Shri Shahnawaz Khan : The revised plan target for 1965-66 was 800,000 tons. Internal production was 300,000 tons and imports will be of 350,000 tons.

Shri Bagri : My point of order, Sir, the reply of Hon. Deputy Minister is always half and always Minister supplements it. We feel difficulty in putting supplementary questions. Kindly direct them not to reply if they are ignorant.

Mr. Speaker : Please take your seat. You have emphasised your point.

Shri M. L. Dwivedi : My question was.

Mr. Speaker : You have asked that to what extent they lag behind. He has told that target was such and achievement was this. Ministry should also substract these figures so that members may not feel any difficulty.

श्री दाजी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न का उद्देश्य यह नहीं था लक्ष्य पूरा करने में कितनी कमी रह गयी है । प्रश्न यह था कि हमारे देश की आवश्यकता कितनी थी तथा उसमें कितनी कमी रह गयी है ।

Shri M. L. Dwivedi : I also asked that when we will achieve self-sufficiency.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे से कहा गया कि मैं अधिक न बोलूं इसीलिए मैं बोल नहीं रहा हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं चाहता हूं कि वह जल्दी ठीक हों ।

अध्यक्ष महोदय : आपत्ति इस बात पर उठायी गयी है कि सचिवालय को सावधानी से प्रश्न का उत्तर तैयार करना चाहिये उन्हें बताना चाहिये ताकि कितनी कमी रह गयी है और हम कब तक आत्म-निर्भर हो जायेंगे ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रश्न का भाग (क) फार्म में काम आनेवाली खाद से तथा दूसरा भाग पुरानी तरह की खाद से संबंधित है । इन खादों के बारे में आत्म-निर्भरता का प्रश्न नही उठता है क्योंकि इनमें नाइट्रोजन सीमित मात्रा में होती है । हम इसका 3.50 लाख टन आयात कर रहे हैं तथा कुछ देश में भी उत्पादन कर रहे हैं परन्तु इस इनआर्गनिक खाद का आयात करने तथा उत्पादन करने पर भी हम मांग पूरी करने में समर्थ नहीं ह । इसीलिए हम चौथी योजना के उत्पादन लक्ष्य बढ़ा रहे हैं और आशा है कि 1966–67 तक हम पूरी मांग पूरी कर सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : क्या विवरण में यह बताया गया है कि जल्दी ही हम आत्मनिर्भर नहीं हो जायगे ।

श्री रंगा : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री का ध्यान इसी ओर दिला रहा था । सचिवालय को उत्तर सावधानी से देना चाहिये और देखना चाहिये कि उत्तर बिल्कुल ठीक हों ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं आपकी बात मानता हूं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : कभी कभी उत्तर देने के बजाय वह कह देते हैं कि विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : विवरण में पूरा उत्तर देना चाहिये ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मैं बताना चाहता हूं कि पुरानी तरह की खाद में आत्म-निर्भर होनेका प्रश्न ही नहीं उठता है ।

Shri M. L. Dwivedi : In the statement it has been given that the target for green manure was 41 million acres and the achievement was 28 million acres. Government have also replied that all possible steps are being taken to reach these target but they have not narrated the steps taken. I want to know that what steps are being taken to achieve self-sufficiency and to increase production.

श्री शाहनवाज खां : खंड़ों द्वारा किसानों को ढैंचा और सनाई नामक हरी खाद दी जा रही है और इन हरी खादों के इस्तेमाल के बारे में उन्हें शिक्षित और उत्साहित किया जा रहा है ।

श्री सुबोध हंसदा : इन आयातों पर खर्च की गई धनराशि के बारे में नहीं बताया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगा कि आयात पर खर्च की गयी धनराशि की उसके फलस्वरूप होने वाले कृषि उत्पादन के मूल्य से क्या तुलना है ?

श्री शाहनवाज खां : यह कई बातों पर निर्भर करता है जैसे उर्वरक का किस कुशलता से इस्तेमाल किया जा रहा है, उपलब्ध पानी की मात्रा आदि। सामान्यतः इसके फलस्वरूप 30–40 प्रतिशत अधिक उत्पादन होता है।

श्री वारियर : क्या फास्फेटिक उर्वरकों की कमी है और क्या आयात पर हाल में लगाये गये प्रतिबन्धों से आयात की मात्रा में कमी हुई है जिससे उस किस्म के उर्वरक के उत्पादन को आघात पहुंचा है और इस प्रकार हम फास्फेटिक उर्वरक के उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उर्वरक की कमी है और हम इस वर्ष इस बात को ध्यान में रख कर कि देश में हम 4,00,000 टन उर्वरक का उत्पादन करेंगे, 350,000 टन उर्वरक आयात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई कारणों से देश के भीतर उत्पादन का यह लक्ष्य 75 प्रतिशत तक ही अर्थात् 300,000 टन तक ही पूरा किया जा सकेगा। अतः उपलब्धता कम है। यदि अब भी आयात करना चाहें तो यह विश्व मंडी में भी उपलब्ध नहीं है। अतः हम जो प्रयत्न कर रहे हैं वह यह है कि अगले वर्ष से अगले तीन या चार वर्षों के लिये दीर्घ-कालीन ठेके करेंगे ताकि हम ये उर्वरक पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर सके।

Shri K. N. Tiwary : It has been mentioned in the press reports that about 20 lakh tones of seeds of new varieties of rice and wheat would be required to be imported. Secondly, due to non-availability of foreign exchange, there was shortage of foreign exchange for the import of manure. So, may I know whether the Agriculture Department have decided with the Finance Department for the availability of foreign exchange?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां। हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं। हम इस बात का हिसाब लगा रहे हैं कि वास्तव में देश में हर वर्ष कितना उर्वरक तैयार होगा। इसके अतिरिक्त हम यह भी हिसाब लगा रहे हैं कि हर वर्ष कम से कम कितने उर्वरक की आवश्यकता होगी, जो कमी रहेगी वह आयात द्वारा पूरी की जायेगी। इस प्रयोजन के लिये हम इस बारे में भी प्रयत्न कर रहे हैं कि चतुर्थ योजना में पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो।

श्री मा० ल० जाधव : इस बारे में क्या उपाय किये जा रहे हैं कि किसान गोबर को ईंधन के रूप में इस्तेमाल न करे ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा मैंने पहले बताया है, किसानों को कहा जा रहा है कि वे खेतों की जंगली लकड़ी और शीघ्र उगने वाले वृक्षों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें और गोबर को खाद के काम में लावें। हम किसानों को गोबर गैस संयंत्र का इस्तेमाल करने के लिये भी प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री जेधे : 1961-62, 1962-63 और 1963-64 में आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : 350,000 टन उर्वरक के लिये लगभग 30 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी।

श्री लिंग रेड्डी : क्या सरकार की नीति यह है कि चौथी योजना में यथासंभव अधिकाधिक उर्वरक कारखाने चलाये जायें ताकि उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां। हमारा उद्देश्य यही है और यह प्रभार पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का है।

Shri Bagri : The main reason for the shortage of foodgrains in the country is the lesser production and the reason of lesser production is the shortage of fertilisers. Every year this question of shortage of fertilisers comes up before the Ministry and in the last year it is said that the delay in import was due to shortage of foreign exchange. May I know whether Government will make an enquiry as to why the foreign exchange was not arranged for the import of this essential commodity? Who are responsible for it and whether some enquiry committee will be set up for punishing them ?

Shri Shahnawaz Khan : In the year 1965-66 arrangements have been made for the import of 350,000 tonnes of fertilisers and for that purpose foreign exchange worth 466·7 million rupees is allotted. There has been no failure in this respect.

श्री दाजी : क्या बेचटेल के सहयोग से उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की योजना समाप्त कर दी गई है ; यदि हां, तो क्या सरकार की किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य सार्थ के सहयोग से उर्वरक उत्पादन करने के लिये कोई वैकल्पिक योजना है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : संभवत : माननीय सदस्य को यह सुन कर प्रसन्नता होगी कि यह योजना समाप्त कर दी गयी है। यदि बेचटेल कोई अन्य उपयुक्त प्रस्ताव भेजे तो हम उनपर विचार करने को तैयार हैं। पता लगा है कि उनके पास अन्य प्रस्ताव हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने उर्वरकों की बजाय गोबर का अधिक इस्तेमाल करने के प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री शाहनवाज खां : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से कम्पोस्ट खाद की मात्रा बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। शहरी कम्पोस्ट को बढ़ाने और गंदे पानी को इस्तेमाल करने के लिये विस्तृत योजनायें बनायी गयी हैं। हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री पु० र० पटेल : हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है ; संसार में उर्वरकों का उत्पादन भी कम है और इसलिये हमें उर्वरक नहीं मिल सकता। इन परिस्थितियों में मैं यह जानाना चाहता हूं क्या सरकार गुजरात के किसानों को सस्ती दर पर प्राकृतिक गैस देने के बारे में विचार कर रही है ताकि वे गोबर इस्तेमाल न करें।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। यह पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के प्रभार में है।

Shri Kashi Ram Gupta : On a point of order, Sir.

Mr. Speaker : It does not happen in questions. Shri S. N. Chaturvedi.

श्री कपूर सिंह : उर्वरक में हमारी भी रूचि है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या सरकार को स्वयं यह निश्चय हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम्पोस्ट खाद के आँकड़े सही हैं ? अथवा जब कभी गाय के गोबर या भैंस के गोबर का खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो उसे कम्पोस्ट खाद कहा जाता है ?

श्री शाहनवाज खां : मैं मानता हूं कि बिल्कुल सही आंकड़े नहीं रखे जाते लेकिन जहां तक होता है हम ठीक आंकड़े एकत्र करते हैं।

श्री दे० जी० नायक : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि "सन हेम्प" आदि के बीज खंड क्षेत्र को दिये जाते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें कितना क्षेत्र आता है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस वर्ष 282.6 लाख क्षेत्र शामिल करने की संभावना है जब कि लक्ष्य 410 लाख एकड़ का था। इसमें यह कमी है।

Shri Gulshan : Is it not a fact that there is shortage of cowdung as machineries are used in large number for agricultural purpose; if so, whether Government will keep this in view?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को पता है कि इस देश में यह रवैया है कि जितना अधिक उर्वरक तैयार किया जाता है उतना ही अधिक उनका आयात किया जाता है और वे छोटे भू-स्वामियों के लिये महंगे पड़ते हैं और यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठायेगी?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह इसलिये है कि अब मांग बढ़ रही है और अधिक लोग उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिये हमारा लक्ष्य चौथी योजना के अन्त तक 20 लाख टन ना ट्रोजन तैयार करने का है।

श्री कपूर सिंह : बेचारे किसानों को तो वह मिल ही नहीं पाता।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह इसलिये है कि इसकी कमी है और हम केवल 40–50 प्रतिशत मांग ही पूरी कर पाते हैं। हम इस बारे में प्रयत्न कर रहे हैं कि हम अगले वर्ष से संभरण कर सकें और इसके लिये हम अभी से कदम उठा रहे हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : कोयला फालतू है और उर्वरक की कमी है। क्या सरकार ग्रामीणों को कोयला देने की एक योजना तैयार करेगी ताकि गोबर को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से बचाया जा सके और उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसके बारे में योजनायें हैं परन्तु मैं अभी तत्काल यह नहीं कह सकता कि ये कहा तक लागू की गयी है। यह प्रश्न खान मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये।

श्रीमती सावित्री निगम : कई विशेषज्ञों ने यह राय व्यक्त की है कि गोबर के रूप में बड़ी मात्रा में देशी खाद उपलब्ध है जिसको ईंधन के रूप में जलाया जा रहा है। क्या मैं जान सकती हूं कि गोबर गैस संयंत्रों को कब तक प्रयोगात्मक आधार पर चलाया जाता रहेगा और क्या सरकार की गांवों में गोबर संयंत्रों की स्थापना के लिये कोई राजसहायता देने की कोई योजना है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं तत्काल यह नहीं बता सकता। गोबर गैस संयंत्र को लोकप्रिय बनाने का कार्यक्रम है और यह प्रयोगात्मक स्तर पर नहीं है; यह सफल रहा है।

श्रीमती सावित्री निगम : यह कब तक प्रयोगात्मक रहेगा।

श्री अध्यक्ष महोदय : अब गोबर पर आइये।

Shri Madhu Limaye : The Hon. Minister has said that we can never become self-sufficient in fertilisers. But the Minister concerned, Shri Humayun Kabir, in his address before the Bengal National Chamber has said that we shall become self-sufficient in chemical fertilisers in five years. Not only this, he also said that in ten years we shall be able to export. I think that there is no uniformity in the Govt. policy. Let this be clear.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम चौथी योजना के अन्त तक 20 लाख टन वा इससे कुछ अधिक नाइट्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। तब भी हमारी प्रति एकड़ खपत 6 या 7 पौंड होगी जब कि अधिक विकसित देशों में प्रति एकड़ 200 पौंड नाइट्रोजन की आवश्यकता है। अत: इसमें वृद्धि होती रहेगी। इसी कारण मैंने कहा था कि आत्म-निर्भरता का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि जैसे जैसे हम कृषि को आधुनिक रूप देते जायेंगे उर्वरक की मांग बढती जायेगी; अत: हमें अधिकाधिक कारखाने बनाने पड़ेंगे ताकि अधिक उत्पादन हो सके।

Shri M. L. Dwivedi : On a point of Order, Sir. I asked about "the names of the countries from which these are being imported", but the answer is "the countries from which these fertilisers will be imported....." We should get correct replies to our questions.

Mr. Speaker : I have already said that I shall personally look into the matter and speak to the Ministry.

कृषि उत्पादन बोर्ड

***302. श्री क० ना० तिवारी :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि उत्पादन बोर्ड ने इस बारे में पुनर्विलोकन करने के लिये, कि विभिन्न राज्यों में अब तक उत्पन्न की गई जलशक्ति का कहां तक उचित प्रयोग हुआ है, योजना आयोग तथा अन्य विभागों के व्यक्तियों के अनेक दल नियुक्त किये हैं।

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें हैं; और

(ग) बोर्ड की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अब तक उत्पन्न की गई जलशक्ति का ठीक प्रकार उपयोग किये जाने के लिये क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ?

विवरण

(क) और (ख) : कृषि उत्पादन बोर्ड ने इस बात पर विचार किया कि चम्बल, महानदी डेल्टा, कोसी, तुंगभद्रा और भद्रा परियोजनाओं में सिंचाई की संभावनाओं का किस प्रकार अधिक उपयोग किया जा सकता है। यह महसूस किया गया था कि यह कार्य मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है परन्तु केन्द्रीय सरकार इस काम के लिये राज्यों द्वारा बनायी गई समितियों की सहायता के लिये अपने एक अथवा दो अधिकारी भेज सकती है। राज्य सरकारों से इस विषय पर विचार-विमर्श करना आवश्यक होगा। यह समितियों के गठन से पहले किया जायेगा। (चम्बल के सम्बन्ध में राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकारों ने

पहले ही दल नियुक्त कर दिये हैं।) ये समितियां खेतों में नालियों, भूमि समतल करने, क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी कार्य, खेती के ढंग, और प्रदर्शक फार्मों आदि के बारे में कार्यक्रम तैयार करेगी।

बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सिंचाई और विद्युत उपमंत्री अब तक बिहार में कोसी के बारे में और मैसूर में तुंगभद्रा परियोजना के बारे में दौरा कर चुके हैं। इस सम्बन्ध में कृषि उत्पादन बोर्ड, रिपोर्टों की प्रतीक्षा कर रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri K. N. Tiwary : It is stated in the statement.

कृषि उत्पादन बोर्ड ने इस बात पर विचार किया कि चम्बल, महानदी डेल्टा, कोसी, तुंगभद्रा और भद्रा परियोजनाओं में सिंचाई की संभावनाओं का किस प्रकार अधिक उपयोग किया जा सकता है। यह महसूस किया गया था कि यह कार्य मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है।

I want to know what action has been taken by concerned State Governments and what advice was tendered by Central Government?

Shri Shahnawaz Khan : The Central Government feels that for the proper utilization of water a cell should be set up in centre and a similar cell should be there in each of the state, and it should take necessary steps to ensure proper utilization of water.

Mr. Speaker : One Group leader Shri Bagri has repeatedly raised one question and cast reflection upon me, but his point is right. I have said that those who prepare answers in the Secretariat in reply to questions here they should ensure that the answers should be relevant. The hon. Member has made an allegation that I have not asked the Ministers to ensure that answers are relevant. What he says is correct, because I, out of courtesy, have said "Secretariat". I thought Ministers are included in that, but he has repeatedly said that I should ask the Ministers to ensure that correct answers are given here.

Shri Hari Vishnu Kamath : There is not one but there are three Ministers.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : श्रीमान् मुझे खेद है कि मेरे कारण आपको यह स्थिति हुई। वास्तव में यह पूर्णरूप से मेरी जिम्मेदारी है। चाहे सचिवालय ही इन उत्तरों को तैयार करता है। यदि कोई त्रुटि है तो मैं कोशिश करूंगा कि भविष्य में ऐसा न हो। (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। शांति शांति।

Shri K. N. Tiwary : The question was that whether the water potential, which have been created, have been properly utilized or not? I want to know the opinion of the Board about this. How much of these potentials go waste and what are the reasons for that?

Shri Shahnawaz Khan : During the third Five Year Plan about 82 per cent water potentiality is being properly utilized.

Production of Sugar

*303. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary:
Shri Surendra Pal Singh:
Shri Subodh Hansda :
Shri Kindar Lal :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the success achieved in attaining the target fixed for the production of sugar during the year 1964-65;

(b) the reasons for failure to achieve the target of production of sugar in spite of a good crop of sugarcane; and

(c) the target fixed for the next year and whether any further decisions, including the decision regarding the price of sugarcane, have been taken to overcome the shortcomings during the current year?

Deputy Minister in the Ministry of Food & Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) No target of sugar production was fixed for 1964-65 but the production during this year is estimated to be around 32 lakh tonnes.

(b) Does not arise.

(c) No target as such has been fixed for the next year but the target fixed for the last year of the third Five Year Plan was 35·6 lakh tonnes. No decision regarding price of sugarcane or other measures has yet been taken.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Three zero three.

श्री कपूर सिंह : श्रीमान्, मैं आप की अनुमति से व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । अभी माननीय सदस्य ने 'त्रिशुन्य त्रि' कहा है । क्या वह एसी ही भाषा चाहते हैं ?

Shri Jagdev Singh Siddhanti : The hon. Member should be happy that 'three' is very close to Punjabi language. I do not know why he is opposing it.

श्री कपूर सिंह : यदि ऐसी बात है तो मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न वापिस लेता हूं ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : When Government is aware that the production of sugar is not adequate and country's 75 per cent population consumes Shakkar and Khandsari Gur. Why Government do not prepare these things instead of sugar.

श्री दा० रा० चव्हाण : गुड़ तथा खण्डसारी का उत्पादन भी हो रहा है । माननीय सदस्य के राज्य में 33 प्रतिशत गन्ने की चीनी बनायी जा रही है और शेष से गुड़ तथा खण्डसारी ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : It is not the answer to my question. But I accept the answer and would like to know whether the production of sugar has not increased due to this fact that the farmers, who are the producers of sugar-cane, do not get enough money for their sugar-cane?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यह कहना ठीक नहीं है कि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। पिछले साल उत्पादन 26.5 लाख मीट्रिक टन था और इस साल यह 32 लाख मीट्रिक टन होगा। मैं मानता हूं कि इस वृद्धि से भी देश की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। गुड़ और खण्डसारी के उत्पादन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जब गन्ने का उत्पादन बढ़ता है तो गुड़ और खण्डसारी के उत्पादन भी बढ़ जाता है। चीनी, गुड़ और खण्डसारी तीनों पदार्थों से पूरे देश की आवश्यकता पूरी की जाती है।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं जानना चाहती हूं कि इस वर्ष चीनी के उत्पादन के बारे में लक्ष्य निर्धारित क्यों नहीं किये गये ? क्या यह सच है कि गन्ने का मूल्य कम होने के कारण उसका उत्पादन नहीं बढ़ा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मूल्य काफ़ी आकर्षक है, हम अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अभी यह चाहते हैं कि कितना गन्ना उपलब्ध होगा। मानसून कब आयेंगे इसका पता ठीक न होने के कारण इसका वास्तविक अनुमान नहीं लगाया जा सका कि कितना गन्ना होगा।

Shri M. L. Dwivedi : The honorable Minister has just now stated that the production of sugar has increased from 26 lakhs tonnes to 32 lakhs tonnes *i.e.* the production has increased by 6 lakh tonnes. I want to know why the people living in urban areas are getting one and half kilo per head whereas the people living in rural areas are not getting any thing and their quotas is also not increased for them. I want to know whether something is being done in this direction.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : गांवों में लोग गुड़ और खण्डसारी का अधिक इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त हमने विभिन्न राज्य सरकारों का कोटा भी बढ़ा दिया है। शहरों और देहातों में वितरण राज्य सरकारें करती हैं।

श्री क० ना० तिवारी : क्या सरकार को पता है कि राब के दाम कम हो गये हैं और अगले वर्ष काफी गन्ना उपलब्ध हो जायेगा, और पुराने मिल उसको पेर नहीं सकेंगे। सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं जिससे पूरा गन्ना प्रयोग में लाया जा सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने कहा है कि अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि गन्ने का उत्पादन अधिक होगा और पेरने से बच जायेगा। इस बारे में उत्पादन का पता लगते ही कोई निर्णय कर लिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : पेरने के गत सीज़न में देश के किस भाग में चीनी का अधिक उत्पादन हुआ। इस वृद्धि के क्या कारण थे ?

श्री दा० रा० चव्हाण : इसका कारण यह है कि उत्पादकों को अधिक दाम देने का आश्वासन दिया गया है। इसके अतिरिक्त उद्योग को भी काफी प्रोत्साहन दिया गया है तथा राज्य सरकारों ने इसको कुछ नियमित करने के पग भी उठाये हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैंने यह पूछा था कि देश के किस भाग में अधिक उत्पादन हुआ है। मैंने इसका उत्तर सामान्य नही मांगा था।

श्री दा० रा० चव्हाण : पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पादन बढ़ा है। यह वृद्धि 1.40 लाख टन की है। महाराष्ट्र में वृद्धि 94,000 टन की है।

श्री रंगा : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि देहातों और शहरों में चीनी वितरण करने का काम राज्य सरकारों का है। तो क्या इससे यह समझ लिया जाय कि केन्द्रीय सरकार को इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है ? क्या यह देखना उनका उत्तरदायित्व नहीं है कि देहाती क्षेत्रों को भी ठीक ढंग से चीनी दी जाय ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। चीनी के वितरण के बारे में हम मुख्य मंत्रियों तक से बातचीत कर चुके हैं। परन्तु इस दिशा में अन्तिम उत्तरदायित्व तो राज्य सरकारों का ही है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : उपलब्ध क्षमता इन 32 लाख टन की कितनी प्रतिशत तो है ? गत दो वर्ष में अधिष्ठापित क्षमता की वृद्धि की मात्रा क्या है और उसके वितरण की स्थिति क्या है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : इस समय 35.5 लाख टन की क्षमता है परन्तु काम में आने वाली क्षमता 30 लाख टन है। उत्पादन 32 लाख टन के लगभग है। अधिष्ठापित क्षमता का प्रश्न तो इससे अलग है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं जानकारी दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह प्रश्न अलग है तो इसकी कोई जरूरत नहीं।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : यह अलग प्रश्न नहीं है।

Shri Chandramani Lal Chaudri : I want to know the number of sugar factories in North and South Bihar and the total production of these factories? The Minister has just now stated that the production of Sugar-cane has increased in the eastern U.P. and in the other parts. I want to know the total production of North and South Bihar separately.

श्री दा० रा० चव्हाण : उत्तर बिहार में वृद्धि 1.40 लाख टन की है और दक्षिण बिहार में 14,000 टन।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : आपने यह नहीं कहा था कि मेरा प्रश्न दूसरी तरह का है। आपने कहा था कि यदि यह प्रश्न भिन्न है तो इसका उत्तर न दिया जाय।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आज भी लाइसेंसिंग के संबंध में एक दूसरा प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, सूचि में इस पर अलग से प्रश्न हैं।

श्री विश्वनाथ राय : क्यों कि देश में खपत बढ़ रही है अतः सरकार देश के उन भागों में चीनी कारखाने लगाने पर विचार करेगी जहां गन्ने का उत्पादन काफ़ी हद तक बढ़ा है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जी नहीं।

श्री जसवन्त मेहता : सरकार की ओर से कहा गया था कि काफ़ी फालतू चीनी इकट्ठा करने के बाद नियन्त्रण हटा लिया जायेगा। क्या सरकार ने वह फालतू स्टाक इकट्ठा कर लिया है ? मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : सरकार फालतू स्टाक इकट्ठा करने की सोच रही है। यह अपेक्षित खपत का 20 प्रतिशत होगा। जब तक यह नहीं हो जाता तब तक नियन्त्रण हटाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्री जसवन्त मेहता : अब तक यह फालतू स्टाक कितना इकट्ठा कर लिया गया है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : इस वर्ष के आरंभ में चीनी का स्टाक 4.8 लाख टन था।

Shri Kashi Ram Gupta: The Honorable Minister has stated again and again that the responsibility of distribution is that of the State Governments. The responsibility of Control is that of Central Government. When the Central Government interferes in other matter, why not she interferes in this work of distribution of Sugar to the rural areas and impress the State Government to agree to it?

Mr. Speaker : You are arguing.

Shri Sinhasan Singh : The question of Control and decontrol has just began. It is learnt that Government like to create the buffer stock of about 5 lakh tonnes. The production has been increased from 25 lakh tonnes to 32 lakh tonnes. After putting 5 lakh tonnes in buffer stock the 27 lakh tonnes remains. I want to know whether that cannot be distributed ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि काफ़ी खुले तौर पर चीनी दी गयी है। विभिन्न राज्यों का कोटा भी बढ़ा दिया है। प्रत्येक को चीनी 16,000 टन प्रति मास अधिक दी जाती है।

कीटनाशी दवाइयों का विमान द्वारा छिड़का जाना

***304. श्री अ० ना० विद्यालंकार :**

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशी दवाइयों के विमान द्वारा छिड़काए जाने की एक नियमित पद्धति लागू करने की कोई योजना है;

(ख) क्या इन्हें विमान द्वारा छिड़काने का प्रयोग किया गया है और यदि हां, तो कहां; और

(ग) क्या इस मामले में सलाह देने के लिये किसी अमरीकी विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की गई हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश और केरल में।

(ग) जी हां।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस देश में रूस और अमरीका की तरह किसी के पास बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है और क्योंकि यहां दो फसलें हमेशा ऐसी होती हैं जिनको भिन्न प्रकार की सिंचाई तथा नलाई आदि की जरूरत होती है। इन स्थितियों में क्या हम विमान द्वारा छिड़काव कार्य को इस देश में सफलतापूर्वक कर सकते हैं ?

श्री शाहनवाजखां : कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारे पूरे एक साथ ब्लाक्स हैं और वहां धान और रूई की खेती होती है। जहां पर हम विमान से छिड़काव का कार्य करते हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या इसका पता किया गया है कि इस पर प्रति एकड़ क्या खर्च आता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : हम किसानों से केवल एक रुपया प्रति एकड़ मात्र वसूल करते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि उन देशों में जहां विज्ञान ने काफी प्रगति की है जैसा कि अमरीका, ब्रिटेन और जर्मनी है, वहां अनसंधान और अनुभव ने यह बताया है कि कीटनाशक दवाइयों में डी० डी० टी० होती है और उसमें विष होता है जो कि इन्सान के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना कि कीटों के लिए, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है कि इससे पौधों में विष तो नहीं चला जाता और उसके बाद खाद्यानों में पहुंच जाता ?

श्री शाहनवाज़ खां : प्रगतिशील देशों में जैसे अमरिका और ब्रिटेन है, इस काम में अनुसंधान करने के लिये कुछ समितियां है। उन्होंने विस्तृत गवेषणा की है। यहां इस देश में इतने कीट नहीं होते कि स्थिति इतनी खतरनाक हो जाय। परन्तु विदेशों में जो भी अनुसन्धान होता है उसका लाभ हम भी उठाते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने पूछा है कि क्या इस चीज़ का अनुसंधान में पता चला है कि उसमे विष होता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यहां भी एक प्रविधिक समिति इस मामले की जांच करने के लिए है जो कि इस बात को देखती है कि इस छिड़काव से इन्सानों, कीटों अथवा पंछियों को कोई हानि तो नहीं पहुंचती। वह समिति साथ साथ सारी बातों को देखती रहती है। यह समिति प्रो० ठक्कर की अध्यक्षता में अपना कार्य कर रही है और हमें उसका प्रतिवेदन शीघ्र ही उपलब्ध होने की आशा है।

श्री कृ० चं० पन्त : मंत्री महोदय ने बताया कि कीट नाशक छिड़कने के लिए किसानों से एक रुपया प्रति एकड़ मात्र वसूल किया जाता है, क्या इस दिशा में सरकार ने प्रयोग तथा बचत वास्तविक आधार पर इस बात का अनुमान लगाया है कि उत्पादन की दृष्टि से इस कार्य से कितना लाभ हुआ है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हां, इसका पता किया गया है। यह व्यय करना ठीक ही है। इससे आशातीत बचत होती है।

श्री बासप्पा : क्या इस तरह के प्रयोग मैसूर में भी किये गये हैं, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमारे पास कुछ विमति हैं। हम मैसूर की जरूरतों का भी ध्यान रखेंगे।

Shri Bade : Pests destroy the crop and it was stated in the report that crop insurance should be introduced. I want to know that along with pesticides, Government are counsidering the matter of crop insurance.

Shri Shahnawaz Khan : It is under the consideration of the Government, but as yet no final shape has been given to this crop insurance scheme.

डा० सरोजिनी महिषी : जब तक किसी क्षेत्र को राजस्व अधिकारी कीट नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत लाने की घोषणा नहीं करता इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं

की जा सकती । क्या इस तरह से जो देरी हो जाती है, उसमें कृषकों को कोई हानि तो नहीं होती । यदि होती है, तो सरकार उसे दूर करन के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां : एकीकृत खंडों में हम यह छिड़काव हवाई जहाजों से कर देते हैं। इसके लिए किसी प्रतिवेदन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी । कृषकों के कहने पर भी कई बार ऐसा कर दिया जाता है । परन्तु ऐसा महामारी के समय में ही प्राय: किया जाता है ।

श्री रंगा : इस हवाई छिड़काव के लिए सरकार 1 रुपया प्रति एकड़ वसूल क्यों करती है ? मंत्री महोदय ने कहा है कि इससे बचत भी होतो है । क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि लोगों को इस सुविधा को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाये ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ठीक है, चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान हम यह विचार कर रहे हैं कि यह सेवा सरकार अपने ही हाथ में लेले । कुछ भी हो सरकार को इस बारे में कुछ तो खर्च करना ही होगा और उसके लिए कुछ साधन तो इकट्ठे करने ही होंगे ।

श्री रंगा : यह तो बड़ा अजीब है कि ये साधन किसानों से प्राप्त किये जाय ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत विचार किया जायेगा ।

श्री मं० रं० कृष्ण : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आन्ध्र प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों को इस कार्य के लिए हैलीकोप्टरों की सहायता की जायेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरा यह विचार नहीं है कि प्रत्येक राज्य सरकार इसके लिए विमानों की व्यवस्था करे । इस कार्य के लिए हम राष्ट्रीय हवाई बेड़ा बना रहे हैं । एक विमान हैदाराबाद में रहेगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या इस हवाई छिड़काव से टिड्डियों से भी बचाव रहता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जी हां, यह टिड्डियों के विरुद्ध भी प्रभाव शाली रहता है ।

केन्द्रीय वन बोर्ड

+

***305. श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 16 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 467 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारें केन्द्रीय बन बोर्ड की वनरोपण सम्बन्धी उपसमिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये राज़ी हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कब तक पूर्णत: कार्यान्वित किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) आन्ध्र प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, जम्मू और काश्मीर और नागालैण्ड की राज्य सरकारों से सूचना की इन्तज़ार है । बाकी राज्य सरकारें सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सहमत हो गई हैं ।

(ख) राज्यों ने कई सिफारिशों को लागू करने के लिये विभिन्न अवधि निश्चित की है जो कि चौथी तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना तक चलती है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : इन सिफारिशों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री शाहनवाज खां : कुछ सिफारिशें हैं जिनका अधिकतर सम्बन्ध सर्वेक्षणों और परिसीमन से है। कुछ प्रशासनिक नियन्त्रणों को लागू करने के सुझाव भी उन सिफारिशों में विद्यमान हैं।

गेहूं के जोन

+

*306. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्रीमती रेणुका राय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेधे :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री 23 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 535 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं सम्बन्धी नीति और गेहूं के जोनों के सम्बन्ध में अब कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) 'खाद्य स्थिति का पुनरीक्षण' के अप्रैल 1965 के पैरा 28–31 में इस सम्बन्ध में निर्णय विस्तार से दिए है, और उसे गत सत्र में सभा पटल पर रखा गया था। अगस्त 1965 के 'खाद्य स्थिति के पुनरीक्षण' के पैरा 32 में जो कि 19 अगस्त 1965 को सभा पटल पर रखा गया था मैं भी इस विषय के बारे में बताया गया था।

श्री रामेश्वर टांटिया : मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति गेहूं की सप्लाई में एक समान नहीं है और यह राज्यों के आधार पर भी है ? यदि हां तो इसके क्या कारण है ? किसी राज्य में अधिक गेहूं दिया जाता है और किसी में कम।

श्री दा० रा० चव्हाण : राज्यों की आवश्यकताओं तथा केन्द्र की समय पर उपलब्धि के आधार पर सब कुछ होता है।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि राजस्थान के कई नगरों में हफ्तों और महीनों गेहूं नहीं मिल सका है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? उसके लिये उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है अथवा राज्य सरकार का ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मुझे गेहूं न मिलने के बारे में कोई शिकायत मिलने का ज्ञान नहीं है। यदि इस दिशा में माननीय सदस्य के पास कुछ जानकारी है तो उसे वह हमें बतायें, हम उस पर गौर करेंगे।

श्री पु० र० पटेल : क्षेत्र बना देने तथा गेहूं के आने जाने पर रोक लगने के बाद क्या गेहूं की कीमतें बढ़ी है, और साथ ही गेहूं की कमी महसूस हुई है और काला-बाजार हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : हम जिस चीज का उल्लेख कर रहे थे, उसी की चर्चा करेंगे। जहां तक देसी गेहूं का सम्बन्ध है इसके एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर रोक लगा दी गयी है। जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकती है, वह नियन्त्रित मूल्यों पर खुले बाजार में मिल रहा है, आयात किया गया गेहूं भी नियन्त्रित मूल्यों पर बिक रहा है। कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में तस्करी हो जाये और अधिक मूल्यों पर बिक जाये तो दूसरी बात है। परन्तु उसे सामान्य बात के रूप में नहीं लिया जा सकता।

Shri Tulsidas Jadhav : At one place the price of the wheat is more, while at the other place it is less, why the same rates are not enforced at all places in the country?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : एक कीमत एक ही स्थान पर नहीं हो सकती। राज्यों का प्रश्न है। जिन राज्यों में गहूं अधिक है, वहां भाव कम होगा। जहां एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रश्न होगा, वहां भाव अधिक होगा। कुछ व्यापार के लिए छोड़ना होता है, परिवहन भाड़ा इत्यादि साथ में जोड़ना पड़ता है। अतः सारे देश में एक जैसे दाम कर देना सम्भव नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय उपमंत्री महोदय को राजस्थान में गेहूं की कमी की जानकारी नहीं है। मुझे इस पर आश्चर्य है कि उन्होंने खाद्य के सम्बन्ध में हुए दंगों के समाचार अखबारों में नहीं पढ़े। राजस्थान के मुख्य मंत्री इधर उधर भागते रहे। मैंने भी इस सम्बन्ध में खाद्य मंत्री, प्रधान मंत्री को पत्र लिखे। जयपुर, जोधपुर में 100 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं बिकता रहा। उप मंत्री महोदय को इसका कुछ पता नहीं है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : राजस्थान प्रायः अपने यहां के उत्पादन की ही वितरण करता है। गत सप्ताह राजस्थान के मुख्य मंत्री यहां थे, और उनका कहना था कि मानसून के हालात खराब होन से कछ गडबड़ है और मंडी में गेहूं की उपलब्धि कुछ कम हो गयी है और उन्होंने राजस्थान के लिये आयात की हुई गेहूं की मांग की। मैंने आयात हुआ गेहूं राजस्थान को और अधिक दे दिया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चीनी मूल्य जांच आयोग

*307. **श्रीमती सावित्री निगम** :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री 20 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 944 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मूल्य जांच आयोग ने इस बीच अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई चिनी मिलें

*308. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री बासप्पा :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेधे :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री पाराशर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री 2 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 214 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई चीनी मिलों के लिये इस बीच कितने लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) वे कहां खोली जायेंगी, उनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी, तथा वे निजी या सहकारी किस क्षेत्र में होंगी; और

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में चीनी मिलों के विस्तार के लिये इस बीच कितने और आशयपत्र (लेटर्स आफ इंटेंट) दिये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : विभिन्न राज्यों में 9 नये चीनी के कारखाने स्थापित करने के लिये अगस्त 1965 में लेटरस आफ इंटेंट जारी किये गये हैं। अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभाके पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4679/65]**

(ग) 2 मार्च, 1965 से विस्तार के 7 और मामलों एक सहकारी क्षेत्र और 6 संयुक्त हिस्सा पूँजी क्षेत्र में--के लिये लैटरस आफ इंटेंट जारी किये गये हैं।

Second Shipyard at Cochin

*309. **Shri D.N. Tiwary :**
Shri Warior :
Shri Vasudevan Nair :
Shri Prabhat Kar :
Shri Mohammed Koya :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Cabinet Secretary visited Japan in the month of April, 1965 to negotiate the establishment of the Second Shipyard at Cochin;

(b) if so, the result thereof; and

(c) whether the Japanese technicians have taken up preliminary investigations and survey?

Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir.

(b) As a result of the negotiations it was possible to arrive at agreed conclusions which were subject to the approval the Government of India and Japan and Board of Directors of the Mitsubishi Heavy Industries Limited, Japan.

(c) Yes, Sir.

दिल्ली में अंधों के लिये संस्था

*310. **श्री दे० द० पुरी :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **सामाजिक सूरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंचकुई रोड नई दिल्ली पर अन्धो की संस्था के कार्यों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि संस्था की दशा दयनीय है; और

(ग) यदि हां, तो संस्था की कार्य-प्रणाली तथा दशा में सूधार करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग मे उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) इस विभाग के पास प्रतिवेदन में दिए गए तथ्यों पर संशय करने के लिए कोई कारण नहीं है।

(ग) दिल्ली प्रशासन संस्था के प्रबंधकों को मनाने की चेष्टा कर रहा है कि वे इसे सरकार को सौंप दें।

समुद्र तट पर तलाश तथा बचाव कार्यों के लिये केन्द्रीय संगठन

*311. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकार ब्रिटेन के तट रक्षा संगठन की तरह समुद्र तट पर तलाश तथा बचाव कार्यों के लिये एक केन्द्रीय संगठन बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसको मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारत में समस्त तटीय प्रदेश के लिये अक्षांश 8° उत्तर से 23° उत्तर (दोनों सहित) के लिये वायु/सागर खोज और उद्धार संगठन की स्थापना की गई है। इसके प्रकार्य यू० के० में कोस्ट गार्ड सरविस के समान हैं। इस प्रयोजन के लिये दूसरा संगठन स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधिन नहीं है।

(ख) यह संगठन 8° उत्तर से 23° उत्तर के बीच में समस्त तटीय प्रदेश के निकटस्थ सागर में समस्त खोज और उद्धार चालनो से समन्वय करने के लिये उत्तरदायी है। कार्यकारी नियंत्रण के लिये समस्त प्रदेश को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है यथा, बम्बई क्षेत्र, कोचीन क्षेत्र, मद्रास क्षेत्र और कलकत्ता क्षेत्र।

प्रदीप बन्दरगाह

*312. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रदीप बन्दरगाह को एक बड़ा बन्दरगाह घोषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बन्दरगाह को किन शर्तों पर अपने अधिकार में लिया है;

(ग) क्या ऐसे अधिकारि यों की, जों कि राज्य सरकार के अधीन सेवा में थे, पुनः नियुक्त करते समय उनके आचरण के बारे में पूरी जांच की गई थी तथा क्या किसी पुलिस रिपोर्ट, जैसे केन्ीय जांच विभाग के रिपोर्ट की भी ध्यान में रखा गया था; और

(घ) भारत सरकार ने कितने और किनकिन अधिकारियों को सेवा में रहने दिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अभी नहीं।

(ख) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4680/65]**

लाख विकास निगम

*313. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री रविन्द्र वर्मा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **खाद्य** और **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लाख विकास निगम स्थापित करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका कार्यक्षेत्र तथा कृत्य क्या होंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) लाख विकास निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने केन्द्रीय पण्य समितियों (जिसमें इंडियन लैक सैस कमेटी भी शामिल है) के पुनगठन के हेतु योजना को कार्यान्वित करने के लिए और बातों के साथ-साथ लाख सम्बन्धी एक विकास परिषद् स्थापित करने का निर्णय किया है।

(ख) लाख सम्बन्धी यह विकास परिषद् लाख के विकास, विपणन तथा निर्यात सम्बन्धी सभी मामलों में सरकार को सलाह देगी।

खाद्यान्नों का समाहार

*314. **श्री हेमराज :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री वारियर :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेधे :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री रामपुरे :
श्री कनकसवै :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री गुलशन :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षित अन्न भंडार बनाने के लिये इस वर्ष 15 अगस्त तक, राज्यवार, विभिन्न मिस्मों के खाद्यान्नों का कितना समाहार किया गया है, और

(ख) गत एक वर्ष में विदेशों से विभिन्न किस्मों के खाद्यान्नों का कितना आयात किया गया तथा उसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति केवल मात्र समीकरण भण्डार तैयार करने के लिये नहीं की जाती है। देश में से खरीदे गये और विदेशों से आयात किये गये खाद्यान्नों में से कमी वाले राज्यों को वितरण करने के बाद केन्द्रीय सरकार के पास जो खाद्यान्न शेष रह जाते हैं उसे भारत सरकार का आरक्षित भण्डार समझा जाता है।

(ख) जुलाई, 1965 तक पिछले 12 महीनों में अन्य देशों से भारत में 74 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों का आयात हुआ। इन खाद्यान्नों की अनुमनित लागत और भाड़े का मूल्य 304 करोड़ रुपये है।

कृषि जन्य पदार्थों के मूल्य सम्बन्धी नीति

*315. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जून, 1965 में मध्य प्रदेश में हुई सहकारी समितियों सम्बन्धी गोष्ठी में बोलते समय कृषिजन्य पदार्थों के मूल्यों तथा पी० एल० 480 के अन्तर्गत किये जाने वाले आयात सम्बन्धी नीति के बारे में अपना असंतोष व्यक्त किया था;

(ख) यदि हां, इन मामलों में सरकार की राय क्या है; और

(ग) उन्होंने इस स्थिति को ठीक करने के लिये यदि कोई सुझाव दिये हैं तो वे क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) (क) से (ग) : जून, 1965 में मध्य प्रदेश में हुई सहकारी समितियों की गोष्ठी में भाषण करते हुए मैंने सरकार की देश में कृषि उपज बढ़ाने की निति दोहराई थी ताकि यथा शीघ्र आत्म-निर्भरता प्राप्त हो और विदेशी आयातों पर निर्भरता समाप्त हो। मैंने इस बात पर भी जोर दिया था कि उपज बढ़ाने के लिये कृषि उत्पादकों को पारिश्रमिक फार्म भाव किये जाएं। मैंने जो विचार व्यक्त किये थे उनसे इन मामलों में सरकार की नीतियों को पुनः बल मिला।

कलकत्ता दुग्ध योजना

*316. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री रा० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री बसुमतारी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को दूध का पाउडर आयात करने के लिए कोई लाइसेंस न देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि राज्य सरकार के डेरी फार्म द्वारा चलाई जाने वाली कलकत्ता दुग्ध योजना बन्द होने ही वाली है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले पर पुनर्विचार करन का इरादा है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

अन्तर्राज्यिक सडक परिवहन निगम

*317. **श्री रा० बरुआ :**
श्री वारियर :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ चुने हुए राष्ट्रीय राजपथों पर, लम्बे मार्गों पर, परिवहन सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये एक अन्तर्राज्यिक सड़क परिवहन निगम स्थापित करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्थापना की मुख्य बातें क्या हैं,

(ग) क्या राज्य सरकारें इस प्रस्ताव से सहमत हैं, और

(घ) निगम के कब तक स्थापित होने की संभावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (घ) : केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड के अलावा जिसे सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में माल सेवायें चलाने के लिये स्थापित किया है, अन्य क्षेत्रों में चलाने के लिये वैसा ही एक संगठन स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अभी तक उस पर अन्तिम फैसला नहीं किया गया है।

देहाती सडकों के विकास के लिए डीजल तेल पर अधिभार

*318. **श्री नरेन्द्र सिंह :**
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार डीजल तेल पर प्रति मीटर लगभग तीन पैसे अतिरिक्त अधिभार लगाने का है ?

(ख) क्या इस अधिभार से प्राप्त होने वाली राशि देहाती सड़कों के विकास के लिये प्रयोग में लाई जायेंगी; और

(ग) यदि हां तो किस प्रकार ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : शायद माननीय सदस्य मैसूर में 27 और 28 जुलाई, 1965 को हुई परिवहन विकास परिषद् की बैठक में हुए विचार विमर्श का उल्लेख कर रहे हैं। परिषद ने अन्य बातों के साथ साथ ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए धन देने के लिए एक अव्ययगत (नान लैप्सेबल) ग्रामीण सड़क निधि स्थापित करने का प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। उस संबंध में इस प्रश्न कि तीव्र गति डीजल तेल पर ढाई आना प्रति गैलन सरचार्ज लिया जाय, पर भी विचार हुआ।

2. परिषद् ने इन प्रस्ताओं पर विचार किया और सिफारिश की कि ग्रामीण सड़कों के लिए एक पृथक निधि अति आवश्यक है और यथा संभव शीघ्र स्थापित की जानी चाहिए। जहां तक इस निधि के लिए धन प्राप्त करने के साधन का संबंध है परिषद ने सिफारिष की, कि क्या इस निधि के लिए राजस्व डीजल तेल पर सरचार्ज के प्रस्तावित कर से प्राप्त करना चाहिए या अन्य प्रकार से यह प्रश्न संबंधित अधिकारियों

द्वारा जांच करने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। अब इस मामले के बाबत आयोजना आयोग और वित्त मंत्रालय से बातचीत करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली के लाल किले में प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम

*319. **श्री कपूर सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाल किला, दिल्ली में हाल ही में आयोजित किये गये प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम में महात्मा गांधी का नाम लाने के लिये 100,000 से अधिक रुपये की राशि खर्च की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इतनी अधिक सरकारी राशि खर्च करने के सही कारण क्या है?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : कार्यक्रम के पुनरीक्षण पर 90,000 रुपये खर्च किये जा रहे हैं। इस किस्म का कलापूर्ण कार्यक्रम यह पहला था और इसके अत्यधिक लोकप्रिय और वाणिज्यिक तौर पर सफल सिद्ध होते हुए भी इसके प्राविधिक और नाटकीय उपस्थापन में सुधार करने की आवश्यकता उन लोगों ने जिन्होंने इसे प्रस्तुत किया है तथा समालोचकों ने अनुभव की है। इन सुधारों में संक्षेपतः ये बातें आती हैं--दीवाने खास की दाहनी ओर की रंगमहल नाम की सुन्दर इमारत को कार्य और रोशनी के फोकस् में लाना। बाद के मुगल बादशाहों से संबंधित दृश्यों को पुनः निर्माण करना, विशेषकर बहादूरशाह की परीक्षा (ट्राइल) गदर और आई० एन० ए० की पेशियां और स्वतंत्रता आंदोलन को पुनरीक्षण में महात्मा गांधी का नाम और आवाज शामिल होगा क्योंकि उस समय की घटनाओं से संबंधित कार्यक्रम में उसे होना ही चाहिये। परन्तु पुनरीक्षण करने का यह मुख्य कारण नहीं था। नया कार्यक्रम संभवतः और अधिक सफल सिद्ध होगा और आशा की जाती है कि वह लगातार दो वर्ष तक चलेगा।

गेहूं के दाम

*320. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

श्री गलशन :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छी फसल होने के बावजूद समूची दिल्ली तथा पंजाब भर में गेहूं के दाम बढ़ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) (क) जी हां। दिल्ली और पंजाब में जून, 1965 के मध्य में गहूं के भावों में बढ़ोतरी का रुख देखा गया था।

(ख) 1964-65 के उपज में हुई वृद्धि से गत दो वर्षों में उपज में हुई कमी के संचयी प्रभाव पर काबू नहीं पाया जा सका क्योंकि अतिरिक्त उपज का एक भाग स्टाक की क्षतिपूर्ति में खप गया था। भावों में वृद्धि के कारण जनसंख्या और प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि से घरेलू मांग में बढ़ोतरी और उत्पादकों तथा व्यापारियों की जमाखोरी की प्रवृत्ति है। गत दो वर्षों में लगातार फसल अच्छी न होने से लोगों में जो अभाव की भावना पैदा हो गयी है उससे और चालू वर्ष में मानसून के देर से आने से स्थिति और भी गम्भीर हो गयी है।

चीनी मिलों का आधुनिक ढंग का बनाया जाना

*321. **डा० महादेव प्रसाद :**
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 17 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिलों को आधुनिक ढंग का बनाने तथा चीनी की उत्पादन लागत के प्रश्नों पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : समिति ने हाल ही में जो अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की है, उसमें चीनी कारखानों के पुनः स्थापन और आधुनिकीकरण के सम्बन्ध म की गयी सिफारिशें सभा के पटल पर रखी जाती हैं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०–4681/65]** रिपोर्ट पर विचार हो रहा है।

चीनी जांच आयोग, द्वारा चीनी की उत्पादन लागत की जांच की जा रही है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

Delhi State Central Co-operative Stores

*322. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Community Development** and **Co-operation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1147 on the 4th May, 1965 and state the further progress made in regard to police report on the serious irregularities in the business of the Delhi State Central Co-operative Stores?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Co-operation (Shri B. S. Murthy) : Investigation by the Central Bureau of Investigation regarding sale of substandard coal by the Store is nearing completion and their report is awaited.

केरल में राशन-व्यवस्था

*323. **श्री वारीयर :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री प्रभातकार : **श्री मुहम्मद कोया :**

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कानूनी तौर पर राशन व्यवस्था जारी करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है, और

(ख) यदि हा, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान निर्णय केरल में सांविधिक राशन-व्यवस्था लागू न करने का है।

खाद्य नीति

*324. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री हेमराज :
श्री बागड़ी :
श्री हेडा :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बासप्पा :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री रा० बरुआ :
श्री मधु लिमये :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री रामसेवक यादव :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती मैमुना सुल्तान :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री रामपुरे :
श्री राम सहाय पाण्डे :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री वे० शि० पाटिल :
श्री मा० ल० जाधव :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य नीति का पुनर्विलोकन करने के लिये हाल ही में बंगलौर में मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या निर्णय किये गये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखीये संख्या एल. टी.-4682/65 ।]**

कोचीन पत्तन में जहाजों से अनाज उतारना

*325. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन पत्तम में जहाजों से आनाज उतारने का काम अब भी बहुत धीमी गति से होता है और परिणामतः सरकार प्रतिमास बिलम्ब शुल्क में भारी रकम देती है;

(ख) यदि हां, तो जून और जुलाई 1965 में कोचीन पत्तन में कितने जहाज आये, और

(ग) उनमें से कितने जहाजों से आनाज उतारने में बिलम्ब हुआ और उस कारण केन्द्रीय सरकार को कितनी राशि विलम्ब शुल्क के रूप में देनी पड़ी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखीये संख्या एल० टी०-4683/65 ।]**

गोआ में आम चुनाव

*326. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बासप्पा :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, गोवा को महाराष्ट्र में मिलाने के प्रश्न पर, इस वर्ष नवम्बर में, गोआ में नये आम चुनाव करवाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां तो यह निर्णय किन कारणों से किया गया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना

*327. **श्री वारियर :**
श्री प्रभात कार :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन के जहाज बनाने के दूसरे कारखाने का कार्य-क्षेत्र बढ़ाने की दृष्टि से, इस परियोजना के प्लान का संशोधन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हा, तो संशोधित प्लान कब तक तैयार हो जायेगा;

(ग) इस समय किस प्रकार का विस्तार करने का विचार किया गया है, और

(घ) निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) शिपयार्ड की उत्पादन क्षमता का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) और (ग) : (क) के उत्तर के कारण यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) शिपयार्ड की परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के और सरकार द्वारा अनुमोदित तथा मित्सूबिशी हैवी इन्डसट्रीज लि० जापान से समझौता हो जाने के बाद शिपयार्ड बनाने की कार्यवाही की जायेगी।

खरीफ की उपज

*328. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष देश में, विशेषकर उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में, जहां सूखा पड़ा है, खरीफ की फसल अच्छी होने की सम्भावना काफी कम हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बीज बोने से पहले किसानों को उर्वरक भी नहीं दिये जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस मौसम में, सामान्यतः देश में और विशेषकर उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में, खरीफ की फसल की कितनी हानि तथा कमी होनी की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) यह ठीक है कि मानसूनों के आगमन में देरी होने तथा अपर्याप्त वर्षा होने के कारण विशेषकर उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। परन्तु अगस्त के तीसरे सप्ताह में हुई वर्षा से खड़ी फसलों को लाभ पहुंचा है और अब फसलों की संभावनायें उज्वल हो गई है।

(ख) अमरीका में गोदी मज़दूरों की हड़ताल होने तथा एफ० ए० सी० टी० अल्वई तथा रूरकेला में उत्पादन में कमी होने के कारण सप्लाई में विलम्ब होने से कृषकों को उर्वरक सप्लाई करने के मार्ग में कठिनाइयां उपस्थित हुई।

(ग) इस समय यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि वर्त्तमान वर्ष की अवधि में खरीफ फसल का उत्पादन कितना होगा।

पश्चिमी तट नहर

1071. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बडागारा से मई तक पश्चिमी तट नहर बनाने के बारे में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) योजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) अब तक कितना धन व्यय किया गया है; और

(घ) नहर कब तक तैयार हो जायेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : राज्य सरकार द्वारा मिली सूचना के अनुसार :

(क) रीच 3 बी और 3 सी पर नहर का निर्माण कार्य ठीक तरह किया जा रहा है। रीच 3 डी, 3ए और 3 बी पर निर्माण कार्य का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(ख) योजना की वर्तमान पुनरीक्षित प्राक्कलित लागत 68 लाख रुपया है।

(ग) जून 1965 के अन्त तक व्यय की हुई राशि 9.25 लाख रुपये थी, और

(घ) नहर के चौथी योजना तक पूरा हो जाने की आशा है।

दिल्ली में हरिजनों के लिये मकान

1072. श्री राम हरख यादव : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र के हरिजनों को चालू पंचवर्षीय योजना में अब तक कितनी राज सहायता दी गई है;

(ख) इस धनराशि के व्यय का ब्यौरा क्या है और राज सहायता से बनाए गये मकानों की संख्या क्या है; और

(ग) योजना के अन्तिम वर्ष में कितनी राज सहायता दी जायेगी ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) 9,64,794 रुपये ।

(ख) वर्ष	बनाये गये मकानों की संख्या	व्यय की गई धनराशि रुपये
1961-62	385	2,69,400
1962-63	392	2,89,000
1963-64	..	92,500
1964-65	600	2,49,900
1965-66 (जुलाई, 65 तक)	..	63,994
कुल	1,377	9,64,794

(ग) 2.50 लाख रुपये ।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

1073. श्री राम हरख यादव : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सीमावर्ती पिछड़े क्षेत्रों में हुई प्रगति का अनुमान लगाने के लिये एक पुनर्विलोकन समिति नियुक्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होगा ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं । संभवतः माननिय सदस्य का तात्पर्य इस विभाग में स्थापित किये गये पहाडी क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी कार्यकारी दल से है । यदि ऐसा है तो सरकार ने, योजना आयोग के कहने पर, खादी तथा ग्रामोद्योग, दस्तकारी तथा पिछड़े वर्गों के विकास, पहाड़ी क्षेत्रों के कल्याण सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के समन्वय और एकीकरण के लिये, जहां तक सामाजिक सुरक्षा विभाग का 15 वर्ष के लिये मैक्रो आब्जेक्टिव के लिये सम्बन्ध है, जिसका चौथी पंचवर्षीय योजना पर तत्काल आसर पड़े विस्तृत प्रस्ताव बनाने के लिये एक अन्तर्विभागीय कार्यकारी दल स्थापति किया है ।

(ख) कार्यकारी दल के व्यक्तियों के नाम निम्न प्रकार हैं;

(1) श्री एस० सी० सेन गुप्ता, संयुक्त सचिव, सामाजिक सुरक्षा विभाग, नई दिल्ली--सभापति ।

(2) श्री के० ए० पी० स्टीवेन्सन, संयुक्त सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली--सदस्य

(3) श्री सी० डी० छपतवाल, निदेशक, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई-56--सदस्य

(4) श्री डी० श्रीनीवासन, दस्तकारी, निदेशक, अखिल भारत दस्तकारी बोर्ड, नई दिल्ली–11—सदस्य ।

(5) श्री के० वेंकटारामन, सहायक लेखा अधिकारी, सामाजिक सुरक्षा विभाग, नई दिल्ली—सदस्य सचिव ।

(ग) प्रतिवेदन को इस वर्ष के अन्त तक अन्तिम रुप दिये जाने की आशा है ।

काजू का उत्पादन तथा निर्यात

1074. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितने एकड़ भूमि में काजू की खेती हो रही है;

(ख) पिछले दो वर्षों म काजू का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या भारत काजू साफ करने के कारखानों की आवश्यकता के मामले में आत्म-निर्भर है;

(घ) यदि नहीं, तो आत्म-निर्भर बनाने के लिये क्या योजनायें हैं;

(ङ) देश कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा;

(च) पिछले दो वर्षों में देश में कच्चे काजू का प्रतिवर्ष कितना आयात हूआ; और

(छ) पिछले दो वर्षों में काजू का प्रतिवर्ष कितना निर्यात हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) 1963–64 के अन्त तक कुल 9,88,178 एकड़ भूमि को काजू की खेती के अन्तर्गत लाया गया है ।

(ख) 1963-64 में 1,36,000 मीटरी टन ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) काजू की मांग को पूरा करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केरल, मैसूर, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गोआ के चुने हुए क्षेत्रों में अधिक भूमि को काजू की खेती के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है । चतुर्थ योजना की अवधि में 4.5 लाख एकड़ भूमि को काजू की खेती के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है । उपरोक्त राज्यों में विकास सम्बन्धी योजनायें, जिनमें फसलों के लिए ऋण देना, लीज़ पर भूमि देना, बुवाई के लिए सामग्री उपलबध करना आदि शामिल है, जारी हैं ।

(ङ) समस्त रोपाई गत क्षेत्र उपज देने लग जाने पर, संम्भवत: (1980 तक) आत्म-निर्भरता की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।

(च) 1963—1,64,369 टन (कच्चे काजू) 1964—1,70,315 ।

(छ) 1963—53,394 मीटरी टन, 1964—52,645 मीटरी टन (गिरी) ।

इलायची का उत्पादन

1075. श्री अ० क० गोपालन : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से इलायची का उत्पादन कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसका मुख्य कारण इलायची बागानों में "कुट्टी" नामक रोग का फैल जाना था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) 1955-56 से 1961-62 के दौरान इलायची का उत्पादन लगभग 3,000 टन प्रतिवर्ष पर सुस्थिर रहा। 1962-63 तथा 1963-64 में उत्पादन क्रमशः 3,430 और 4,130 टोन्ज़ बढ़ा, लेकिन 1964-65 में 2200 टोन्ज़ घटा।

(ख) तथा (ग) : 1964-65 में उपज में कमी अधिकतर मौसम की खराबी और कुछ हद तक "कुट्टी" रोग के फैलने के कारण हुई।

(घ) भारत सरकार ने पहले ही इस समस्या पर काबू पा लिया है और मैसूर राज्य में 'कुट्टी' रोग के उन्मूलन के लिए एक व्यापक योजना स्वीकृत की है जिसने 27-2-1965 से काम करना भी शुरू कर दिया है। मैसूर के लिए जो योजना स्वीकृत हुई है उसमें ये सामिल हैं (1) रोगग्रस्त पौदों का सर्वे तथा स्थिति निश्चय करना, (2) रोगग्रस्त झुन्डों को उखाड़ना और रोगमुक्त पौदों का रोपण करना, (3) पोषक पौदों और रोगवाहक कीटों को नष्ट करने के लिये सामयिक पौद रक्षा उपायों को अपनाना।

इस योजना के अन्तर्गत अच्छे पौदों की सप्लाई बिना मूल्य की जायेगी। केरल राज्य में क्रियान्वित करने के लिए ऐसी ही योजना बनाई जा रही है। चौथी योजना के दौरान इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। केरल और मैसूर में इलायची के लिए मौजूदा अनुसन्धान केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने का भी प्रस्ताव है ताकि उपज को बढ़ाने और रोगों को दूर करने के लिए अनुसन्धान कार्य को तीव्र किया जा सके।

केरल में जापानी पोदीने की खेती

1076. श्री अ० क० गोपालन : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी पोदीने की खेती करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये केरल की मिट्टी तथा जलवायु अनुकूल है; और

(ग) क्या सरकार का विचार केरल में बड़े पैमाने पर इसकी खेती करने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) केरल सरकार 1965-66 की अवधि में 5 एकड़ भूमि में जापानी पोदीने की खेती करने के लिये एक मार्गदर्शी योजना तैयार कर रही है।

(ख) इस समय तक जो अध्ययन हुए हैं उनसे पता चलता है कि फसल केरल राज्य के कुछ क्षेत्रों में उगाई जा सकती है।

(ग) यदि मार्गदर्शी योजना सफल रही तो केरल में एक बड़े स्तर पर पोदीने की खेती करने के बारे में विचार किया जायेगा।

भू-संरक्षण

1077. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भू-संरक्षण काम के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य को कितनी राशि नियत की गई;

(ख) इसमें से अब तक कितनी राशि उपयोग में लाई गई;

(ग) कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया;

(घ) क्या सरकार को पता है कि भू-संरक्षण काम में प्रशिक्षित राज्य के व्यक्तियों को गैर-भू-संरक्षण काम पर लगाया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) 120.00 लाख रुपये।

(ख) 55.80 लाख रुपये (31 मार्च, 1965 तक)।

(ग) राज्य सरकार आशा करती है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भूमि संरक्षण के लिये दिये गये समस्त धन का उपयोग हो जायेगा।

(घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अब तक 55 व्यक्तियों को भूमि संरक्षण में प्रशिक्षत किया गया है; उनमें स 23 व्यक्तियों को नियमित भूमि संरक्षण विभागों में और 4 को वन विभागों में नियुक्त किया गया है क्योंकि वन विज्ञान तथा भूमि संरक्षण का परस्पर सम्बन्ध है और वनपालकों के लिये भी भूमि संरक्षण का ज्ञान होना आवश्यक है।

25 व्यक्तियों को कृषि विभाग में नियुक्त किया गया है क्योंकि कृषकों को भूमि संरक्षण तथा भू-विज्ञान के विषय में उपयुक्त ढंग से परामर्श देने तथा मार्गदर्शन के लिये विस्तार कार्य के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवा की आवश्यकता थी। राज्य सरकार कृषि विभाग में इन व्यक्तियों की नियुक्ति आवश्यक समझती है।

तीन ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ है, सार्वजनिक निर्माण विभाग में वापिस भेजना पड़ा क्योंकि भूतपूर्व कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अनुभाग में खाली स्थान उपलब्ध न थे।

(ङ) केन्द्रीय वित्तीय सहायता के मौजूदा प्रतिमान के अन्तर्गत राज्य सरकारों को वेतन तथा भत्तों तथा प्रशिक्षार्थियों के अध्ययन दौरों के व्यय का 50 प्रतिशत उपदान के रूप में मिल सकता है। भूमि संरक्षण कार्य के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों को उपरोक्त उपदान दिया जाता है। यह उपदान एक ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् दिया जाता है कि संबंधित व्यक्तियों को अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात् कार्य पर रखा गया था। जिन व्यक्तियों को संरक्षण कार्य पर नहीं लगाया जाता उनके लिए कोई उपदान नहीं दिया जाता।

केरल के वनों से किसानों की बेदखली

1078. श्री अ० क० गोपालन : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के त्रिचूर और चालक्मूडि फारेस्ट डिवीज़न में किसानों को, जो पन्द्रह से बीस साल से खेती करत रहे हैं, बदखली के नोटिस दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन किसानों को बदले में दूसरी भूमि देने का है; और

(ग) क्या किसानों को उनकी खेती के लिए प्रतिकर भी दिया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

चम्बल घाटी के लिये योजना

1079. श्री राम हरख यादव : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बल घाटी (रेवीन) का विकास करने के लिये योजनाओं पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ख) इसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकार का अंशदान कितान-कितना होगा ?

खाद्य तथा कृषि-मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) चम्बल घाटियां मुख्यतया मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में होती हैं । घाटियों के सुधार के लिये योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा शरू की जाती हैं । तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं के लिये मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सरकारों में से प्रत्येक ने 10 लाख रुपये की व्यवस्था की है । इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में चम्बल घाटियों के सुधार के लिए गत वर्ष 22.46 लाख रुपये की लागत पर एक पायलट प्रोजक्ट का भी अनुमोदन किया गया है ।

योजना के प्रथम तीन वर्ष अर्थात् 1961-64 में मध्य प्रदेश में 3.84 लाख रुपये और राजस्थान में 2.6 लाख रुपये खर्च हुए । 1964-65 के खर्च के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त केंद्रीय आयोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत तीसरी योजना में घाटियों वाले क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है । प्रथम तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 0·26 लाख रुपये और 0·61 लाख रुपये क्रमश: मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में खर्च हुए ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान घाटियों के सुधार सम्बन्धी योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता 50 प्रतिशत ऋण तथा 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में है जिसे केन्द्र तथा राज्य बराबर बराबर वहन करेंगें ।

घाटियों के सर्वेक्षण के लिये 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है ।

केरल में दस्तकारी का विकास

1080. श्री मे० क० कुमारन् : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में दस्तकारी के विकास की काफी गुंजायश है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या दस्तकारी के सामान का देश तथा विदेशों में व्यापार बढ़ाने के लिये सरकार की कोई योजना है;

(घ) क्या सरकार का केरल के लिये एक दस्तकारी विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) दस्तकारी के विकास की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है जो स्वयं अपनी योजनायें बनाते हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिये वित्तीय सहायता देती है। इसके अतिरिक्त, अखिल भारत दस्तकारी बोर्ड और देश के विभिन्न भागों में स्थित इसके प्रान्तीय कार्यालय राज्य सरकार, दस्तकारी उद्योग, व्यक्तिगत कारीगर और व्यापारियों की विभिन्न प्रकार से सहायता करते हैं। बोर्ड, अपने प्रान्तीय कार्यालयों के जरिये क्षेत्रों का समय समय पर दौरा करके और राज्य सरकारों को अपने सुझाव देकर राज्य सरकारों की योजनायें बनाने और उनके सफल क्रियान्वयन में सहायता करता है। प्रान्तीय कार्यालयों द्वारा जो अन्य प्रकार की सहायता की जाती है, वह है :

1. डिज़ाइन एक्सटेन्शन सेवा।
2. आर्थिक और दस्तकारी सर्वेक्षण करना।
3. दस्तकारी का पुनरुज्जीवन।
4. कारीगरों द्वारा प्राचीन प्रकार की नई वस्तुएं बनाना।
5. ऐसी वस्तुएं बनाने में व्यापारियों की सहायता करना।
6. ठीक प्रकार के नमूने एकत्र करना और उन्हें उत्पादन के काम में लगाना।
7. जहां कहीं सम्भव हो, नमूने निर्धारित करना।
8. अच्छी किस्म के सामान बनाने में सहायता करना।
9. अच्छे औजार और तकनीक इस्तेमाल करना।
10. कच्चे माल का समाहार।
11. देश में और विदेश में दस्तकारी के सामान को बेचना।
12. निर्यातकों को नियम आदि बता कर और निर्यात संवर्द्धन कार्यक्रम द्वारा सहायता करना।
13. प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने में सहायता करना।
14. प्रदर्शनियों में भाग लेना और उनका आयोजन करना।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को 8.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य के लिये 35 लाख रुपये नियत किये गये हैं।

अखिल भारत दस्तकारी बोर्ड के दक्षिणी प्रान्तीय कार्यालय ने राज्य में 'बेल मेटल' उद्योग का आर्थिक सर्वेक्षण किया और हाथी दांत, लकड़ी पर कसीदाकारी, सींग से सामान बनाना और बेल मेटल के बारे में मज़री-सर्वेक्षण किया। प्रान्तीय कार्यालय ने केरल में दस्तकारी व्यापारियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की ताकि उनको निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के बारे में बताया जा सके और उनकी आवेदनपत्र आदि भरने में सहायता की जा सके। उस कार्यालय के केरल की सरकार और राज्य में दस्तकारी के संवर्द्धन से सम्बन्धित अन्य सभी से लगातार सम्पर्क है।

(ग) राज्य सरकार के राज्य में पांच एम्पोरियम हैं। एक एम्पोरियम मद्रास और एक नई दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली स्थित एम्पोरियम का विस्तार करने का प्रस्ताव है जिस के लिये एक

नया भवन बनाया जाएगा। इतने समय में भारत सरकार ने थियेटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग में कुछ जगह दी है। त्रिवन्द्रम स्थित एस० एम० एस० एम० इन्स्टीट्यूट ने अपनी एम्पोरियम को बढ़ाया है। नई दिल्ली में केरल की दस्तकारी की एक प्रदर्शनी की गयी। देश भर में, जिसमें केरल भी शामिल है, हर वर्ष हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाता है। उत्पादन और बिक्री को लोकप्रिय बनाने के लिये चलती फिरती प्रदर्शनियों और प्रचार की भी व्यवस्था की जा रही है जिनमें 'न्योन साइन' भी होंगे।

मई, 1965 में अखिल भारत दस्तकारी बोर्ड ने एर्णाकुलम में केरल की दस्तकारी के लिये एक 'मार्केटिंग क्लिनिक' का आयोजन किया जहां उनके लिये व्यापक मंडी का पता लगाने के सभी पहलुओं का अध्ययन किया गया।

राज्य सरकार और भारत सरकार के इन सब प्रयत्नों से धीरे धीरे राज्य की दस्तकारी वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि हुई है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	बिक्री
1960-61 . . .	2.65 लाख रुपये
1961-62 . . .	2.97 लाख रुपये
1962-63 . . .	3.49 लाख रुपये
1963-64 . . .	4.98 लाख रुपये
1964-65 . . .	6.49 लाख रुपये

(घ) और (ङ) : राज्य सरकार का ऐसा संगठन बनाने का एक प्रस्ताव है। तथापि, वर्तमान स्थिति का पता नहीं है।

केरल के दस्तकार

1081. श्री मे० क० कुमारन : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के दस्तकारों को कच्चे माल के रूप में हाथी दांत मिलने में हो रही कठिनाईयों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में अनिर्मित हाथी दांत का आयात करनेवाले दिल्ली और बम्बई के बिचौलियों द्वारा कारीगरों का शोषण किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार कच्चे माल का आयात तथा निर्मित माल का निर्यात करने वाले एकाधिकारी बिचौलियों द्वारा शोषण समाप्त करने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) सरकार को पता है कि केरल समेत भारत के विभिन्न भागों में हाथी दांत से सामान बनाने वाले उद्योग के इस्तेमाल के लिये हाथी दांत की कमी है।

(ख) और (ग) : बिचौलियों द्वारा दस्तकारों के शोषण के बारे में सरकार को पता नहीं है। हाथी दांत को हण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड द्वारा आयात किया जाता है और इसका वितरण हाथी दांत के दस्तकारों और वास्तविक उपभोक्ता ों को, जो आवेदन करें, अखिल भारत दस्तकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है। हाथी दांत से सामान बनाने वाल निर्यातकर्त्ताओं को दिये गये लाइसेंसों पर भी हाथीदांत के आयात की अनुमति दी जाती है। आयात किये गये हाथी दांत का विक्रय-मल्य आयात-मूल्य की अपेक्षा अधिक है। दस्तकारों को हाथी-दांत देने के बारे में स्थिति सुधारने के लिये कदम उठाने पर विचार किया जाता है।

राजस्थान में सामुदायिक विकास खण्ड

1082. श्री कर्णी सिंहजी : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार को सामुदायिक विकास खंडों के लिये 1964–65 में कुल कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) इस राज्य सरकार को इस कार्य के लिये 1965–66 में देने के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) :

		ऋण	अनुदान	योग
(क) 1964-65	(दी गई धनराशि) .	72.19	109.06	181.25
(ख) 1965-66	(नियत की गई धनराशि) .	76.31	116.19	192.50

पार्श्विक सड़क विकास योजना

1083. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पार्श्विक सडक विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1965–66 तथा 1966–67 में भारतीय सीमा पर स्थित बिहार के सीतामढ़ी सब-डिवीजन में किन-किन सड़कों का विकास किया जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : पार्श्व सड़कें जिनका निर्माण भारत सरकारने अपने हाथ में लिया है, बिहार राज्य में गोपालगंज, पिपराकोठी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराई, पूर्निया, अरारिया, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और गलगेलिया शहरों से होकर गुजरेंगी। इसके अलावा बिहार में निम्न स बनायी जायेंगी :—

1. सगौली से वेटिशा
2. मुजफ्फरपुर से दरभंगा
3. अरारिया से फोरबेसगंज और आगे मरीचा तक।

पार्श्व सड़क और मुजफ्फरपुर–दरभंगा सडक का एक सेक्शन, पिपराकोठी–मुजफ्फरपुर-बेगूसराई और मुजफ्फरपुर–दरभंगा सड़क मुजफ्फरपुर जिले में पड़ते हैं। परन्तु सीतामढ़ी सब-डिवीजन में उनमें से कोई नहीं पड़ती है।

जिन क्षेत्रों से होकर पार्श्व सडकें गुजरती हैं उनके विकास के संबंध में राज्य सरकार सीतामढ़ी सब-डिवीजन में सड़कें बना सकती हैं। ऐसी सड़कों का निर्माण राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है।

बम्बई बन्दरगाह पर जहाजों से माल का उतारा जाना

1084. श्री राम हरख यादव : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई बन्दरगाह पर अनेक माल वाहक जहाज कुछ समय तक घाट (बर्थ) के लिये प्रतीक्षा करते रहे;

(ख) यदि हां, तो उन जहाजों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें कितनी देर तक रुकना पड़ा;

(ग) क्या कुछ अनाज से लदे हुए जहाजों को भी वहां रुकना पड़ा; और

(घ) उन्हें रोके जाने के क्या कारण थे ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : बम्बई डाक में सामान्य माल के जहाजों को बर्थ प्राप्त करने में विलम्ब हो गया था और जन, जलाई और अगस्त महिनों की पन्द्रहवी तारीख तक उन्हें जो विलम्ब लगा उसकी संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) कुछ अनाज के जहाजों को अपेक्षाकृत थोड़े समय तक रोक लिया गया था। रोक दिये गये जहाजों की संख्या, डाक में बर्थ प्राप्त करने से पूर्व धारा में रोक जाने के समय को बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4684/65।**]

(घ) बम्बई पत्तन में जहाजरानी की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिये गहरी बर्थों की संख्या पर्याप्त नहीं है । अलेग्जन्ड्रा डेक की वर्तमान बर्थ अपनी अत्याधिक क्षमता पर पहुंच गई हैं । प्रिन्सिज और विक्टोरिया डाक्स, ज्वारभाटा वक है और गहरे डुबाव वाले जहाजों को ठहरने के योग्य नहीं हैं । प्रिन्सिज, विक्टोरिया और अलिग्जेंड्रिया इन तीन डाक्स में जो बर्थ हैं उनके आस पास घाटों की गहराई जब से वे बनाये गये आम तौर पर वैसी ही है । उनमें से एक 1880 में दूसरी 1888 में और अन्तिम 1914 में निर्मित किया गया था । यद्यपि द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद बड़े आकार के जहाजों का आवागमन बन्दरगाहों पर बढ़ गया । धीरे धीरे इस पत्तन पर आने जाने वाले जहाजों की संख्या में भी वृद्धि हो गई । इस वर्ष के शुरु में संयुक्त राज्य अमेरिका में लांग शोर मन्स की हड़ताल ने भी अस्थाई तौर पर जहाजों के कारण स्थिति को और गंभीर बना दिया ।

मौजूदा ट्रांजिट शेड बायर हौसिज़ और यार्ड स वर्तमान यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है । सन् 1951–52 में जब कि डाक में बन्दरगाह से 58 लाख टन माल का आयात और निर्यात हुआ उसके पश्चात् सन 1964–65 में बन्दरगाह से 73 लाख टन सामान का आयात और निर्यात हुआ । यातायात में इतनी वृद्धि हो जाने के बावजूद सन् 1914 से 1964–65 तक डाक्स में भौतिक सुविधा के रूप में एक ट्रान्जिट शेड, अलिग्जेंड्रा डाक पर शेड संख्या 17 और गैर निकासी किये माल के आगमन पर दिये एक वेयर हाउस, माल की वृद्धि हुई है ।

निर्यात व्यापार नियमों में जटिल होने के कारण डाक्स में सामान उतारने से संबंधित कागजोंके निपटाने में बहुत देर लगती है । इसके अलावा ट्रंक रेलवे डाक्स में उतारे गये सामान देश की अन्य जगहों तक पहुंचाने के लिये आवश्यक रालिंग स्टाफ देने में भी असमर्थ रहते हैं । इन सब बातों का प्रभाव उतारे गये सामान की निकासी पर पड़ता है और ट्रांजिट शेड और वेयर हाउस पर सामान जमा हो जाता है । जिसकी प्रतिक्रिया जहाजों के आवागमन में होती है ।

पिछले तीन सालों में इस बन्दरगाह से प्रतिवर्ष 20 लाख टन से कुछ अधिक अनाज का आयात ओर निर्यात हुआ । सिर्फ कुछ नगण्य माल को छोडकर बाकी सब माल टैंकरो द्वारा आयात किया जाता है जिनमें से अपनी लम्बाई के कारण बर्थ घेरता है । इसके कारण सामान्य माल के जहाजों के लिए बर्थो की कमी हो गई है ।

जहां तक अनाज के जहाजों का सम्बध है बहुत अधिक भीड़ के समय उन्हें 4 बर्थों में अगल बगल ठहरने की प्राथमिकता दी गई है किन्तु दुसरे सम्बन्धित अधिकारियों के सहयोग से इस बात का निश्चयन किया जाना है कि अनाज के लिये नियत दो बर्थ जिनमें माल उतारने की मशीन पहले ही लगी है, 10,000 हजार टन माल प्रति दिन लादे-उतारे । और इस तरह सामान्य माल के जहाजों के लिए बर्थो की अधिकतम संख्या उपलब्ध हो सके । शेल्स से सामान्य कारगो माल की निकासी में सुधार करने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

कुक्कुट परिष्करण कारखाना

1085. श्री राम हरख यादव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तुरन्त पकाने योग्य जमाए हुए चिज़ों की सप्लाई के लिय चंडीगढ़ में विदेशी सहयोग से एक कुक्कुट परिष्करण (पोल्ट्री प्रोस्सेसिंग) कारखाना खोला है;

(ख) यदि हां, तो कारखाना कब चालू हो जायेगा; और

(ग) इस कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या होगी और इस परियोजना में कितने प्रतिशत विदेशी पूंजी लगेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) और (ख) : पंजाब सरकार अमरीकी सहायता से चण्डीगढ़ में एक कुक्कुट परिष्करण (पोल्ट्री प्रोसेसिंग) संयंत्र की स्थापना कर रही है। आशा है कि यह संयंत्र 1965-66 के अन्त तक कार्य शुरू कर देगा।

(ग) इस संयत्र की उत्पादन क्षमता 500–600 पक्षी प्रति घण्टा है। इस परियोजना में विदेशी पूंजी नहीं लगी है।

Minor Irrigation Projects

1086. Shri D. S. Patil :

Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of grant given by the Centre to the Government of Maharashtra for the development of minor irrigation projects in the State during 1963-64 and 1964-65;

(b) whether this amount was utilised in full; and

(c) if not, the reasons therefore?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b). After the introduction of revised procedure for the release of Central financial assistance to the States from 1958-59 onwards, such an assistance is given broadly under specific Heads of Development and not sheme-wise. The assistance given to the States for the development of minor irrigation projects is included in the assistance given under the Head of Development *viz.* 'Agricultural Production including Minor Irrigation and Land Development', for which the information for the Maharashtra State is given below:

(Rs. in Lakhs)

Year	Grant provisionally released	Actual expenditure as finally adjusted
1963-64	120.25	107.31
1964-65	148.08	*

(c) The shorfall in expenditure during 1963-64 was due to (i) time required to build up and strengthen the organisation for accelerated implementation of the minor irrigation programme; and (ii) shortage of labour, particularly in the three districts of Nagpur, Bhandara and Chanda where a large-scale programme for renovation of tanks had been undertaken.

भोजन-व्यवस्था प्रौद्योगिकी तथा व्यवहारिक पोषाहार संस्था

1087. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित भोजन-व्यवस्था प्रौद्योगिकी तथा व्यावहारिक पोषाहार संस्था में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ख) क्या भोजन के मूल्य के अनुपात में भोजन के पोषक तत्वों में अन्तर रहता है ?

*Actual expenditure for 1964-65 has not yet become available.

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) होटल प्रबन्ध, भोजन-व्यवस्था और पोषाहार संस्था, नई दिल्ली में होटल प्रबन्ध, सामान्य भोजन प्रबन्ध और भोजन-व्यवस्था प्रौद्योगिकी में सम्बन्धित विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे भोजन बनाना, बिस्कुट आदि बनाना (बेकरी), स्वागत करना, प्रतीक्षा करना, लेखापालन और सम्बद्ध विषय, में व्यावसायिक प्रशिक्षण समेत प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्था होटल प्रबन्ध में त्रि-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम और अग्रिम चार-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देती है। संस्था में 17 सप्ताहों के लिये दस्तकारी का भी (1) बिस्कुट आदि बनाना और मिठाई बनाना, (2) भोजन बनाना, (3) होटल में स्वागत करना और लेखा-पालन, (4) रेस्टोरेंट और काऊंटर सेवा, और (5) डिब्बों में बन्द करना और खाद्य प्ररिरक्षण में भी प्रशिक्षण देती है।

(ख) भोजन में पोषक तत्व निश्चय ही भोजन के मूल्य से अनुपाततः भिन्न नहीं होते। खाद्य-पदार्थों में पोषक तत्व भिन्न भिन्न होते हैं और ढंग से चयन करके विभिन्न वस्थुओं को मिला कर भिन्न भिन्न मूल्य पर पोषक आहार लिया जा सकता है।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

1088. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा चलाई गई उपभोक्ता सहकारी समितियों की योजनओं में 1964-65 में संगठन के ढांचे सम्बन्धी परिवर्तन किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदीप बन्दरगाह

1089. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रदीप प्रयोजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने के उद्देश्य से उड़ीसा सरकार ने कितनी बार पर्यवेक्षण समिति बनाई; और

(ख) प्रत्येक समिति की कितनी कितनी बैठक हुई ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पांच बार।

(ख) प्रदीप पत्तन अधीक्षक समिति 19 जून, 1963 में गठित की गई थी। इसमें निम्न पदाधिकारी थे :—

1. मुख्य मंत्री, उड़ीसा	अध्यक्ष
2. मुख्य सचिव, उड़ीसा	सदस्य
3. उड़ीसा सरकार के सचिव, वित्त विभाग . . .	सदस्य
4. प्रदीप पत्तन परियोजना के मुख्य इंजीनियर प्रशासक, भुवनेश्वर .	सदस्य
5. उड़ीसा सरकार के अतिरिक्त सचिव, वाणिज्य (पत्तन) विभाग .	सदस्य-सचिव।

समिति की पहली बैठक 24 जुलाई, 1963 को हुई थी। 17 दिसम्बर, 1963 को समिति पुनर्गठित की गई। इसमें मुख्य मंत्री के स्थान पर योजना मंडल के अध्यक्ष ने अध्यक्षता की। और शेष अन्य पहले के समान ही रहे। इसकी दूसरी बैठक 28 जनवरी, 1964 को हुई।

15 अप्रैल, 1964 में समिति फिर से पुनर्गठित की गई। इसमें निम्न पदाधिकारी थे :—

1. योजना मंडल के अध्यक्ष	अध्यक्ष
2. उड़ीसा सरकार के मुख्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3. उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव	सदस्य
4. सरकार के सचिव, वित्तीय विभाग	सदस्य
5. प्रदीप पत्तन परियोजना के मुख्य-इंजीनियर तथा प्रशासक	सदस्य
6. उड़ीसा सरकार के अतिरिक्त सचिव, वाणिज्य (पत्तन) विभाग	सदस्य-सचिव
7. श्री एम० जी० हीरानन्दानी उड़ीसा सरकार के तकनीकी सलाहकार	सदस्य

यह समिति तीसरी और चौथी बार क्रमशः 24 जुलाई 1964 और 26 सितंबर 1964 में बठी।

2 दिसम्बर, 1964 को यह समिति पुनः पुनर्गठित की गई। इसमें उड़ीसा सरकार के अतिरिक्त सचिव वाणिज्य (पोत) विभाग के स्थान पर उड़ीसा सरकार के सचिव, वाणिज्य (पोत) विभाग सदस्य-सचिव बनाये गये। शेष सब तीसरी समिति के समान ही रहे। ये पांचवी बार 24 जनवरी, 1965 में मिले।

पिछली बार राज्य सरकार ने समिति को 27 मई, 1965 में पुनर्गठित किया। इसमें निम्न पदाधिकारी थे :—

1. मुख्य मंत्री, उड़ीसा	अध्यक्ष
2. वाणिज्य के उपमंत्री, उड़ीसा	उपाध्यक्ष
3. उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव	सदस्य
4. विकास आयुक्त, उड़ीसा	सदस्य
5. उड़ीसा सरकार के सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
6. प्रदीप पत्तन परियोजन के मुख्य इंजीनियर तथा प्रशासक, भुवनेश्वर	सदस्य
7. उड़ीसा सरकार के सचिव, वाणिज्य (पत्तन) विभाग	सदस्य-सचिव
8. श्री एम जी० हीरानन्दानी, उड़ीसा सरकार के तकनीकी सलाहकार	सदस्य

इस समिति की बैठक नहीं हुई क्योंकि परियोजना को भारत सरकार ने 1 जून, 1965 को अपने हाथ में ले लिया।

राजस्थान के भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण

1090. श्री विभूति मिश्र :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई और विद्युत् मंत्री जब जून के पहले सप्ताह में जयपुर में थे, तब राजस्थान के मुख्य मंत्री ने राजस्थान के भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण कराने के लिये उनसे प्रार्थना की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जब जून, 1965 में केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री ज्वाइंट सेन्ट्रल टीम आन एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स का दौरा करते समय जयपुर में थे, उस समय राजस्थान के भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण करने का प्रश्न उनके नोटिस में लाया गया था।

(ख) भारत सरकार ने एक निश्चित कार्यक्रम के आधार पर भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण करने की एक योजना तैयार की है जिसे राज्य सरकारें (जिसमें राजस्थान भी शामिल है) कार्यरूप देंगी ताकि ऐसे भूमिगत जल वाले क्षेत्रों को अंकित किया जा सके जहां पर कि "डग-वैल्स" "डग-कम-बोरड वैल्स" तथा कम गहरे नलकुओं द्वारा भूमिगत जल के निकास की काफी गुंजाइश मौजूद हो। राजस्थान सरकार ने भूमिगत जल के सर्वेक्षण तथा जांच के विषय में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की है। इस पर राज्य के तकनीकी अधिकारी के साथ विचार-विमर्श किया गया और उस विचार-विमर्श पर आधारित अन्तिम प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

कृषि जन्य उत्पादन

1091. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय कृषि जन्य उत्पादन दल ने प्रत्येक राज्य का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके दौरे का क्या परिणाम निकला ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) केन्द्रीय कृषि जन्य उत्पादन दल ने, (जिसने नागालैंड के अतिरिक्त समस्त राज्यों का दौरा करना था), आन्ध्र प्रदेश के अतिरिक्त समस्त राज्यों का दौरा किया था।

(ख) दलों ने मौजूदा योजना की अवधि में राज्यों में विभिन्न कृषि कायक्रमों की क्रियान्विति के विषय में अनेक सिफारिशें की हैं। उनकी सिफारिशों पर आगे केन्द्र तथा राज्य सरकारें उन पदों पर कार्यवाही कर रही है जिनसे उनका सम्बन्ध है।

भिखारियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना

1092. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का विचार भिखारियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना रोकने का है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार इस सम्बन्ध में एक केन्द्रीय कानून बनाने का प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो कानून कब तक पुर:स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(घ) क्या योजना आयोग ने भी इस मामले की जांच की है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (घ) : पूरा मामला सरकार और योजना आयोग के विचाराधीन है।

Exemption from payment of Land Revenue in Delhi

1093. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the flood affected villages of Delhi have been exempted from the payment of arrears of land revenue;

(b) if so, the names of such villages; and

(c) the amount of remission village-wise?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The flood affected villages of Union Territory of Delhi are being considered for remission of Land Revenue due under the rules.

(b) List of 151 villages which were usually affected by flood from 1954-55 to 1963-64 and that of 170 villages affected in 1964-65 are enclosed. **[Placed in the Library. See No. L.T.-4685/65.]**

(c) The amount of remission of Land Revenue village-wise, so far granted or proposed to ge granted in 43 villages are given in the lists enclosed. The amount of remission in other villages is being examined.

महानगरों के प्रयोजनार्थ दुमंजिली बसों के लिये विदेशी मुद्रा

1094. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास महानगरों के नागरिक प्राधिकारी को 100 दुमंजिली बसें आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता की परिवहन सेवाओं के लिये 1963 में यू० के० से 100 डबल डेक बस चेसियों के आयात करने का निश्चय किया गया था। संस्थानों को इनमें से कुछ बसें दी जा चुकी हैं और शेष दी जाने वाली हैं। नगर परिवहन संस्थान इस वर्ष अतिरिक्त डबल डेक चेसी आयात करना चाहते थे किन्तु विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के कारण इन चेसियों का और आयात करना संभव नहीं हो सका।

थम्बा से छोड़े गये राकेट

1095. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 मई, 1965 को थुम्बा से जूड़ी-डार्ट राकेट, जो कि इस क्रम में बारहवां था, छोड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राकेट का काम संतोषजनक था; और

(ग) इस राकेट ने उपरी वातावरण में वायु सम्बन्धी जानकारी कैसे प्राप्त की है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बारहवां 'जूडी-डार्ट राकेट' 19 मई, 1965 को छोड़ा गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विशिष्ट ऊंचाई पर पहुंच कर राकेट में से तांबे के फिलेमेन्ट्स वाला "चैफ़" निकला। राडार द्वारा ऊपर की वायु में इस "चैफ़" का पता लगाया गया।

Intensive Area centres

1096. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints regarding the working of the intensive area centres in various States;

(b) if so, the names of States from which complaints have been received; and

(c) the measures adopted by Government to avoid the misuse of Government money by these centres?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Shri Jaganatha Rao) : (a) and (b). Complaints were received in 1960 in respect of 2 Intensive Area Centres in Uttar Pradesh.

(c) (i) Recovery of funds, utilised for purposes other than for which they were given, is being enforced. Where normal means of recovery fail, this is done through legal proceedings;

(ii) System of audit by Chartered Accountants has been introduced since 1963-64; and

(iii) Working of the scheme was reviewed and on the basis of their working and fianancial position all centres have been classified into three categories *viz.* good, fair and bad. The centres falling under the last category have been asked to wind up their activities and repay the dues to the Khadi and Village Industries Commission.

Touts in Courts

1007. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :
Shri N. P. Yadab :

Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of touts has increased in the vrious courts in the country;

(b) whether it is also a fact that in spite of the Law regarding touts, the evil of toutism has not decreased; and

(c) if so, whether, the Central Government propose to bring forth any legislation on an all-India basis?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): (a) and (b). No definite information on the subject is available with the Central Government.

(c) There is no such proposal under consideration.

Aerodromes in North Bihar

1098. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K. N. Tiwary :
Shri N. P. Yadab :

Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that although the population in North Bihar is over two crores, there is no aerodrome in any of its districts where the aeroplanes either from Calcutta or Delhi could halt; and

(b) if so, whether Government are considering a proposal for providing a halt of aeroplanes in North Bihar either from Delhi or Calcutta?

Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) There are civil aerodromes at Raxaul and Muzaffarpur.

(b) The Indian Airlines Corporation had no plans so far to operate a service through any of these aerodromes. However they are now making a survey of traffic potential in that area.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनरीक्षण

1099. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री दे० जी० नायक :
श्री हेमराज :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री 23 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 531 के उत्तर के संबंध में यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण के समूचे प्रश्न पर विचार करने के लिये एक पुनर्विलोकन समिति नियुक्त करने से संबंधित ब्यौरे को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय के कब तक घोषित किये जाने की संभावना है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) और (ख) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण के प्रश्न की जांच करने के लिये 1 जून, 1965 को एक परामर्शदाता समिति नियुक्त की गई और इसकी घोषणा भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 1 जून, 1965 के सामाजिक सुरक्षा विभाग के संकल्प संख्या 12/3/65–एस० सी० टी० IV में की गयी।

एयर इण्डिया की मास्को-लन्दन विमान सेवाँयें

1100. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री एयर इण्डिया की मास्को-लन्दन विमान सेवाओं के बारे में 2 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 207 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को से लन्दन और लन्दन से मास्को यात्री लाने पर प्रतिबन्धों के, जिन की व्यवस्था करार में की गई है, पुनरीक्षण के बारे में अब ब्रिटेन की सरकार का उत्तर प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : इस प्रश्न पर 17 जून, 1965 को लन्दन में ब्रिटेन के असैनिक उड्डयन मंत्री और भारत के असैनिक उड्डयन मंत्री में बातचीत हुई। वार्ता को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर ब्रिटिश सरकार ध्यान दे रही है।

होटल विकास ऋण निधि

1101. श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **परिवहन** मंत्री 9 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न सं० 848 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होटल विकास ऋण निधि बनाने का अब अन्तिम निर्णय कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है, और

(ग) यदि नही तो उसके क्या कारण है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):(क) से (ग) : फिलहाल सरकार होटल विकास ऋण फंड स्थापित करना मुनासिब नहीं समझती हैं।

पटसन की खेती के लिये सहायता

1102. श्री यशपाल सिंह: क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन की पैदावार करने वाले चार राज्यों में से किसी ने भी सरकार द्वारा ऋण देने के लिये नियत की गई तीन करोड़ रुपये की राशि का लाभ नहीं उठाया ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों से पूछताछ की गई थी कि उन्होंने इस धनराशि का उपयोग क्यों नहीं किया; और

(ग) क्या सहायता कार्यक्रम में अधिक उदारता बरतने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) : पटसन उत्पादकों को राज्य सरकार पर्याप्त तथा उचित तन्तुवेचन सुविधायें दे सके इसको दृष्टि में रखते हुए 1963 में यह निर्णय किया गया था कि उनको तीसरी योजना की शेष अवधि में मध्यकालीन ऋणों के रूप में 3 करोड़ रुपयों की राशि उपलब्ध की जाये। राज्य सरकारों ने, फिर भी, इस सुविधा का उपयोग नहीं किया। राज्यों ने इच्छा प्रकट की की सहायता का अवयव योजना हेतु सहायता के प्रतिरूप में भी लागू किया जाये। इसके अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित वित्तीय सहायता के उदार प्रतिरूप को स्वीकार किया :—

25 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार से

75 प्रतिशत मध्यकालीन ऋण

उपरोक्त प्रतिरूप पर उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा की योजनाएं अनुमोदित कर दी गई है। आसाम की सरकार ने सूचित किया है कि उपरोक्त प्रतिरूप की योजना उन्हें स्वीकार नहीं है। पश्चिम बंगाल से एक उपयुक्त योजना की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

भारतीय दण्ड संहिता

1104. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **विधि** मंत्री 2 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 513 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने, जिसे कई अधिनियमों में दिये हुए कुछ सामाजिक तथा आर्थिक अपराधों को भारतीय दण्ड संहिता में शामिल करने के उद्देश्य से उसे पुनरीक्षित करने का प्रश्न सौंपा गया था, इस मामले को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब का चीनी का अभ्यंश

1105. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, पंजाब सरकार ने केन्द्र से पंजाब का चीनी का मासिक अभ्यंश 14,000 मीट्रिक टन से बढ़ा कर 16,000 मीट्रिक टन करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) पंजाब का चीनी का अभ्यंश 1,000 टन बढ़ा दिया गया है।

पर्यटन

1106. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन से पिछले वर्षों की अपेक्षा 1964 में अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(ख) यदि हां, तो 1962 तथा 1963 में पर्यटन से प्राप्त विदेशी मुद्रा से यह कम है अथवा अधिक;

(ग) इन वर्षों में प्रति दिन औसतन कितने पर्यटक आये; और

(घ) पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय को बढ़ाने के लिये चालू वर्ष के दौरान और कौन-कौन सी योजनायें क्रियान्वित की जायेंगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) : जी हां। 1962 से 1964 तक के वर्षों के लिए अर्जित विदेशी मुद्रा की संख्या ये निम्न हैं :—

वर्ष	अर्जन (करोड़ रुपयों में)
1962	19.62
1963	20.56
1964	23.00

उपरोक्त प्राक्कलन 1962 में किये गये पाइलट सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित हैं। ये प्राक्कलन नितान्त अस्थायी हैं।

(ग) इन वर्षों में पर्यटन की प्रतिदिन की औसत निम्न थी :—

वर्ष	आने वाले पर्यटकों की प्रति-दिन की औसत (संख्यायें)
1962	368
1963	386
1964	428

(घ) 1965-66 में विदेशी मुद्रा अर्जन की वृद्धि के लिये पर्यटक विभाग द्वारा निम्न योजनायें सोची जा रही हैं :—

(1) पर्यटन की बढ़ती मांग की दृष्टि से आवश्यक विस्तारों की संख्या और वर्तमान समय में उपलब्ध होटलों की संख्या में अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए भारतीय पर्यटन होटल निगम की स्थापना। यह निगम होटल निर्माण करेगा और यदि आवश्यकता हुई तो जहां जरूरत होगी वहां होटल चलायेगा।

(2) **भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना** : इस निगम के विभिन्न प्रकार्य होंगे, जैसे :

(1) पर्यटक प्रचार सामग्री का उत्पादन और बिक्री।

(2) मनोरंजक कार्यक्रमों का संगठन करना जिसमें भारत में आने वाले पर्यटकों को दिन की सैर के बाद संध्या को शास्त्रीय या सुगम संगीत दिया जा सके।

(3) इस निगम की सहायक के रूप में एक परिवहन संस्थान होगी जो उन स्थानों में जहां परिवहन सुविधायें कम हैं या मांग पूर्ति नहीं कर सकती है वहां टैक्सियां और कोच चलायेगा।

(3) इस दिशा में अगला महत्वपूर्ण कदम पैसिफिक एरिया टैबल एसोसिएशन का आगामी वार्षिक सम्मेलन है जो जनवरी 1966 में होगा और जिसमें 34 देशों से लगभग 450 विदेशी शिष्ट मंडल (अपनी पत्नियों सहित) नई दिल्ली आयेंगे और देश के समस्त भूभाग का भ्रमण करेंगे। इस सम्मेलन में पंजीयन शुल्क और शिष्टमंडल के व्यय से तीन लाख से ऊपर की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति ही नहीं होगी वरन् आगे चलकर भारत के पर्यटन आकर्षणस्थलों पर अपने सदस्यों का ध्यान केन्द्रित करने के कारण इस देश के पर्यटन में पर्याप्त वृद्धि भी होगी।

(4) विदेशी पर्यटक कार्यालयों का विज्ञापन बजट 27 लाख रुपये से बढ़ कर 31 लाख रुपया हो गया है।

(5) उन तीसरी योजना स्कीमों के लिए एक क्रैश कार्यक्रम जिनकी योजना काल में कार्यान्वित हो जाने की आशा है, बना लिया गया है। इसमें 67 स्कीमें हैं और इनमें से अधिकांश पूरी की जा रही हैं। आशा की जाती है कि इनमें से 50 प्रतिशत चालू वित्तीय वर्ष में पूरी हो जायेंगी। इनमें निम्न शामिल हैं :—

(एक) कोचीन, तुंगभद्रा तथा पेरियार में 'लांचों' की व्यवस्था।

(दो) मनाली, नागार्जुनसागर तथा नागार्जुनकोंडा में उत्तम आवास सुविधाओं की व्यवस्था।

(तीन) उदयपूर में फतेहसागर झील को सुन्दर बनाना।

(चार) दिल्ली के स्मारकों को रोशन करना।

रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी

1107. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **परिवहन** मंत्री 2 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 213 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के प्रशासनिक ढांचे तथा बड़े में यदि कोई सुधार किये गये हैं अथवा करने का विचार है, तो वे क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण सभा पटल रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4686/65।]**

पश्चिम बंगाल तथा बिहार में पटसन की खेती

1108. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में पश्चिमी बंगाल तथा बिहार राज्यों में कुल कितने एकड़ भूमि में पटसन की खेती की गई;

(ख) उक्त अवधि में पश्चिमी बंगाल तथा बिहार में कितना पटसन पैदा हुआ;

(ग) क्या पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन कुछ कम हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) पश्चिम बंगाल तथा बिहार में 1964-65 की अवधि में क्रमशः 45.66 तथा 17.07 लाख हैक्टेयर भूमि पटसन की खेती के अन्तर्गत थी।

(ख) 1964-65 में पश्चिम बंगाल तथा बिहार के लिए उत्पादन के आंकड़े क्रमशः 36.46 तथा 9.17 लाख गांठें (प्रत्येक गांठ 180 किलोग्राम की) है।

(ग) और (घ) : बिहार में 1964–65 में पिछले वर्ष की तुलना में 2.49 लाख गांठों की कमी हुई। यह कमी प्रतिकूल मौसम तथा बाढ़ों के कारण हुई। परन्तु पश्चिम बंगाल में उत्पादन में 3.50 लाख गांठों की वृद्धि हुई।

उत्तर प्रदेश में दस्तकारी उद्योग

1109. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में उत्तर प्रदेश में दस्तकारी उद्योग के विकास के लिये राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) 1965-66 में इसी काम के लिये उस राज्य को कितनी धनराशि देने का विचार है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 10.23 लाख रुपये जिसमें 4.11 लाख रुपये का अनुदान और 6.12 लाख रुपये का ऋण शामिल है ।

(ख) 17 लाख रुपये जिसमें 12.50 लाख रुपये का अनुदान और 4.50 लाख रुपये का ऋण शामिल है।

केन्द्रीय सड़क उपकर निधि

1110. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को 1964-65 में केन्द्रीय सड़क उपकर निधि में से कितनी धनराशि दी गई, और

(ख) यह धनराशि किन-किन कार्यों में खर्च की गई ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) 69.54 लाख रुपये।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–4687/65।**]

Fertilizer Factory in U, P.

1111. Shri Kindar Lal :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Sarjoo Pandey :

Will the Minister of **Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a Fertilizer Factory in Uttar Pradesh in the co-operative sector with the collaboration of the American Co-operative League;

(b) if so, the expenditure involved and the proposed location of the factory; and

(c) when the factory would be set up?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy) : (a) A proposal to undertake a feasibility study for a fertiliser factory in the co-operative sector in collaboration with American Cooperatives is under consideration. At this stage, this proposal is not related to any specific location. The Government of Uttar Pradesh have, however, suggested the location of the factory in Uttar Pradesh.

(b) and (c). This will be determined if and when the feasibility study is actually carried out.

धान की खेती का जापानी तरीका

1112. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक निगम के योजना तथा विकास डिवीज़न द्वारा सिन्दरी उर्वरक कारखाने में शीघ्र उत्पादन किये जाने वाले एक नये उर्वरक, 'नाइट्रोफोसफेट' के प्रयोगशाला तथा खेत में किये गये परीक्षण से बिहार की 75 मन प्रति एकड़ अधिकतम उपज की तुलना में एक एकड़ में अधिकतम उपज 82.4 मन हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि धान के बारे में पौधे लगाने का जापानी तरीका अपनाया गया है; और

(ग) क्या सरकार को अब तक किये गये परीक्षणों की पूरी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा यदि हां, तो इसी प्रकार की पद्धति से खेती को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) नाइट्रोफासफेट सिन्दरी में नहीं अपितु ट्राम्बे में तैयार होगा। भारतीय उर्वरक निगम ने जो परीक्षण किये हैं उनसे उपज 82.4 मन प्रति एकड़ हुई है। बिहार सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 1962-63 में धान की खेती के जापानी तरीके से 98 मन प्रति एकड़ उपज प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) : जी हां। 1953-54 में जापानी ढंग से खेती करने के अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया था। जापानी ढंग से खेती करने की पद्धति परीक्षणात्मक स्तर पर नहीं है। इस उन्नत पद्धति के अन्तर्गत 90 लाख एकत्र भूमि में बुवाई हुई है।

कृषि विभाग में जल प्रयोग तथा प्रबन्ध एकक की स्थापना

1113. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि विभाग में एक जलप्रयोग तथा प्रबन्ध एकक की स्थापना करने का विचार है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने सिंचाई जल का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिये प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में अपेक्षित उपायों के सम्बन्ध में राज्यों के साथ परामर्श किया है ; और

(ग) ज़िला तथा नीचे के स्तरों पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों तथा कृषि उत्पादन समितियों के बीच अधिक समन्वय सुनिश्चित करने के लिये किन उपायों का सुझाव दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि उत्पादन बोर्ड ने इस बात पर विचार किया कि चम्बल, महानदी, डेल्टा, कोसी, टंगाभद्र तथा भद्र परियोजनाओं के आधिपत्य क्षेत्रों में बड़ी सिंचाई-शक्ति का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है और यह अनुभव किया गया कि चम्बल को छोड़ कर (जहां कि राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सम्बन्धित सरकारों ने पहले ही दल स्थापित कर दिये हैं) परियोजनाओं के लिए समितियां बनने से पहले राज्य सरकारों के साथ विभिन्न बातों पर विचार विमर्श करना ज़रूरी होगा ताकि फील्ड चैनल बना कर भूमि एक सार करके, क्षेत्र विकास उपाय, फसल नमूने, फार्म प्रदर्शन आदि की सहायता से एक्शन प्रोग्राम बनाया जा सके। सिंचाई एवं विद्युत मन्त्री पहले इस प्रश्न पर सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करेंगे।

इस निर्णय को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार के सिंचाई तथा विद्युत उप मंत्री कोसी परियोजना के बारे में बिहार तथा टंगाभद्र परियोजना के सम्बन्ध में मैसूर हो आये हैं।

(ग) राज्यों के सिंचाई तथा कृषि विभागों में पर्याप्त समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा है ताकि सिंचाई परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न शक्ति से कृषि उत्पादन को अधिकतम बढ़ाया जा सके। पत्र में सिंचाई सप्लाई का अनुकूलतम उपयोग करने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये गये हैं और उनमें से जो अधिक महत्वपूर्ण हैं संक्षेप में नीचे दिये जाते हैं :—

(1) मोजूदा सिंचाई कोड्स में संशोधन।

(2) सिंचाई परियोजनाओं के आधिपत्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यक्रमों के मामले में सिंचाई तथा कृषि विभागों के सम्बन्ध में सम्मन्वित आयोजना तथा कार्यवाही। कार्यक्रम में फील्ड चैनल का निर्माण, भूमि एकसार करना, चकबन्दी, अनुसन्धान तथा प्रदर्शन फार्मों की स्थापना, भूमि सर्वेक्षण, संग्रह, विपणन तथा संचार के लिए सुविधाओं की व्यवस्था, उर्वरकों की सप्लाई, उन्नत वीज, किसानों को ऋण आदि शामिल हैं।

(3) राज्य के कृषि विभाग में कृषि उत्पादन आयुक्त के अधीन एक विशेष संगठनात्मक एकक स्थापित किया जाये जिसका चार्ज एक उच्चाधिकारी को सौंपा जाये जो सिंचाई जल के अनुकूलतम उपयोग के लिए साधन जुटाने के विशेष दायित्व को सम्भाले।

(4) ऐसे सेल्स जिनमें कृषि अधिकारी शामिल हों या तो सिंचाई विभागों में या जिनका उनके कार्यों से निकट सम्पर्क हो, स्थापित किये जाने चाहियें ताकि कृषि अधिकारियों का निर्माण, क्रियान्विति तथा पानी के उपयोग की समस्त हालतों में नई सिंचाई परियोजनाओं से सम्पर्क बना रहे।

(5) निम्न स्तरों पर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन समितियों में ज़िला, खण्ड तथा ग्राम स्तरों पर सिंचाई विभागों के प्रतिनिधि (यदि पहले से शामिल न किये गये हों) शामिल किये जाने चाहियें।

पर्यटन का बढ़ावा देने के लिये निगमें

1114. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री हेमराज :**
श्री रामेश्वर टांटियां : **श्री बासप्पा :**

क्या **परिवहन** मंत्री 2 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 203 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन होटल निगम के निश्चित कार्य क्या हैं और इसके विस्तृत ढांचे तथा कार्य प्रणाली का स्वरूप क्या है ;

(ख) क्या दूसरा निगम अर्थात् भारतीय पर्यटन निगम स्थापित हो चुका है; और

(ग) यदि हां, तो इसका निश्चित विधान तथा कार्य क्या ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–4688/65।]**

सड़क बनाने की मशीनें

1115. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये सड़क बनाने की मशीनों की केन्द्र तथा राज्यों की आवश्यकता सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे कर लिये गये है;

(ख) यदि हां, तो इसमें से कितनी मशीनें हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन तथा देश की अन्य फर्मों की वर्तमान क्षमता से बनाई जा सकेंगी; और

(ग) शेष मशीनरी किस प्रकार प्राप्त की जायेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : स्थिति को स्पष्ट करने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–4689/65 ।**]

केरल में मत्स्यपालन निगम

1116. **श्री वारियर :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सहयोग के साथ केरल में एक मत्स्यपालन निगम स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्थापना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितना और किस प्रकार का अमरीकी सहयोग मांगा गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : यह निश्चय किया गया है कि, समुद्रीय उत्पाद और उपोत्पाद बनाने के लिये जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशों को 'श्रि' का निर्यात करना है, एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापित की जाये जिसका सदर मुकाम कोचीन में हो।

(ग) एक अमरीकी फर्म से सहयोग मांगा गया है ताकि उनकी तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल किया जा सके, और समुद्रीय उत्पाद बनाने, समुद्र तट सम्बन्धी सुविधाओं की स्थापना, प्रबन्ध और संचालन में मछली पकड़ने के जहाज और अन्य उपकरणों में मछली पकड़ने के स्थान की खोज में और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में और उनकी उत्पादों की विदेशी मंडियों में बिक्री के सम्बन्ध में उनकी सहायता प्राप्त की जा सके।

पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां

1117. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 तथा 1966-67 में पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां बसाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) पिछड़े वर्ग क्षेत्र में ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में अम्बर चर्खा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1118. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 तथा 1965-66 में अब तक, पंजाब में कितने अम्बर चर्खा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये गये हैं;

(ख) इनमें कुल कितने व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में बागवानी का विकास

1119. श्री दलजीत सिंह : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य को बागवानी के विकास के लिये 1964-65 तथा 1965-66 में ऋण तथा अनुदान के रूप में कितनी राशि नियत की गई है; और

(ख) पंजाब सरकार ने 1964-65 तथा 1965-66 में अब तक कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ख) पंजाब सरकार ने 1964-65 तथा 1965-66 में अब तक कितनी राशि का उपयोग किया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) बागवानी के विकास के लिए पंजाब राज्य को ऋण तथा अनुदान के रूप में निम्नलिखित राशि निर्धारित की गई है :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	ऋण	अनुदान
1964-65	7.49	कुछ नहीं
1965-66	5.00	कुछ नहीं

(ख) इस अवधि में निम्नलिखित राशि का उपयोग किया गया :—

वर्ष	ऋण	अनुदान
1964-65 . . .	7.49 (अस्थायी)	कुछ नहीं
1965-66	0.06	कुछ नहीं

कृषि का विकास

1120. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कुल कितना अनुदान दिया है;

(ख) धनराशि देने के लिये क्या सिद्धांत अपनाये जाते हैं;

(ग) अनुदान के राज्यवार आंकड़े क्या हैं; और

(घ) क्या प्रत्येक राज्य ने उसको दिये गये अनुदान की राशि का पूरा पूरा उपयोग किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ): जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में सहकारी चावल मिल

1121. श्री हेडा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को सहकारिता के आधार पर एक चावल मिल खोलने के लिए 21 लाख रुपये मंजूर किये हैं;

(ख) क्या इसमें विदेशी सहयोग भी प्राप्त है;

(ग) यदि हां, तो किस रूप में; और

(घ) यह मिल कहां पर खोली जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) राष्ट्रीय सहकार विकास निगम ने पश्चिम बंगाल सरकार को सहकारी क्षेत्र में मुख्य अध्ययन और मूल्यांकन कार्यक्रम के लिये एक आधुनिक चावल मिल लगाने के लिये 21.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(रुपये लाखों में)

	ऋण	राज सहयता
1. अंश पूंजी	6.50	..
2. गोदामों और भांडागरों के लिये सहायता (75 प्रतिशत ऋण और .25 प्रतिशत राजसहायता)।	11.25	3.75
कुल .	17.75	3.75
कुल जोड़ .	21.50 लाख	रुपये

(ख) और (ग): इसमें कोई विदेशी सहयोग नहीं है। तथापि, मशीनें जापान से खरीदी गयी हैं और फोर्ड फाउन्डेशन मूल्यांकन कार्यक्रम में सहायता कर रहा है ?

(घ) बर्दमान जिले में मेमारी।

पिछड़े वर्ग

1122. श्री हेडा : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में चौथी योजना के कार्यकारी दल के मुख्य मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ख) वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये चौथी योजना सम्बन्धी कार्यकारी दल ने एक व्यापक अन्तरिम प्रतिवेदन दिया है और इसकी मुख्य सिफारिशें ये हैं :

1. आदिम जातीय विकास खंडों का आवंटन जिसमें वे सभी क्षेत्र शामिल हों जिनकी आदिम जातीय जनसंख्या 50 प्रतिशत या इससे अधिक हो।
2. उन आदिम जातीय व्यक्तियों को छोटे छोटे दलों को जो आदिम जातीय विकास खंड कार्यक्रम में शामिल न किये गये हों तदर्थ सहायता देना।
3. सहकारिता सम्बन्धी योजनाऐं बढ़ाना।
4. शिक्षा के विभिन्न स्तर पर स्थिरता और अपव्यय के कारणों का सावधानी-पूर्वक अध्ययन करना।
5. रोजगार-प्रभूत्त शिक्षा योजनाओं पर जोर देना।
6. 'आर्थिक उन्नति' कार्यक्रम पर अधिक जोर देना।
7. तकनीकी प्रशिक्षण के लिये सुविधाएं बढ़ाना।

8. अनुसूचित जातियों की काम की और रहन-सहन की दशा सुधारना।

9. अनधिसूचित, खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश आदिम जातियों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना।

(ख) तीसरी योजनावधि में पता लगी कमियों को दूर करने के लिये चौथी योजना में आवश्यक उपाय करना।

परिवहन सम्बन्धी योजना

1123. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन** मंत्री 2 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 515 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विकास परिषद की उद्योग, विद्युत, तथा परिवहन संबन्धी समिति की सिफारिश के अनुसार परिवहन योजना बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये यह योजना कब तक तैयार हो जायेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपनी अक्टूबर, 1964 की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में चतुर्थ योजना कार्यक्रम से संबन्धित नीति जारी करने के बारे में सलाह देने के लिये पांच समितियों की स्थापना की थी। इन समितियों की सिफारिशें परिषद की अगली बठक के सामने पैश कर दी जायेगी।

योजना आयोग ने परिवहन के लिये दीर्घकालीन योजना बनाने से संबद्ध कई अध्ययनों का संगठन किया है और इनमें प्रगति हो रही है।

परिवहन के लिये एक रूपरेखा योजना बनाने का कार्य उपरोक्त अध्ययनों के पूर्ण हो जाने पर और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा व्यक्त विचारों के प्रकाश में हाथ में लिया जायेगा।

Capital Punishment

1124. **Shri Bagri :**
Dr. Mahadeva Prasad :

Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration for the abolition of capital punishment;

(b) whether State Governments have also been consulted in this matter; and

(c) if so, their reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The State Governments whose replies have been received so far are generally in favour of retention of capital punishment.

चावल की बोरियों का खराब हो जाना

1125. **श्री सेझियान** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आंध्र प्रदेश तथा केरल से रेल द्वारा चावल की बोरियों को लाते समय मार्ग में उनके खराब हो जाने की घटनाएं हुई है;

(ख) इस प्रकार कितनी हानि होती है और 1965 में (30 जून तक) कितनी हानि हुई; और

(ग) भविष्य में ऐसी हानि न होने देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां। आन्ध्र से केरल को जाते समय रेल में चावल की कुछ बोरियां खराब हो गईं।

(ख) 1-1-65 से 30-6-65 तक की अवधि में लगभग 1,46,310 रुपये मूल्य का लगभग 908 टन चावल खराब हुआ।

नोट : खराब हुए अनाज के वर्गीकरण और मूल्यांकन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और इसलिये इस कार्य के पूरा होने पर ही अन्तिम रुप से हुई हानि के बारे में यथा समय बताया जा सकेगा।

(ग) अनाज खराब इस कारण से हुआ था कि बोक्स वैगन (जो खुले वैगन होते है) पर ढकी तिरपाल रास्ते में हवा के कारण हट गयी थी और इस कारण पानी वैगन में चला गया और बोरों ने उसको सोख लिया था। आन्ध्र प्रदेश से केरल को बोक्स वैगनों में रेल द्वारा भेजे गये अनाज के खराब होने के बारे में 14-5-65 को मद्रास में दक्षिण रेलवे के चीफ आपरेटिंग सुपरिंटेंडेंट के साथ एक बैठक में बात-चीत की गयी थी और बातचीत मे निम्नलिखित बातें हुईं :

(1) दक्षिण रेलवे ने आश्वासन दिया कि उन्होंने बोक्स वैगनों में यांत्रिक सुधार करने के लिये कार्यवाही की है जिससे यह सुविधा मिलेगी कि तिरपाल वैगन के ऊपर तम्बू की तरह फैल जायेंगे और उसमें पानी निकलने की समुचित व्यवस्था होगी और पानी बोरियों में न जा सकेगा।

(2) रेलवे ने डिवीज़नल आपेरेटिंग सुपरि डेंटो को उचित आदेश दिये है कि प्रमुख जंक्शन केंद्रों पर रास्ते के बोक्स वैगनों की देखभाल करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तिरपाल ठीक हालत में हैं।

(3) रेलवे ने तिरपालों को ठीक से ढ़कने और रस्सी से कस कर बांधने के बारे में व्यवस्था कर दी है।

(4) रेलवे ने सूरक्षात्मक उपाय सुदृढ़ कर दिये हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेलवे सुरक्षा बल के सिपाही इन (रैक्स) के साथ रहें।

(5) प्रयोगात्मक तौर पर भारत के खाद्य निगम के एक पदाधिकारी को इरोड भेजा गया है ताकि वह बोक्स वैगन (रेक) का निरीक्षण कर सके और यहां पर किसी भी त्रूटि के बारे में रेल्वे अधिकारीयों को सूचित कर सके ताकि उसमें सुधार किया जा सके।

अनाज के लदान का अधिक्षण करने वाले निगम के पदाधिकारियों को निम्नलिखित निदेश भी जारी किये गये हैं।

(1) बोक्स और अन्य खुले हुए वैगनों में बोरियों की ऊपर की तह इस प्रकार लगायी जाये कि दोनों ओर थोडा ढलान रहे ताकि वर्षा का पानी बह जाये और वह वैगन के अन्दर न जा सके।

(2) यह सुनिश्चित करना कि तिरपाल बोक्स वैगनों पर मनीला या नारियल की रस्सी से अच्छी तरह बंधे हो ताकि रास्ते में उन्हें हटाया न जा सके।

(3) एक किस्म निरीक्षक स्वयं बोक्स वैगनों में माल के लदान का निरीक्षण करे और देखे की तिरपाल ठीक से लगाया गया हो और कार्य पूरा होने के बाद वह इस बारे में एक प्रमाणपत्र दे जो डिस्ट्रिक्ट अथवा रीजनल कार्यालय में भेजा जाये।

(4) लदान पूरा होने पर किस्म निरीक्षक क्वालिटी इन्सपेक्टर को रेलवे अधिकारियों से सम्पर्क कर उन से यह अनुरोध करना चाहिये कि वे वैगनों को शीघ्र चलवाने और उचित सुरक्षा की व्यवस्था करने का प्रबन्ध करें।

बेतुल (म० प्र०) में लौगिंग प्रशिक्षण केन्द्र

1126. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** **श्री वाडिवा :**
श्री अ० सिं० सहगल : **श्री चाण्डक :**
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : **श्रीमती मिनीमाता :**

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उस राज्य में बेतुल में लौगिंग प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रों की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली मे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

1127. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पालम से हटाकर शाहदरे के निकट एक नये स्थान पर बनाने की योजगा त्याग दी गई है तथा पालम हवाई अड्डे की वर्तमान इमारत आदि का ही नवीकरण करने का निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो नवीकरण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) क्या उन्होंने प्रेस में प्रकाशित इस आलोचना को देखा है कि हवाई अड्डे के नवीकरण तथा यात्रियों के लिये नई सुविधायें प्रदान करने का कार्य इतनी धीमी गति से चल रहा है कि इसको पूरा करने में लगभग पांच साल और लगेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : यह निश्चय किया गया है कि पालम का प्रमुख मुख्य रूप से दिल्ली के लिये एक असैनिक हवाई अड्डे के रूप में विकास करना चाहिये। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से एक नया अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (टर्मिनल कम्पलैक्स) बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस बीच और अधिक यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए 20 लाख रुपये की लागत से वर्तमान टर्मिनल इमारत का नवीकरण तथा विस्तार किया जा रहा है। 8.75 लाख रुपये की लागत से मंजूर किये गये नवीकरण कार्य का पहला चरन इस प्रकार पूरा करना था कि जिससे यात्रियों के आने जाने में कम से कम रुकावट पड़े। कार्य अब समाप्त होने वाला है।

केरल में किसानों को सहायता

1128. **श्री मणियंगाडन :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के काल्लना तथा कोट्टायम जिले के वाइकाम ताल्लुक के अन्य क्षेत्रों के किसानों ने कोई अभ्यावेदन दिया है जिसमें उन्होंने यह प्रार्थना की है कि उन्हें हानि के लिये मुआवजा तथा खेतों की अगली फसल के लिये सहायता दी जाये;

(ख) क्या किसानों की शिकायतों के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उन को क्या सहायता दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) : काल्लारा कृषि संस्था, काल्लारा, कडू थूरूथी ने भारत सरकार को अभ्यावेदन नहीं दिया है। राज्य सरकार से पूछने पर ज्ञात हुआ कि उन्होंने केरल सरकार को ज्ञापन दिया था जिसने कृषि के राज्य निदेशक तथा चीफ इंजीनियर, सिंचाई द्वारा जांच कराई है। जांच सम्बन्धी ये रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय खाद्य निगम

1129. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने उनके मंत्रालय के खाद्य विभाग से स्टाक लेने के लिये प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त की है;

(ख) क्या ये कर्मचारी उन्हीं पदों पर नियुक्त किये गये हैं जो उनके वर्तमान वेतनक्रम तथा पद के समान हैं; और

(ग) ये कर्मचारी स्टाक लेने के काम के समाप्त हो जाने के पश्चात् कितने समय तक खाद्य निगम के अधीन काम करते रहेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम ने खाद्य विभाग से स्टाक लेने तथा निगम को सौंपे गये अन्य कार्य करने के लिये प्रतिनियुक्ति पर कुछ राज्य सरकार के कर्मचारियों को काम पर रखा है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम में पद तथा वेतन क्रम वैसे नहीं हैं जैसे राज्य सरकारों के हैं। इससे प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को निगम में समान पदों पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। निगम में प्रतिनियुक्त किये गये व्यक्तियों के वेतन क्रम निर्धारित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है :

(एक) साधारणतया राज्य सरकार में उनका वेतन और उसका 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलाकर उस पद के लिये निगम में निर्धारित वेतन-क्रम की न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिये; और

(दो) निगम में नियुक्ति होने पर एसे व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में अपने पद के वेतन के 20 प्रतिशत से अधिक लाभ नहीं होना चाहिये।

(ग) जब तक खाद्य विभाग से उपयुक्त स्थानान्तरण अथवा खुले बाज़ार से सीधी भर्ती नहीं हो जाती वे काम करते रहेंगे।

बीज वर्धन कार्यक्रम

1130. श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बीज वर्धन कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से कार्यान्वित करने के लिए 1963-64 तथा 1964-65 में कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे कदम क्या हैं तथा वे कहां तक सफल सिद्ध हुए हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : जी हां। देश में बीज वर्धन कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से कार्यान्वित करने के लिए 1963-64 तथा 1964-65 में राज्यों/संघ क्षेत्रों को अनेक सुझाव दिये गये हैं जिनमें से महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं :—

(1) राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई थी कि वे रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर करने तथा कृषि उत्पादन विषयक राज्य के मन्त्रीमण्डल की उप-समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और विभिन्न स्तरों पर उन्नत बीजों के वर्धन तथा वितरण के समूचे प्रश्न पर विचार करने के लिए अधिकारियों की एक छोटी सी टोली की प्रतिनियुक्ति करे;

(2) 500 एकड़ तक के आकार के बड़े फार्मों की स्थापना करना;

(3) प्रत्येक ग्राम में रजिस्टर्ड उत्पादकों के स्थान पर केवल बीज वर्धन के लिए ही ग्रामों का चनाव करना ताकि उत्पादित बीजों के मानकों तथा शुद्धता के विषय में सकेन्द्रित ढंग से तकनीकी पर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य सम्पन्न हो सके;

(4) आधार बीजों की उपलब्धि, उनके भण्डारण तथा वितरण के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में क्षेत्रवार या जिन्सवार ढंग से बीज निगमों की स्थापना करना;

(5) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीज वर्धन फार्म उच्च कोटी के बीजों को अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध कर सकें और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में खाद्य तथा नकदी की फसलों के लिए सुधरे बीज मुहैय्या हो सकेंगे। समस्त राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि बीज कार्यक्रम के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में अग्रिम रूप से निम्नलिखित कार्यवाही करें :—

(1) उन्नत बीजों के क्षेत्र, उत्पादन तथा वितरण के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना;

(2) बीज उत्पादन के लिए सिंचाई, बीज भण्डार, खलिहान, ढोरसालों आदि की व्यवस्था करके बीज वर्धन आदि फार्मों को सुदृढ़ करना;

(3) बीज वर्धन फार्मों के लिए बीज-प्रक्रिया उपकरणों की व्यवस्था करना;

(4) बीज वर्धन फार्मों के कार्यकलापों की जांच करना तथा उन्नत बीज फार्मों के लिए उनकी उपयोगिता की जांच करना;

(5) उन्नत बीजों के व्यवस्थित उत्पादन के लिए स्टाफ को सुदृढ़ करने का प्रबन्ध करना;

(6) चतुर्थ योजना के लिए बीज-प्रमाणीकरण-एवं-बीज नियन्त्रण कार्यक्रम तैयार करना;

(7) उच्च कोटि के बीजों के विषय में प्रशिक्षण और शिक्षा की व्यवस्था करना।

(6) फार्म कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने और राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा स्थापित होने वाले बीज वर्धन फार्मों के कार्यकलापों को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने बीज वर्धन फार्मों के लिए "कुशल पुरस्कार" प्रदान करने की एक मार्गदर्शी योजना तैयार की है और उसे राज्य सरकारों/संघ क्षत्रों को भेजा है तथा उनसे अनुरोध किया है कि वे स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टि में रख कर आवश्यक परिवर्तन करने के पश्चात् उसे कार्यरूप दें।

राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाये हुए उपरोक्त विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप उन्नत बीजों के कार्यक्रम को काफी गतिमान किया गया है। आशा है कि 1964-65 के अन्त तक खाद्यान्नों के उन्नत बीजों के अन्तर्गत 1014.6 लाख एकड़ क्षेत्र आ जायेगा। 1962-63 तक उन्नत बीजों के अन्तर्गत केवल 694.0 लाख एक क्षेत्र ही था।

धान की अधिकतम कीमत

1131. श्री मणियंगाडन : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में धान और चावल के अधिकतम भाव निश्चित कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भास निश्चित किय गये हैं;

(ग) क्या निश्चित किये गये अधिकतम भाव पर खुले बाजार में चावल मिलता रहा है; और

(घ) गत तीन महीनों में चावल व धान का बाजार में क्या भाव था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०–4691/65।]**

(ग) और (घ) : केरल में 80 प्रतिशत से भी अधिक चावल की बाजार में सप्लाई सरकारी एजेन्सियों के द्वारा की गई थी। बाकी की थोड़ी मात्राओं के सम्बन्ध में बाज़ार में चालू कीमत के बारे में कोई जानकारी इकट्ठी नहीं की गई।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का कलकत्ता स्थित बेस

1132. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कलकत्ता स्थित बेस में विमानों के फालतू पुर्जों का पर्याप्त स्टाक नहीं होता है;

(ख) क्या पुर्जों की कमी के कारण कभी कभी विमानों को बहुत अधिक समय तक रुकना पड़ता है;

(ग) क्या एक फालतू पहिया न मिलने के कारण दिल्ली जाने वाले एक कैरेवल विमान को हाल में डमडम हवाई अड्डे पर 17 घंटे तक रुकना पड़ा;

(घ) एक बड़े अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की न्यूनतम आश्यकताओं की इस प्रकार उपेक्षा करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। कार्पोरेशन को परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कलकत्ता में विमानों के फालतू पुर्जों का पर्याप्त स्टाक रहता है सभी हवाई अड्डों पर सभी प्रकार के विमानों के लिए सभी पुर्जे जो हज़ारों की संख्या में होते हैं, रखना व्यावहारिक नहीं है और इसके लिए बहुत सी विदेशी मुद्रा चाहिए।

(ख) कभी ऐसा होता है कि किसी विमान को ऐसे हवाई अड्डे पर रुकना पड़ जाता है जहां कोई विशेष पुर्ज़ा नहीं होता है जो मूल हवाई अड्डे से मंगाना पड़ता है।

(ग) बम्बई के हवाई अड्डे पर मुख्यतः कैरेवल विमानों को खड़े करने का स्थान है और आर्डर किए गये पुर्जों के न मिलने के कारण कलकत्ता में एक फालतू पहिया रखना संभव नहीं था और इसलिए यह बम्बई से मंगाना पड़ा।

(घ) और (ङ) हवाई अड्डों पर आपात काल में आवश्यकता पड़ने वाले पुर्जे सामान्यतः पर्याप्त संख्या में रखे जाते हैं लेकिन प्रत्येक स्थिति का सामना करने के लिये सभी प्रकार के पुर्जे रखना संभव नहीं है

पैकेज प्रोग्राम

1113. श्री दे० जी० नायक : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "पैकेज प्रोग्राम" के परिणामों का मूल्यांकन कर लिया है; और

(ख) यदि हां; तो पैकेज प्रोग्राम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) : सघन कृषि ज़िला कार्यक्रम (पैकेज प्रोग्राम) के परिणामों का मूल्यांकन एक क्रमबद्ध आधार पर किया जा रहा है। यह मूल्यांकन एक ऐसी पृथक मशीनरी के माध्यम से किया जा रह है जो कि प्रत्येक सघन कृषि ज़िला कार्यक्रम तथा केन्द्र में स्थापित की गई है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रबन्ध किये गये हैं :—

(1) प्रतिवर्ष समस्त सघन ज़िला कार्यक्रम के ज़िलों में "बेन्च मार्क" तथा निर्धारण सर्वेक्षणों का आयोजन किया जा रहा है ताकि कृषकों द्वारा अपनाई जाने वाली कृषि-विधियों में आने वाले परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जा सके और साथ ही इस बात का भी मूल्यांकन किया जा सके कि किस हद तक नई तथा अच्छी कृषि विधियां अपनाई जा रही हैं और उनके अपनाने से उपज में कहां तक वृद्धि हुई है। प्रत्येक मौसम में अनेक फसल-कटाई परीक्षणों द्वारा ज़िलों में उगाई हुई फसलों की उपज दरों की भावी प्रवृतियों का भी अध्ययन किया जा रहा है।

(2) एक विशेष स्टाफ द्वारा व्यवहृत तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन किये जा रहे हैं। ये अध्ययन उन महत्वपूर्ण समस्याओं के विषय में किये जा रहे हैं। जो कार्यक्रम की क्रियान्विति के समय उपस्थित हुई है। इन अध्ययनों से संकेत मिलते हैं कि किन उपायों द्वारा समस्याओं का समाधान हो सकता है।

(3) केन्द्र के अधिकारी प्रगति तथा समस्याओं का पुनर्विलोकन करने के लिये समय समय पर ज़िलों का दौरा करते रहते हैं।

ऐसे अध्ययनों तथा सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त हुए परिणामों को सघन कृषि ज़िला कार्यक्रम विषयक 1961–63 की उस प्रथम रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है जिसे मूल्यांकन तथा निर्धारण विषयक विशेषज्ञ समिति ने अक्तूबर 1963 में प्रकाशित किया था। इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद को दे दी गई थी। दूसरी निर्धारण रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उसे शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जायेगा।

पर्यटन

1134. **श्री बासप्पा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के विकास के लिये मैसूर सरकार के लिये कितनी राशि नियत की गई; और

(ख) उसमें से 31 मार्च, 1965 तक कितनी राशि खर्च की गई ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–4691/65।]**

कृषि आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र

1135. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में खोले गये कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्रों का स्वरूप एक जैसा है;

(ख) क्या विभिन्न केन्द्रों द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन किया गया है;

(ग) क्या सभी केन्द्रों के कर्मचारियों को समान वेतन क्रम तथा भत्ते दिये जाते हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या 1960 में जोरहाट केन्द्र के कर्मचारियों के संशोधित वेतन-मान उन वेतन-मानों के बराबर निश्चित किये गये थे, जो उन्हीं पदों पर काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के थे; और

(ङ) यदि नहीं तो कुछ मामलों में भेदभाव किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ङ) : एक विवरण नत्थी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–4692/65।]**

होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर पुल

1136. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार किन परिस्थितियों में अपने द्वारा स्वीकृत डिजायन के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप मूल प्राकल्लन के पुनरीक्षण के पश्चात् मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में नर्मदा

नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण पर होने वाले वास्तविक व्यय का 2/3 भाग देने संबंधी अपने मूल वचन को पूरा नहीं कर सकी, और

(ख) यदि हां, तो कार्य के निष्पादन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4693/65।]**

दिल्ली के चिड़ियाघर में "पॉयलट गम फार्मस"

1137. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के चिड़ियाघर अधिकारियों का विचार वन पशुपालन विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में कुछ "पायलट गेम फार्मस" स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे फार्म स्थापित करने में कितना समय लगेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) योजना का ब्योरा तैयार किया जा रहा है। आशा है कि वर्षभर की अवधि में 2 उत्पादन फार्म शुरू हो जायेंगे।

चिड़ियाघर अध्ययन दल (सर्किल)

1138. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली चिडियाघर उद्यान परिषद ने पशुओ तथा पक्षियों आदि के बारे में अध्ययन करने तथा उनके कल्याण के लिए चिडियाघर अध्ययन दल स्थापित करने का निश्चिय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब काम करना शुरु कर देगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय उपमंत्री में (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) इसने 5 मई, 1965 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

केरल में मत्स्यपालन उद्योग का विकास

1139. **श्री वारियर** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य में मत्स्यपालन उद्योग के विकास के लिये केन्द्र को कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) कितना खर्च होने का अनुमान है।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा केरल सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल में पर्यटन

1140. **श्री वारियर :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य में पर्यटन के विकास के लिये कोई विस्तृत योजनायें प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उन योजनाओं पर कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) केन्द्र ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) विकास योजना की मुख्य बातें ये हैं :–

(1) बोलघट्टी या इरनाकुलम में होटल का निर्माण।

(2) सागर तटीय स्थान के रूप में कोवलम् का समंजित विकास।

(3) महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों पर अतिरिक्त आवास सुविधा की व्यवस्था।

(4) पर्यटक कोच और मोटर गाड़ियों की व्यवस्था।

(5) मुख्य त्योहारों और जल क्रीड़ाओं के लिये व्यवस्था।

(ग) लगभग सात करोड़।

(घ) केवलम् पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। चतुर्थ योजना के लिये अन्य प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है।

सहकारिता कानून

1141. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 11 फरवरी, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता कानून सम्बन्धी समिति द्वारा तैयार किये गये आदर्श रूप विधेयक के समान सहकारिता कानून बनाने में विभिन्न राज्यों ने इस बीच क्या प्रगति की है।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–4694/65।]**

Delimitation Commission's Sittings in States

1142. **Dr. Mahadeva Prasad :**
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the names of the States in which the Delimitation Commission have held their sittings for the purpose of delimiting the Parliamentary and Assembly constituencies; and

(b) when the delimitation work is likely to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): (a) The Delimitation Commission has held meetings for the purpose of delimiting the Parliamentary and Assembly constituencies in all the States except Uttar Pradesh; and in all the Union Territories except Delhi, Tripura and Manipur.

(b) The delimitation work is likely to be completed by the end of March, 1966.

Khadi and Village Industries Commission

1143. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All India Khadi and Village Industries Commission have decided to undertake schemes to provide employment to the people living in areas adjoining Kutch and Rajasthan;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether similar schemes have also been undertaken in other border areas?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Shri Jaganatha Rao) : (a) and (b). The Khadi and Village Industries Commission has decided to undertake the following schemes during 1964-65 and 1965-66.

Amount sanctioned (Rs.)

Scheme sanctioned	Kutch	Banas-kantha	Jaisal-mer
1. Ambar Charbha programme. . .	..	..	2,000
2. Village Leather	2,40,800	58,200	3,30,000
3. Non-edible Oil & Soap . . .	26,200	18,050	..
4. Village Pottery	..	..	13,610
5. Fibre	..	..	67,450
TOTAL .	2,67,000	76,250	4,13,060

(c) Yes, Sir.

गौरिबिदनूर में चीनी मिल

1144. श्री लिंग रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के कोलार जिले में गोरिबिदनूर की चीनी मिल में उत्पादन कब तक आरम्भ होने की संभावना है;

(ख) इस समय मिल किस अवस्था में है; और

(ग) मशीनों के लगाने तथा इमारतों के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : कारखाने को अभी लगाया जा रहा है और मशीनों को लगाने का 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। पेरने के कार्य की दिसम्बर, 1965 से आरम्भ होने की आशा है।

(ग) लाइसेन्स फरवरी, 1963 में दिया गया था और कारखाने तथा मशीनों को लगाने तथा धन की व्यवस्था करने के लिये जो समय लगता है उसको देखते हुए कोई अत्याधिक विलम्ब नहीं हुआ है।

कपास की पैदावार

1145. श्री मा० ल० जाधव :

श्री जेधे :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कपास उगाने वालों को लाभप्रद कीमतें देने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अच्छी किस्म की कपास के उत्पादकों को 1964-65 में अपने माल की लाभप्रद कीमतें नहीं मिलीं; और

(ग) क्या देश में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) उत्पादक को न्यूनतम आर्थिक लाभ के विषय में विश्वास दिलाने के लिये प्रत्येक मौसम में कपास की प्रत्येक किस्म के लिए एक आधारिक न्यूनतम मूल्य निश्चित किया जाता है। 1963-64 के मौसम में मुगलाई जरिला 25/32" (फाईन) के न्यूनतम मूल्य में 100 रुपए प्रति केंडी (लगभग 28 रुपये प्रति क्विन्टल) की वृद्धि करके उसे 702 रुपये प्रति केन्डी (197.20 रुपये प्रति क्विन्टल) कर दिया गया था। अन्य किस्मों के न्यूनतम मूल्यों में भी इस प्रकार वृद्धि की गई। तत्पश्चात 1965-66 के आगामी मौसम के लिए विभिन्न किस्मों में (उनके रेशे की लम्बाई के हिसाब से) के न्यूनतम मूल्यों में 75 रुपये से 100 रुपए प्रति केन्डी (लगभग 21 से 28 रुपये प्रति क्विन्टल) तक वृद्धि की गई।

(ख) जी नहीं। चालू वर्ष के दौरान में अधिकांश किस्मों के मूल्य उपयुक्त अधिकतम मूल्य के आस-पास रहे।

(ग) जी हां। (1) कपास के बीजों की उन्नत किस्मों, (2) कीटनाशी औषधियों, फुवारों तथा धुलित्रों, (3) फासफोरसपूरक उर्वरकों आदि पर उपदान के रूप में प्रोत्साहन दिय जाते हैं।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की सहकारी बचत तथा ऋण समिति सीमित, नई दिल्ली

1146. श्री दाजी :

श्रीमती बिमला देवी :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की सहकारी बचत तथा ऋण समिति सीमित, नई दिल्ली की वार्षिक सामान्य सभा की बैठक में सहकारी समिति के वार्षिक लेखे, मंत्री की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट परित नहीं हुई;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस बैठक में नयी कार्यकारिणी का चुनाव भी नहीं करवाया गया तथा पुरानी कार्यकारिणी का स्थान एक नई कार्यकारिणी ने संभाल लिया है;

(ग) क्या समिति के सदस्यों ने, मंत्री द्वारा किये गये 81,000 रुपये के अनियमित भुगतान के बारे में उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली को एक अभ्यावेदन भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो सहकारी समिति के उपनियमों का उल्लंघन करने तथा उक्त रकम की वसुली के लिए मंत्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) जी हां।

(ख) नयी कार्यकारिणी का चुनाव गुप्त मत-पत्र द्वारा सामान्य सभा की वार्षिक बैठक से पहले हुआ था।

(ग) रजिष्टार, सहकारी समितियां, दिल्ली की समिति के पदधारियों के विरुद्ध 81,375 रुपए के अनियमित भुगतान के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(घ) रजिष्टार ने समिति के मंत्री तथा खजांची को इस अनियमितता के परिशोधन के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। रजिस्टार न सहकारी समिति अधिनियम की धारा 43 के अधीन जांच करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं।

फलों की खपत

1147. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देश में फलों की खपत बढ़ाने तथा काश्मीर के फल उत्पादों का निर्यात करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : सरकार देश में फलों की खपत बढ़ाने की किसी विशिष्ट योजना पर विचार नही कर रही है। फलों के परिरक्षण तथा उपभोग को प्रोत्साहन देना सहायक खाद्यों को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम का एक भाग है, जो क्रियान्वित किया जा रहा है।

काश्मीर के फल उत्पाद के निर्यात के लिए केन्द्रीय सरकार की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि इनमें से कुछ उत्पाद तैयार खाद्य तथा मेवों के लिए निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत निर्यात किये जाते हैं।

तंजौर में कृषि औजार कारखाना

1148. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंजौर जिले के कृषि मशीनी औजार कारखाने में निर्मित नई मशीन का धान के खेतों में प्रभावी रूप से उर्वरक डालने के लिए विस्तृत उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं तो उस के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) थन्नावूर (मद्रास) के सधन कृषि ज़िला कार्यक्रम जिले में हाल ही में जो नये औज़ार का विकास हुआ है उस पर अभीं परीक्षण हो रहा है। सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे औज़ार कारखानों में जो प्रत्येक सधन कृषि जिला कार्यक्रम जिले में हैं इस औजार का आदर्श रूप तैयार करें और स्थानीय परिस्थितियों में नये औजार की उपयुक्तता की जांच के लिए व्यापक परीक्षण करें। किसानों द्वारा व्यापकरूप से इसका प्रयोग तभी हो सकेगा जब कि यह उनके लिये उपयोगी तथा लोकप्रिय होगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

बाजरे की मिलीजुली (हाइब्रिड) खेती

1149. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य की कमी को पूरा करने के लिये सरकार का विचार भारत में बाजरे, "पूसा जाइन्ट नेपिन घास" तथा "पूसा जाइन्ट बुसीम" की मिली जुली (हाईब्रिड) खेती विस्तृत रूप से आरम्भ करने का है, जिस के बारे में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था दिल्ली में सफलतापूर्वक प्रयोग किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो यह खेती किन स्थानों में आरम्भ की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) खेती के लिए "पूसा जाइन्ट नेपीयर घास" पहले ही शुरू कर दी गई है और समस्त देश में इसकी वृद्धि की जा रही है। हाइब्रिड बाजरा तथा "पूसा जाइन्ट बुसीम" (टैट्रापलौइड बरसीम) को हाल ही में विकसित किया गया है और इस वर्ष इनके बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। जुलाई 1965 में विभिन्न राज्यों में किसानों को हाइब्रिड बाजरा एच बी आई के केवल 600 किलोग्राम बीज सप्लाई किये गये हैं। इस वर्ष पहली बार किसानों को देने के लिए टैटरापलौइड बरसीम के बीज थोड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं।

(ख) पूसा जाइन्ट नेपीयर की खेती पहले ही बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। प्रत्येक राज्य ने पहले ही इस किस्म की खेती के कार्यक्रम को विकसित कर दिया है। जहां तक हाइब्रिड बाजरा का सम्बन्ध है इस वर्ष विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन किये जा रहे हैं। विशेष क्षेत्रों में वृद्धि के कार्यक्रम को सम्मन्धित क्षेत्र में हाइब्रिड बाजरा के प्रदर्शन के आधार पर निश्चित किया जायेगा। राष्ट्रीय बीज निगम उन प्रयोगात्मक प्रयास करने वाले किसानों के साथ जो हाइब्रिड बाजरा के बीजों का उत्पादन करने में दिलचस्पी रखते हैं, सम्पर्क स्थापित कर रहा है और ऐसी आशा है कि सन् 1966 में बोने के लिए लगभग 20,000 किलोग्राम बीज उपलब्ध हो जाएगा।

प्रदर्शन के आधार पर टैटरापलाइड बरसीम के बीज उन क्षेत्रों के किसानों को दिये जायेंगे जो इस फसल को उगाते हैं। ये क्षेत्र मुख्यतया उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

प्रायोगिक दूध योजनायें

1150. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ नगरों में चल रही प्रायोगि (पायलेट) दूध योजनायें कहा तक सन्तोषजनक कार्य कर रही हैं; और

(ख) ज्यादा से ज्यादा मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पड़ोस के राज्यों से दूध इकट्ठा करना

1151. महाराजकुमार विजय आनन्द : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी की दूध की मांग की पूर्ति के लिये दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा पड़ोस के राज्यों अथवा ज़िलों से दूध इकट्ठा करने के लिये किये गये प्रयास सफल हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख) : दिल्ली दुग्ध योजना अपनी दूध की अधिकतर मांग की पूर्ति उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के पड़ोसी राज्यों से करती है, किन्तु इस समय योजना राजधानी की मांग को आंशिक रूप में ही पूरा कर रही है और दूध उत्पादन बढाने के लिए योजना की दूध शालाओं में सधन पशु विकास कार्यक्रम शुरु किये जा रहे हैं।

बाल कल्याण

1152. महाराजकुमार विजय आनन्द : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय बाल कल्याण परिषद् ने हाल में हुई अपनी वार्षिक बैठक में विभिन्न बाल कल्याण योजनाओं की क्रियान्वित के बारे में निराशा व्यक्त की थी; और

(ख) यदि हां, तो प्रशासन को दोषरहित बनाने तथा इसको सौंपी गई विभिन्न योजनाओं को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) भारतीय बाल कल्याण परिषद्, ने 15 मई, 1965 को हुई अपनी महासभा की बठक मे स्वीकृत एक संकल्प में निराशा व्यक्त की थी कि एक केन्द्रीय सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय बन जाने के बावजूद भी आशायें तथा आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं।

(ख) भारत सरकार उपलब्ध साधनों तथा वित्तीय नियमों की आपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऐच्छिक संगठनों के प्रति सहानूभूतिपूर्ण व्यवहार करती है तथा उनसे प्राप्त सहायता तथा सहयोग के लिए उनकी सराहना करती है ?

हवाई अड्डों पर धावन मार्ग

1153. श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि केरल के एक नवयुवक वैज्ञानिक ने एक सिद्धान्त प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार हवाई अड्डों पर धावन मार्गों को वर्तमान मार्गों की अपेक्षा कहीं छोटा बनाया जा सकता है।

(ख) क्या उक्त वैज्ञानिक से अपने इस सिद्धान्त को समझाने तथा उस पर प्रयोग करने के लिए कहा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग) : जी हां। सरकार ने चलते फिरते (मूविंग) मार्गों के बारे में केरल के एक नवयुवक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त सम्बन्धी प्रेस समाचार पर ध्यान दिया है। यद्यपि वैज्ञानिक ने स्यवं असैनिक उड्डयन विभाग से सम्पर्क स्थापित नहीं किया परन्तु विभाग ने इस सिद्धान्त पर विचार किया है। और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पस्तावित युक्ति से असैनिक उड्डयन में कोई विशेष लाभ होने की संभावना नहीं है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का आधुनिकीकरण

1154. श्री स० मो० बनर्जी : क्या खाद्य तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को 25 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राशि वास्तव में दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

Food Polytechnics

1155. Shri Kindar Lal :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shrimati Jyotsna Chanda :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a). whether it is a fact that Food Polytechnics are proposed to be established in India with the assistance of the Food and Agriculture Organisation;

(b) if so, the number thereof and when they are likely to be set up; and

(c) the total expenditure proposed to be incurred thereon?

The Dy. Minister of Food and Agriculture (Shri D.R. Chavan): (a) to (c). There is a proposal to set up 5 Food Polytechnics during the Third Five Year Plan. A proposal has been sent to Food and Agricultural Organisation for assistance in the project under the Freedom From Hunger Campaign, and their reply is awaited. The expenditure for setting up the 5 Food Polytechnics during the Third Plan Period is estimated to be Rs. 25 lakhs.

खड़ी फसलों की जमानत पर ऋण

1156. श्री म० ना० स्वामी : **श्री तन सिंह :**
श्री कोल्ला वैकेय्या : **श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने खड़ी फसलों की जमानत पर अल्प कालीन ऋण देने के सम्बन्ध में निर्णय किया है :—

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : इस समय एक मार्गदर्शी योजना विचाराधीन है लेकिन योजना के ब्यौरे क्रियान्वित करने की तिथि के बारे में अन्तिम निर्णय अभी नहीं किया गया है।

कृषि कार्यक्रम

1157. **श्री तन सिंह : खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उत्पादित वर्ष 1965 में आयोजित करने के लिए नियुक्त की गई राष्ट्रीय समिति में 17 जुलाई, 1965 को प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का पता है जिसमें प्रधान मंत्री ने कहा कि कम से कम एक वर्ष कृषि कार्यक्रम में लगाया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सुझाव को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख): प्रधान मंत्री ने कई बार इस बात पर बल दिया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्चतम-प्राथमिकता दी जानी चाहिए और आगामी योजना के प्रथम वर्ष में कृषि की और अधिकाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रस्ताव है कि इसके अनुसार कार्य किया जाय और वित्तीय खर्च, पैदावार बढ़ा कर तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था करके कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाएगा।

केरल नौपरिवहन निगम

1158. **श्री मणियंगाडन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल नौपरिवहन निगम का परिसमापन हो गया है,

(ख) क्या इसके परिणाम स्वरूप नौका सेवायें बन्द कर दी गयी हैं,

(ग) यदि हां, तो कौन सी सेवायें इस प्रकार बन्द कर दी गई हैं,

(घ) क्या उन मार्गों पर यात्रियों को ले जाने के लिये कोई दूसरा प्रबन्ध किया है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ङ) : राज्य सरकारों से सूचना मांगी गई है और उसके प्राप्त होते ही वह सभा पटल पर पेश कर दी जायेगी।

गरीब लोगों को कानूनी सहायता

1159. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गरीब लोगों के लिये जो प्रख्यात वकीलों की फीस नहीं दे सकते हैं, वकीलों की सेवायें उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : गुजरात, मध्य प्रदेश, मैसूर, उडीसा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। तथापि इस योजना के अन्तर्गत प्रख्यात वकीलों की सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

हरिजनों के लिये मकान

1160. **श्री कजरोलकर** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में सभी राज्यों में हरिजनों के लिये मकानों की व्यवस्था करने की समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है।

(ख) क्या जीवन बीमा निगम को इस कार्य के लिए स्थापित की जाने वाली आवास सहकारी समितियों को आवश्यक धन देने के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : पिछडी जाति क्षेत्र में मकान बनाने के लिए उपदान देने के लिए व्यवस्था है। कुछ राज्यों में मकानों के लिए भूमि भी दी जाती है। मकान के लिए भूमि खरीदने के लिए 500 रु० तथा मकान बनाने के लिए 1200 (काली मिट्टी वाले क्षेत्रों, पहाड़ी इलाके तथा दूरस्थों स्थानों में 1,600 रु०) उपदान के रूप में वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बड़े बन्दरगाहों में आयात किये गये सामान की चोरी

1161. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में भारत के बड़े बन्दरगाहों में, आयात किये सामान में से कितना सामान चोरी हुआ है और उसका मुल्य क्या था, और

(ख) दोबारा आयात लाइसेंस जारी करने के कारण कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय लोकसभा पटल पर रख दी जायेगी।

जहाजों का खुर्चा जाना (स्क्रेपिंग)

1162. **श्री रा० बरुआ :**

श्री द्वारकादास मंत्री :

श्री बसुमतारी :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहाज मालिकों को हिदायतें दी हैं कि व अपने जहाजों को खुर्चवाने के लिये विदेशों में भेजे, और

(ख) कितनी कम्पनियों ने इस प्रस्ताव से लाभ उठाया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां।

(ख) उल्लिखित आदेश जुलाई, 1965 में जारी किये गये थे। तब से एपीजे लाइन्स के केवल एक जहाज अर्थात् "एपीज अनिल" के विदेश में खुर्चवाने के लिये स्वीकृति दी गई है।

Collection of Land Revenue By Panchayats

1163. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the percentage of the total amount collected as land revenue given as commission to the Panchayats in different States during the period from April, 1962 to March, 1965;

(b) whether Government have given any suggestion to the State Governments to increase the percentage of commission; and

(c) the steps taken by Government to bring uniformity in the percentage of that commission?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy) : (a) Information is being collected from the concerned States.

(b) No Sir.

(c) No such steps have been taken.

कलकत्ता रोजगार दफ्तर में दर्ज विकलांग व्यक्ति

1164. डा० सारादीश राय : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कलकत्ता में विशेष रोजगार कार्यालय में अब कितने विकलांग व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं;

(ख) उनमें से कितने अन्धे शिक्षित व्यक्ति हैं; और

(ग) उनमें से अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) 31-7-1965 तक 596 ।

(ख) 9,

(ग) निम्न प्रकार 169:-

श्रेणी	संख्या
अन्धे	8
बहरे	44
विकलांग	177

Land to Landless People

1165. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the last session of Parliament assurances were given by Government to the leaders of the Republican Party as a result of the widespread campaign launched by the Party, for getting land for the landless people; and

(b) if so, the measures taken by Government so far to fulfil those assurances?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b) : No such assurance was given. However, in the matter of allotment of land the landless people receive due priority. Under

the Centrally sponsored scheme for the resettlement of landless agricultural workers the pattern of financial assistance has recently been liberalised. It has now been provided that the assistance would be available for the cost of reclamation of land up to Rs. 300 per acre (instead of Rs. 150 per acre previously). The ceiling of expenditure on initial expenses has been increased to Rs. 750 per family (instead of Rs. 500 per family previously). For Colonisation schemes, the Central assistance is available up to a ceiling of Rs. 5,000 per family, inclusive of the cost of reclamation.

इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की अलाभप्रद विमान सेवायें

1166. **श्री वाडीवा :**
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री चांडक :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की कौनसी विमान सेवाएं अलाभप्रद हैं और जिनके लिये राज्य सरकारों ने इस घाटे को पूरा करने की गारंटी दी है;

(ख) इस प्रकार 1963-64, 1964-65 और 1965-66 में अब तक कितनी राशि सहायता के रूप में दी गई है;

(ग) क्या असैनिक उड्डयन विकास निधि से अलाभप्रद विमान सेवाओं के लिये सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की सहायता देने के क्या कारण है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों द्वारा घाटे पूरा करने की गारन्टी की व्यवस्था के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की अलाभप्रद विमान सेवाओं का ब्यौरा तथा 1963-64, और 1964-65 में उनसे प्राप्त उपदान निम्नलिखित हैं :—

राज्य सरकार का नाम और क्षेत्र	मांगा गया उपदान	
	1963-64	1964-65
	रु०	रु०
पंजाब सरकार—		
दिल्ली, चण्डीगढ़, कुल्लू . .	1,44,658.60	1,58,605.23
आन्ध्र प्रदेश सरकार—		
हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम	2,51,502.24	2,27,299.87
मैसूर सरकार—		
बंगलौर, गोआ, मंगलौर . .	कोई सेवा नहीं	9,65,063.55
उड़ीसा सरकार—		
कलकत्ता, भुवनेश्वर . .	2,59,436.05	2,12,613.02
महाराष्ट्र सरकार—		
औरंगाबाद, नागपुर . .	..	1,89,073.84

1965-66 के उपदान के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) : जी हाँ। केन्द्रीय सरकार असनिक उड्डयन विकास निधि से इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को कुछ सेवाओं के चलाने के लिए, जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, वित्तीय सहायता देने को सहमत हो गई हैं।

कोचीन बन्दरगाह में जहाजों की टक्कर

1167. श्री राम सेवक यादव :

श्री फ० गो० सेन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून 1965 में कोचीन बन्दरगाह के मुहाने पर माल ढोने वाले दो जहाज "प्रेसिडेंट एडम्स" और "जाफीरी" आपस में सीधी टक्कर लग जाने से टूट-फूट गये, और

(ख) यदि हां, तो क्या बंदरगाह अधिकारियों नें इस घटना की कोई जांच की है और यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां, किन्तु "जाफीरी" का अगवाड़ "प्रैसिडेंट एडम्स" की बाजू की ओर था और इसलिये तकनीकी रीति से सीधी टक्कर नहीं हुई थी।

(ख) व्यापार पोत अधिनियम, 1958 के उपबन्धों के अधीन कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के उप-संरक्षक द्वारा प्राथमिक जांच की गई थी। टक्कर का कारण अभ्यास और आदेश के बीच संघर्ष था जिसके परिणाम स्वरूप दोनों जहाजों के पाइलटों ने विपरीत कार्यवाही की। कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से कहा गया है कि वह वर्तमान अभ्यास तथा पाइलटों को दिये जाने वाले आदेशों पर पुनर्विलोकन करें।

पटसन की फसल

1168. श्री राम सेवक :

श्री फ० गो० सेन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष पटसन की फसल कैसी होने की आशा है; और

(ख) इस वर्ष कितने एकड़ भूमि में पटसन की खेती की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) : पटसन की फसल कितने क्षेत्र में बोई गई है और इस वर्ष कितने उत्पादन की सम्भावना है इनके बारे में अभी तक कोई अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी इस बार इस फसल के लिए ऋतु परिस्थितियां बहुत अनुकुल नहीं हैं।

'जवाहर' जहाज का निर्माण

1169. श्री राम सेवक :

श्री फ० गो० सेन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री कैडेट कोर के दस लाख रुपये की लागत वाला "जवाहर" जहाज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, और

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : सी कैडेट कोर, बम्बई, गैरसरकारी क्षेत्र में एक ऐच्छिक युवक संगठन है। कोर से मिली सुचना के अनुसार उनकी इमारत "जवाहर" का निर्माण जिसका आकार जहाज की तरह है सितम्बर, 1965 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है।

मुर्गियों के दाने के लिये मक्का

1170. डा० सरोजिनी महिषी : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में मुर्गियों के दाने के लिए 20,000 टन मक्का की सप्लाई के लिए भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच करार हुआ है;

(ख) देश में किये जाने वाले उत्पादन से मक्का की कितनी आवश्यकता पूरी होती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि गत तीन वर्ष से मुर्गियों के दाने के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए मक्का के आयात में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो देश में मक्का का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) मोटा अनाज तथा मकाई जो कि आम तौर पर कुक्कुट आहार के लिये प्रयोग किया जाता है आन्तरिक उत्पादन से पूरा किया जाता है। कुछ उत्पादनों क्षेत्रों में फसल के मारे जाने के कारण 1964–65 के अन्तिम काल में कुक्कुट आहार की बहुत कमी महसूस की गई। इस अस्थाई कमी पर काबू पाने के लिये विश्व खाद्य अधिकारियों के साथ, 20,000 टन मकई कुक्कुटीहार प्रयोग के लिये अमूल्य लेने के लिये अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये गये।

(ग) पी० एल० 480 के अधीन 1,30,000 टोन्स मकई स्टार्च उद्योग में प्रयोग करने के लिये प्रति वर्ष आयात की जाती है। मकई मनुष्यों के खाने के लिये आयात नहीं की जाती।

(घ) देसी मकई का प्रयोग, सिवाय संकर मकई के, स्टार्च उद्योग के लिए वर्जित है। आयात पर निर्भरता को कम करने के लिये उद्योग मन्त्रालय स्टार्च उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कुछ दूसरे स्टार्च वाले पदार्थों का, जैसा कि टैपिओंका तथा ट्यूवर इत्यादि की खोज कर रही है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की खोज के अनुसन्धानों के फलस्वरूप 9 प्रकार की संकर मकई, जोंकि देसी मकई से 20 से 50 प्रतिशत तक ज्यादा उपज देती है और जो विभिन्न मौसमों में उगाई जा सकती है का आविश्कार किया है और देश में बड़े पैमाने पर उगाने के लिये दे दी गयी है। संकर मकई के बीज उत्पादन करने का कार्य राष्ट्रीय बीज निगम को सौंपा गया है।

Development of Rajasthan and Kutch areas

1171. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating a scheme for the development of the desert areas of Rajasthan and Kutch ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b). There is a proposal to set up a Desert Development Board for undertaking desert development work on a pilot basis in selected areas of Rajasthan, Punjab and Kutch in Gujarat. The Planning Commission have already approved of the proposal to set up the Board and details of the proposal are at present being worked out in consultation with the Ministry of Finance. The Board is expected to be set up before the end of 1965.

कोचीन हवाई अड्डा

1172. श्री वारियर : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में हवाई अड्डे का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर कितना अनुमानित व्यय होगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : कोचीन में एक नया असैनिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। यात्रियों के लिय एक नई टर्मिनल इमारत पूरी होने वाली है और पानी व्यवस्था, मल-नाली व्यवस्था, कार पार्क आदि सुविधायें प्रदान करने का कार्य चल रहा है। धावन पट्टी मार्ग को भारी विमानों के लिए सुदृढ़ बनाने का प्रश्न भी विचाराधीन है। इस कार्य की लागत ब्यौरे को अन्तिम रुप दिये जाने तथा प्राक्कलन तैयार हो जाने पर ही पता लग सकेगी।

खाद्य विभाग के कर्मचारी

1173. श्री मोहम्मद कोया : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनाजों के समाहार, आयात, संग्रह, देखभाल, वितरण तथा विक्रय सम्बन्धी कामों को भारत के खाद्य निगम को सौंप देने के कारण फालतू हुए उनके मन्त्रालय के खाद्य विभाग के कर्मचारियों को दूसरे स्थानों पर रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : इस काम पर लगाए गये पहले ही स्थानान्तरित कर्मचारियों की सेवाएं निगम को सौंप दी गई है। जब कभी कोई भी काम खाद्य विभाग से भारतीय खाद्य निगम को हस्तान्तरित किया जाता है तो उस काम को करने वाले कर्मचारियों को, जो निगम में नौकरी करने को तैयार होते है, निगम काम पर रख लेता है और इस तरह कर्मचारियों के फालतू हो जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Manduadih, Central Food Storage

1174. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Food Storage at Manduadih is being wound up; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Dy. Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b) : Presumably, the Hon. Member is referring to Manduadih near Varanasi. There is no Central Food Storage Depot at this station.

सेवा निवृत्ति/परिवार पेंशन

1175. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन कर्मचारियों के लिये, जो कर्मचारी भविष्य निधि तथा कोयला खान मजदूर भविष्य निधि के सदस्य है, उन पर अथवा मालिकों पर बिना किसी प्रकार का अतिरिक्त भार डाले सेवा निवृत्ति/परिवार पेंशन की एक योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया अनाज

1176. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय और राज्य की सरकारी अभिकारणों द्वारा अब तक कितना गेहूं खरीदा गया है;

(ख) क्या गेहूं खरीदने में कोई कठिनाइयां हुई; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भारतीय खाद्य निगम को अभी तक गेहूं खरीदने का काम नहीं सौंपा गया है । राज्य सरकारों ने चालू फसल पर केन्द्रीय सरकार की ओर से तथा अपने लिए अब तक 3।। हज़ार टन गेहूं खरीदा है ।

(ख) केवल पंजाब में गेहूं बड़ी मात्रा में खरीदा जा रहा है । वहां गेहूं खरीदने में कोई कठिनाई नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Import of Wheat

1177. **Dr. Mahadeva Prasad** : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of wheat imported from U. S. A. so far during the year 1965-66; and

(b) the total value and the manner of payment thereof ?

The Dy. Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) **and** (b). 2306.7 thousand metric tons of wheat valued at about Rs. 87.7 crores (C & F) were imported during the year 1965-66 up to 15th August, 1965.

The cost of wheat and the freight for the quantity carried in U. S. Flag ships is paid in rupees at the prevailing non-U. S. Flag rate. The freight for the quantity carried in non-U.S. Foreign Flag ship is paid in foreign exchange. The freight for Indian ships is paid in rupees.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में संशोधन

1178. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में संशोधन करने वाली सलाहकार समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) क्या समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; विशेषतया अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में से छोड़ दी गई महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र की आदिम जातियों के विशिष्ट स्थिति के बारे में ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख): अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में संशोधन करने वाली सलाहकार समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली है और 25 अगस्त, 1965 की सायं को अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ग) समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

राज्य भविष्य निधि योजना

1179. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य भविष्य निधि योजना कितने प्रतिशत वर्तमान कारखानों और स्थापनाओं पर लागू होती है;

(ख) कितने प्रतिशत कारखानों और स्थापनाओं को इस योजना के लागू होने से छूट दी गई है;

(ग) वर्तमान कारखानों और स्थापनाओं की कुल संख्या के मुकाबिले कितने प्रतिशत कारखाने और स्थापनाएं ऐसी हैं जिन पर न तो यह योजना लागू होती है और न ही जिनको योजना से छूट दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो नियोजकों द्वारा योजना से छूट चाहने के क्या कारण हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) देश में कारखानों तथा प्रतिष्ठानों की कुल संख्या उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह हिसाब नहीं लगाया जा सकता कि कुल कारखानों तथा प्रतिष्ठानों में से कितने प्रतिशत कारखानों तथा स्थापनाओं में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 तथा योजना लागू होती है।

(ख) 31 मई, 1965 को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के लागू होने वाले कारखानों और प्रतिष्ठानों में से 6.13 प्रतिशत को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के लागू होने से छूट दी गई है।

(ग) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिशत नहीं निकाली जा सकती।

(घ) यदि किसी कारखाने अथवा प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के लाभ प्राप्त हों, जो योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभों से कम न हों, तो वह कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 से छूट पाने योग्य है। इसी आधार पर किसी कारखाने अथवा स्थापना में किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों के किसी वर्ग को योजना से छूट दी जा सकती है।

चलते-फिरते खाद्य तथा पोषाहार विस्तार यूनिटें

1180. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलते-फिरते खाद्य तथा पोषाहार विस्तार यूनिटें किस प्रकार कार्य करते हैं;

(ख) क्या इन विस्तार यूनिटों द्वारा किये गये काम का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : खाद्य परिक्षण, अनाज को बरबाद होने से रोकना, आहार में विभिन्नता लाना और भोजन बनाने के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में ज्ञान का विस्तार करना तथा अनाज के कुशल उपयोग के कार्यों में वद्धि करने के लिये चलती-फिरती खाद्य तथा पोषाहार विस्तार यूनिटें आन्दोलनों का संगठन करती हैं। यह सूचना लोगों को सीधे दी जाती है, जैसे बातचीत, लेक्चर, प्रदर्शन, फिल्मों और बहुसंचार के अन्य साधनों द्वारा। चलते-फिरते युनिटों के कर्मचारी जनता के विभिन्न वर्गों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करते हैं और महिलाओं की संस्थाओं, स्कूलों, गृहविज्ञान संस्थाओं, सामुदायिक केन्द्रों, श्रमिक कल्याण केन्द्रों, बाल स्वास्थ्य केन्द्रों, विज्ञान मन्दिरों, प्रसूति गृहों आदि के सामने प्रदर्शन करके दिखाते हैं। विभिन्न संस्थाओं के परामर्श से उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं और जिन लोगों से सम्पर्क स्थापित करना होता है उनकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा के स्तर और खाने के आचार की सूचना एकत्रित करके उसके आधार पर प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है। प्रदर्शन करने से पहले विषय पर संक्षिप्त भाषण दिया जाता है और उसके उपरान्त उस पर चर्चा की जाती है। इश्तहार और नमूने भी बांटें जाते हैं।

विस्तार यूनिटों के कर्मचारी प्रदर्शनों की रिपोर्टें पेश करते हैं और मुख्यालय से अधिकारी उनके कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं और प्रदर्शनों के स्थलों पर भी जाते हैं। इस आन्तरिक निर्धारण के अलावा खाद्य और कृषि संगठन के एक पोषाहार विशेषज्ञ ने यूनिटों के कार्य का अध्ययन किया था। जिन क्षेत्रों में इन यूनिटों ने अभी तक कार्य किया है, वहां यह कार्यक्रम काफी प्रभावकारी रहे हैं।

Employees Health Insurance Dispensaries in Delhi

1181. Shri Bagri : Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work in the Dispensaries under the Employees Health Insurance Scheme in Delhi came to a standstill in June, 1965;

(b) whether the main reason for it was the shortage of medicines there; and

(c) if so, the steps being taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Shri Jagannatha Rao) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

सामुदायिक विकास खण्ड

1182. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सामुदायिक विकास योजना के अधीन विकास खण्डों का संगठन भिन्न भिन्न प्रकार का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे एक समान बनाने के लिये केन्द्र द्वारा कोई उपाय करने का विचार है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) व (ख): देश में आम तौर पर हर सामुदायिक विकास खण्ड में (1951 की जन गणना के अनुसार) 66,000 की आबादी होती है, पांच वर्ष की अवधि के प्रथम सोपान खण्ड के लिए 12 लाख रुपए तथा उतनी ही अवधि के द्वितीय सोपान खण्ड के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था रहती है और उनका एक बुनियादी कार्यक्रम तथा कर्मचारियों का ढांचा रहता है । तथापि विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं को देखत हुए, जो अधिकांशतया भौगोलिक, जलवायु सम्बन्धी, पारिस्थितिक तथा प्रशासनिक होती हैं, इनमें कुछ अन्तर हो सकता है ।

वनस्पति बनाने में सोयाबीन तेल का प्रयोग

1183. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति उद्योग ने अपने उत्पादन में सोयाबीन तेल की मात्रा बढ़ाने के लिये अभ्यावेदन दिये है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) वनस्पति में सोयाबीन तेल मिलाने की अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दी गई है ।

वनस्पति घी में रंग मिलाना

1184. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री बागड़ी :

डा० महादेव प्रसाद :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वनस्पति घी में रंग मिलाने के सम्बन्ध में किये गये प्रयोगों म कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : वनस्पति के लिये उपयुक्त रंग ढूंढ़ने के लिय अनुसंधान में तीव्रता लाने के लिये जो समिति नियुक्त की गई थी उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है और रिपोर्ट पेश कर दी है । उसकी जांच की जा रही है ।

मूंगफ ी तथा मूंगफली के तल क दाम

1185. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मूंगफली तथा मंगफली के तेल के अधिक दाम होने के क्या कारण है; और

(ख) इन दामों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) इस समय मूंगफली के तेल के अधिक दाम होने का मुख्य कारण खपत का बढ़ जाना तथा नई फसल की अनिश्चित परिस्थितियों का होना है।

(ख) दामों को कम करने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :—

मूंगफली तथा तेल के फारवर्ड ट्रेडिंग का नियमन करना, निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना, खाने के तेलों का औद्योगिक कार्यों तथा अभक्षार्थ कार्यों के लिये प्रयोग पर रोक लगाना, बैंक ऋण पर प्रतिबन्ध लगाना, सोयाबीन-तेल, टैलो तथा मूंगफली के बीजों का आयात करना।

फीरोजपुर जिले (पंजाब) में हैलीकाप्टर दुर्घटना

1186. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17-8-65 को एक हैलीकॉप्टर, जो फीरोज़पुर ज़िले (पंजाब) में ख्योवाली गांव में कपास के खेत में कीटनाशक दवाई छिड़क रहा था, दुर्घटना ग्रस्त हो गया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना की जांच की जा रही है।

ढोर बीमा

1187. श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री 23 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 222 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब ढोर बीमा की प्रायोगिक नमुना योजना पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके कब तक क्रियान्विति किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) : ढोर बीमा की प्रायोगिक नमूना योजना अभी तक सरकार के विचाराधीन है और उसे चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है।

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारें में

RE : MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

इम्फाल में खाद्य स्थिति तथा वहां पर गोली चलाया जाना—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब मैं स्थगन प्रस्ताव लूंगा । माननीय मंत्री ने कहा था कि वह वक्तव्य देंगे ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : माननीय सदस्यों के कहने अनुरूप मैं वक्तव्य दूंगा । खाद्य मंत्री भी यहां उपस्थित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों में से कोई मंत्री वक्तव्य दे सकते हैं ।

श्री नन्दा : मैं केवल बुनियादी तथ्य ही बताऊंगा । परन्तु यदि अन्य जानकारी की आवश्यकता होगी तो वह माननीय खाद्य मंत्री ही देंगे ।

मनीपुर में चावल प्रायः आवश्यकता से अधिक होता है । सामान्य परिस्थितियों में आसाम के ऐसे इलाकों में जो मनीपुर के आसपास हैं लगभग 2,000 टन चावल भेजा जाता है । इस वर्ष मनीपुर में चावल की फसल अच्छी हुई थी । 1963-64 में 1,09,000 टन के स्थान पर 1964-65 म 1,11,000 टन चावल हुआ था । मनीपुर की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस वर्ष भी चावल की फसल अच्छी होने की सम्भावना है । मई के महीने तक चावल की सप्लाई की कोई समस्या न थी । जब मनीपुर के प्रशासन ने चावल की मांग की थी तो ऐसा अनुमान लगाया गया था कि उन्होंने चावल को स्टाक करने के लिये मांग की है । बाद में जब सूचना मिली तो पता चला कि उन्होंने मांग इस लिये की क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर राशनिंग करने का वायदा कर लिया था, अब चूंकि उन्होंने मांग की है इस लिये उनकी मांग को पूरा किया जा रहा है । मैंने तो जो तथ्य था वह बता दिया है । यदि माननीय सदस्यों को और जानकारी चाहिये तो वे हमसे पूछ सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आरोप तो इस बात का लगाया गया है कि सरकार ने उतना चावल नहीं भेजा है जितनी मांग की गई थी । यही कारण है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है ....

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मनीपुर को चावल सप्लाई करने का प्रश्न वास्तव में तो नहीं उठता क्योंकि वहां पर उत्पादन आवश्यकता से ज्यादा होता है । परन्तु फिर भी मांग को ध्यान में रखते हुए हम उनको 2,500 टन चावल भेज रहे हैं जिस की मई में मांग की गई थी । इसके अलावा उन्होंने और मांग की थी और हम वह भी पूरी कर रहे हैं ।

हमें कई बातों को ध्यान में रखना होता हैं । हमें यह भी देखना होता है कि ऐसे राज्य में जहां आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है वहां आवश्यकता क्यों पड़ गई । परन्तु इस के बावजूद भी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम आवश्यकता के अनुसार चावल सप्लाई कर रहे हैं । इसलिये यह आरोप निराधार है कि केन्द्रीय सरकार मांग के अनुसार सप्लाई नहीं कर सकी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपूर) : क्या हम स्पष्टीकरण के लिये एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल ध्यान दिलाने वाली सूचना के अन्तर्गत आने वाले प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूं । परन्तु मैं स्थगन प्रस्ताव के लिये अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि मनीपुर में चावल आवश्यकता से अधिक होता है। परन्तु मुझे वहां से आज एक तार मिली है जिस में यह लिखा हुआ है कि वहां पर अकाल की स्थिति है, चावल की सप्लाई बन्द हो गई है इसलिये वायुयानों द्वारा चावल भेजिये। वहां पर अकाल की स्थिति है और लोगों को चावल के स्थान पर राशन कार्ड मिल रहे हैं। जब लोगों ने चावल की मांग की थी और जलूस निकाले थे तो उनपर गोली चलाई गई थी जिस में एक ड्राइवर के अतिरिक्त एक बालक तथा एक बालिका की मृत्यु हो गई थी। मनीपुर की यह हालत है। हमारी यह भी मांग है कि गोलीकाण्ड के बारे में जांच कराई जाये। यह स्थिति इस लिये पैदा हुई है क्योंकि सरकार वहां पर चावल नहीं भेज सकी। उनको चावल के स्थान पर गोलियां दी गई हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मनीपुर अन्य राज्यों की तरह नहीं है। यह केन्द्र प्रशासित क्षेत्र है। अब यहां पर चावल उपलब्ध नहीं है। इस लिये मैं यह जानना चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में अकाल की स्थिति न हो तथा वहां के चावल का स्टाक नागालैंड क्षेत्र में न जाये ? इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहती हूं कि सरकार ने, मई के महीने जो चावल की मांग की गई थी, उसे पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है। क्या मैं यह भी जान सकती हूं कि अब तक चावल न भेजने के क्या कारण हैं ? ऐसा सुना गया है कि चावल भेजने से इंकार किया गया है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : चावल भेजने के लिये कभी इंकार नहीं किया गया था। तथ्य तो यह है कि 2,500 टन चावल की मांग की गई थी। हमने कहा था कि हम 90 क्विनटल प्रति दिन के हिसाब से दे देंगे जिसके अनुसार एक महीने में 270 टन दिये जायेंगे। इस आधार पर 9 महीनों में हम 2,500 टन चावल भेज देंगे।

यही कारण था कि हमने इकट्ठा 2,500 टन चावल नहीं भेजा। हमने केवल उतना ही चावल भेजा जितने की उनको तुरन्त आवश्यकता थी।

दुर्भाग्य की बात है कि आजकल ऐसे मामलों को प्रायः राजनीतिक प्रश्न बना दिया जाता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह राजनितिक प्रश्न नही है। मेरी समझ में नही आया कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं ?

श्री हेम बरुआ : मांगा तो उन्होंने चावल था परन्तु मिली उन्हें गोलियां।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : उन्हें ऐसा कहने के लिये शर्म आनी चाहिये विशेषकर जबकि उन्हें चावल सप्लाई नही किया गया है और वहां के लोग भूखे मर रहे हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने विरोधी दल पर तो आरोप नहीं लगाया है। मैं कह रहा था कि वहां के लोग ऐसे मामले को राजनितिक प्रश्न बना रहे हैं। पहले भी कहा जा चुका है तथा विरोधी दल के माननीय सदस्य भी मान चुके हैं कि मनीपुर में आवश्यकता से अधिक चावल पैदा होता है। हमें दूसरे इलाकों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना होता है जहां चावल कम होता है चाहे वे केन्द्र प्रशासित क्षेत्र न भी हों। इस लिये मुझे विश्वास है कि आवश्यकता से अधिक चावल पैदा करने वाले क्षेत्र में चावल भेजने के लिये सभा अनुरोध नहीं करेगी। अब वहां पर कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई है। हमें उनपर विचार करना है और यह देखना है कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है।

हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या चावल को छिपा लिया गया है अथवा कोई और बात हुई है। परन्तु वर्तमान मांग के लिये हम चावल भेज रहे है।

मैं मनीपुर के लोगों से भी कहूंगा कि वे इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करके खाद्य समस्या का हल नहीं कर सकते।

Shri Bagri (Hisar) **:** The Government itself has stated that it is a surplus area. Now it is the Government machinery which has asked for the supply. The Government says that it will look into it that the stocks might not have gone under-ground. I have been told that rice is not available there at all. It is not available even at the rate of fifty rupees a maund.

Mr. Speaker : You are giving a statement. I have allowed you to ask a question. If you don't like to ask a question then I may give chance to others.

Shri Bagri : According to the official statistics Manipur is a Surplus State. But even then the Government machinery has asked for the supply of rice. Now the rice has not been supplied according to their demand and the Minister says that the stock might have gone underground. Government is responsible for it. I would therefore like that the situation must be under control as soon as possible.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) **:** माननीय गृह-कार्य मंत्री तथा माननीय खाद्य मंत्री के उत्तरों से पता चलता है कि मनीपुर में चावल आवश्यकता से अधिक होता है तथा उन्होंने स्टाक के लिये चावल की मांग की थी। परन्तु हमें मनीपुर के लोगों से पता चला है कि उन्होंने केन्द्र से मांग की थी कि राशन ठीक प्रकार से मिलना चाहिये। इस लिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस मामल को राजनीतिक मामला बना रहे हैं या कि इस के पीछे कोई राजनीतिक मामला है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वहा कि जनता मुख्यायुक्त के यहां इस लिये गई थी क्योंकि उनको चावल उचित दामों पर नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति केवल इम्फाल में ही नहीं अपितु अन्य बहुत से स्थानों पर भी है। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री को मनीपुर की स्थिति के बारे में जानकारी थी और यदि थी तो क्या वह इस बारे में उच्चस्तरीय जांच करवायेंगे कि गोली क्यों चलाई गई और चावल की कमी क्यों हुई।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक मेरी जानकारी है जनता नहीं बल्कि राजनीतिक लोगों ने जलूस निकाला था।

श्री हेम बरुआ : मुझे तार मिला है जिस में कहा गया है कि 50,000 विद्यार्थियों ने जलूस निकाला था। वे राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, वे भूखे लोग थे।

अध्यक्ष महोदय : सभी काम शान्ति से चलना चाहिये। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य मुझे इस में सहयोग दें। उन्हें स्वयं सोचना चाहिये कि हम इस प्रकार काम नहीं कर सकते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आपने विरोधी दल के सदस्यों से कहा है। मैं प्रार्थना करती हूं कि आप मंत्रियों से भी कह दें कि वे इस प्रकार उत्तेजना पैदा करने वाले उत्तर न दिया करें। एक ओर मनीपुर में लोगों को खाने को चावल नही रहा है और दूसरी ओर वह कह रहे हैं कि लोग ऐसे मामले को राजनीतिक प्रश्न बना रहे हैं।

Shri Bade (Khargone) : It may be a surplus State but the fact is that the whole grain is drained away to other States. Moreover the figures cannot be relied upon. May I therefore know from the hon. Minister the quantity of rice that has been exported from here and that which has gone underground as a result of control ?

Mr. Speaker : How can he answer so many questions at a time ?

Shri Bade : When the hungry people march then they say that there is a political motive behind it. But nobody would like to lay down his life for nothing. The fact is that the hungry persons had demonstrated and I had enquired from them what the actual position of stock was at the time when firing had taken place.

Mr. Speaker : All these questions cannot be answered together.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The people are starving there but the Minister is getting his ration, so he is not anxious. Manipur is a Centrally administered area, so the responsibility of that area rests with the Central Government. The Commissioner of that place has asked to supply 75,000 tonnes for two and a half months. So, either the hon. Minister or the Commissioner is telling a lie. Therefore an enquiry should be launched into this matter, this is our demand.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : It is meaningless to say that Manipur is a surplus State because at this time it is short of foodgrains. Since their demand has not been fulfilled, the responsibility falls on the Central Government. When there has been shortage of rice, it being a surplus State, then it is quite evident that it has gone underground or it sells in the black market. To check these evils is the responsibility of the Central Government. Hence we can say that Government has failed to discharge its functions properly.

श्री दाजी (इन्दौर) : मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो यह है कि जब यहां पर चावल आवश्यकता से ज्यादा होता है तो क्या कारण है कि वहां अब चावल की कमी हो गई है। दूसरे मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि जिस रोज यह घटना हुई थी उसके चार दिन पहले किसी भी दुकान में चावल देखने को भी नहीं थी।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस मामले की जांच की जायगी। हमें अपने कर्तव्य का ध्यान है और हम उसे पूरा निभायेंगे। परन्तु हमें इसके साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि ऐसी स्थिति का राजनीतिक लाभ न उठाया जा सके, विशषकर जब यह सीमावर्ती राज्य है। हम अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक हैं और ऐसी बात नहीं है कि हमने वहां पर चावल नहीं भेजा था जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है। हम वहां पर चावल आवश्यकता के अनुसार भेज रहे हैं।

श्री दाजी : क्या यह सही नहीं है कि घटना के चार दिन पहले दुकानों से चावल गायब हो गया था ?

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि हम इस ओर ध्यान देंगे।

श्री वारियर (त्रिचूर) : मुख्यायुक्त ने केन्द्रीय सरकार को कब बताया था कि स्टाक में कमी हो रही है और इस लिये सप्लाई की जाये, जो पूरी नहीं की गई थी तथा केन्द्रीय सरकार ने वास्तव में कब स्टाक भेजा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरी समझ में नहीं आता कि सदस्य ऐसी जानकारी कहां से ले लेते हैं। मैं सही स्थिति बताता हूं। गत मई में हमें वहां के मुख्यायुक्त ने हमें प्रार्थना की कि 2,500 टन चावल भेज दिये जाये। उस में यह भी बताया गया था कि चावल 10 क्विंटल (1 टन) प्रति दिन के हिसाब से तकसीम किये जायेंगे। इस के हिसाब से उन्हें एक महीने में 270 टन की आवश्यकता हुई। और उन्होंने मांग की थी 2,500 टन की। अगस्त तक हमने 1,720 टन चावल भेज भी दिये थे। इस के अतिरिक्त वहां पर और आवश्यकता पड़ गई थी।

अध्यक्ष महोदय : उनकी जरूरत के अनुसार यह कितनी देर के लिये काफी होगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : लगभग सात महीने के लिये। इसके पश्चात् उन्होंने फिर मांग की कि और सप्लाई की जाये। हम इस तरह से बढ़ती हुई मांग को कहां तक पूरा कर सकते हैं। इसके बावजूद भी हमने 700 टन चावल वहां के समीप के डिपो कोजाई से भेज दिये। कलकत्ता से भी 1,000 टन भेजे जा रहे हैं। इसलिये यह कहना गलत है कि हम उनकी मांग की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें यह भी देखना होता है कि वहां आवश्यकता से अधिक उपज होते हुए भी ऐसी कमी का क्यों सामना करना पड़ रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : जांच के बारे में क्या निर्णय किया गया है। हम चाहते हैं कि माननीय गृह-कार्य मंत्री इस का उत्तर दें।

श्री नन्दा : जब इस सम्बन्ध में चर्चा बन्द हो जायेगी तो मैं वहां की कानून तथा व्यवस्था संबंधी स्थिति के बारे में कुछ कहूंगा, क्योंकि उस सम्बन्ध में बहुत प्रश्न पूछे गये हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : माननीय मंत्री नाराज हो गये लगते हैं क्योंकि उनके अपने राज़ों का पता चल गया है।

श्री दाजी : माननीय मंत्री को पता नहीं है कि वहां पर चावल उपलब्ध था या नहीं। वह कहते हैं कि इस के पीछे राजनीतिक चाल थी। जिस मंत्री को यह भी पता नहीं है उसे अपना पद छोड़ देना चाहिये। उन्हें पता नहीं होता कि चावल है या नहीं परन्तु वे लोगों पर गोली चला देते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : वे इस प्रकार गोली नहीं चला सकते हैं। हम इस पर विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप विरोध कर सकते हैं परन्तु इस तरह से कार्यवाही नहीं चल सकती।

श्री स० मो० बनर्जी : आप मंत्री महोदय को शील्ड कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह नहीं कह सकते।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे इसके लिये अफसोस है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हम यह मानते हैं कि वहां पर चावल आवश्यकता से अधिक होता है और इस लिये कोई मांग नहीं की जानी चाहिये थी। परन्तु उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि वहां के आयुक्त ने प्रार्थना की कि सप्लाई की जाय। मंत्री महोदय ने कहा है कि हम अब चावल भेज रहे हैं। इस लिये हम यह चाहते हैं कि इस बात की जांच कराई जाये कि मांग क्यों की गई।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इससे यह तात्पर्य नहीं कि हम इस समय चावल भेज रहे हैं। 2,500 टन चावल की मांग की गई थी, जिसमें से 1,720 टन पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं। यह एक दिन में ही नहीं पहुंचे हैं। यह मई से जून तक भेजे गये थे।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री यह पहले ही कह देते कि जैसे ही मांग की गई थी हम ने चावल सप्लाई कर दिया था तो इतनी कठिनाई उत्पन्न न होती। पहले भी मैंने यही समझा था कि चावल अगस्त में भेजा गया था जबकि मांग मई में की गई थी।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि मैंने यह बात पहले स्पष्ट नहीं की थी तो इसके लिये मुझे बहुत अफसोस है। मैंने यही कहा था कि अगस्त तक 1,720 टन चावल भज जा चुके थे। मैंने अगस्त में नहीं बल्कि अगस्त तक कहा था। मांग 2,500 टन की की गई थी परन्तु हमने 1,720 टन भेजे थे क्योंकि जैसा मैं पहल कह चुका हूं कि उनकी पहली मांग के अनुसार इतनी मात्रा सात महीने के लिये चाहिये थी।

मुझे यह भी पता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें दो शत्रुओं स बचना है--समाज विरोधी तत्वों से जो ऐसे समय लाभ उठाते है और दूसरे जो राजनितिक लाभ उठाते है।

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्तशासी जिले) : अच्छा तो यह होता यदि खाद्य मंत्री इस बारे में रोशनी डालते परन्तु उन्होंने तो मनीपुर के लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया।

सैकड़ो लोग, जिन में महिला मजदूर भी शामिल थीं, अपना काम छोड़ कर जलूस में जा रही थी और अनाज की मांग कर रही थी जब कि उन पर पुलिस ने गोली चलाई। अब उन में से कुछ की मृत्यु भी हो गई है। यदि सरकार ने स्थिति की जांच की है तो क्या परिणाम निकले हैं .....

अध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर गृह-कार्य मंत्री को देना चाहिये।

श्री नन्दा : 27 अगस्त, 1965 को भारी संख्या में लोग मुख्यायुक्त के निवासस्थान पर यह जानने के लिये गये थे कि प्रशासन ने चावल की सप्लाई के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है। मुख्यायुक्तने, जरूरतमंद लोगों को उनका आवेदनपत्र मिलने के 24 घंटों में उन्हें चावल देने के लिये, जो कार्यवाही सरकार कर रही है, बता दी थी। उन्होंने मुख्यायुक्त के विचारों को शान्तिपूर्वक सुना और आराम से वहां से चले गये। इसके पश्चात्, ऐसा लगता है, कि उसी दिन शाम को भारी संख्या में ऐसे लोग जिनको स्थानीय नेताओं और उपद्रवी विद्यार्थियों ने उकसाया था, मुख्यायुक्त के निवासस्थान पर आये। उनके सात प्रतिनिधियों के साथ मुख्यायुक्त और मुख्यमंत्री ने बातचीत की। चाहे उनको सारी बात स्पष्ट कर दी गई थी परन्तु वे मुख्यायक्त से यह लिखवाना चाहते थे कि मनीपुर के लोगों की जितनी उनकी चावल की मांग होगी दिया जायेगा। उन्होंने यह भी प्रार्थना की थी कि अनाज जमा करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये तथा चावल का मनीपुर से चोरी छिप बाहर जाने से रोका जाना चाहिये। मुख्यायुक्त तथा मुख्य मंत्री ने, उन को आश्वासन दिया कि इस दिशा में यथासम्भव कार्यवाही की जा रही है। परन्तु फिर भी इन प्रतिनिधियों ने बाहर जा कर लोगों को भड़काया और उन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंकने आरम्भ कर दिये। उन्होंने जो वहां पर राष्ट्रीय झंडा था उसको भी उतार दिया।

कुछ माननीय सदस्य : शर्म की बात है।

श्री नन्दा : उन्होंने कार्यालय सम्पत्ति और आहते में खड़ी मोटर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, टेलीफोन के तार काटे, और निहत्थे पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट की तथा वे बलवाई बन गये। उन्होंने कम्पाउण्ड की रक्षा करने वाली पुलिस पर पत्थरों, ईंटों और अग्नेयास्त्रों से आक्रमण किया। जब अश्रुगैस का कोई असर नहीं हुआ तो पुलिस को आत्म रक्षा के लिय गोली चलानी पड़ी। दो व्यक्ति गोली लगने से मर गये और भगदड़ में चोट लगने के कारण एक लड़की की अस्पताल में मृत्यु हो गई। भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत साम्यवादी और संयुक्त समाजवादी दल के छः सदस्यों को, जिसमें मनीपुर विधान सभाके दो संयुक्त समाजवादी सदस्य भी शामिल हैं, नजरबन्द किया गया है। मेरे पास यह साबित करने के लिये और भी काफी जानकारी है कि यह सब पूर्व योजना के अनुसार किया गया था। लोग यह बर्बादी करने के लिये अपने साथ सभी प्रकार के औज़ार और सामान लाये थ जिनमें से व कुछ वस्तुएं छोड़ गये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या इस मामले में कोई जांच करवाने का प्रस्ताव है।

श्री नन्दा : जी नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस मामले के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये।

श्री रंगा (चित्तूर) : यह एक अत्यन्त गंभीर प्रश्न है इसलिये इस पर साधारण नियम लागू नहीं होने चाहिये। यह सराहनीय बात है कि अध्यक्ष महोदय ने मंत्री महोदय से पूछा था कि इस मामले में कोई जांच की जायगी। किन्तु समझ में नहीं आता कि मंत्री महोदय जांच करवाने के पक्ष में क्यों नहीं हैं। यह सीमा क्षत्र का प्रश्न है। वहां पर गत तीन चार महीनों से अनेक प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। इस मामल में केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग तथा गृह-कार्य मंत्री द्वारा की जा रही कार्यवाही के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। सरकार प्रारंभिक कर्तव्य निभाने में भी असफल रही है। कहा जाता है कि इम्फाल में विद्यार्थियों की संख्या 50,000 हैं। यदि यह बात मान ली जाये तो वहां की जन संख्या कम से कम 5,00,000 होनी चाहिए। जब कि वास्तविकता यह है कि वहां इतनी जन संख्या नहीं है। यह बात भी नहीं मानी जा सकती कि इन घटनाओं में राजनीतिक दलों का हाथ है क्योंकि राजनीतिक दल ऐसा कार्य नहीं कर सकत। सरकार का प्रशासन असफल होने के कारण इन लोगों की मृत्यु हुई,। अतः मेरा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री इस में हस्तक्षेप करें और मामले में उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा जांच करवायें ताकि इम्फाल अथवा मनीपुर में भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई उचित व्यवस्था की जा सके। अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इस प्रकार की घटनायें हो सकती है। हमें देश की सुरक्षा बनाये रखने के लिये विशेष उपाय करने होंगे।

श्री नन्दा : इस मामले में उच्च शक्ति प्राप्त प्रशासनिक जांच और मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जायगी ताकि न्यायाधीश द्वारा ....। (**अन्तर्बाधायें**)।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं काफी प्रश्न पूछने की अनुमति दे चुका हूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सरकार द्वारा अभी लगाये आरोपों की न्यायाधीश द्वारा जांच की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या इस विषय म पहले ही बोल चुकी हैं।

Shri Madhu Limaye : According to the U.N.I. report seven persons were killed in the firing but the hon. Minister has just now stated that only three persons were killed. It is therefore necessary that an inquiry should be conducted in the matter. Mere administrative inquiry will not serve the purpose, serious charges have been levelled against the political parties but as far as I know that a Government Agent burnt the National Flag.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह सराहनीय बात है कि गृहकार्य मंत्री महोदय ने कहा है कि इस मामले की जांच की जायेगी। किन्तु मैं इस सम्बन्ध में विशेष रूप से दो बातें जानना चाहता हूं। इस मामले में न्यायाधीश द्वारा जांच करने में क्या आपत्ति है? क्या उच्च शक्ति प्राप्त प्रशासनिक जांच प्रशासन की असफलताओं के बारे में, जिस में गृह तथा खाद्य मंत्रालय भी शामिल हैं, भी की जायेगी अथवा यह केवल रोड़े फैंकने की घटना आदि तक ही सीमित रहेगी? इसके निर्देश पद क्या होंगे?

श्री स्वैल : इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्या मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि जांच किस रूप में की जायेगी?

श्री नन्दा : यह स्पष्ट है कि इस मामले में उच्च शक्ति प्राप्त प्रशासनिक जांच की जायेगी। इसके लिये एक उपयक्त व्यक्ति नियुक्त किया जायेगा जो विभिन्न पहलुओं की जांच करेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*Contd.*

महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर एक अज्ञात विमान की उड़ान—जारी

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : महाराष्ट्र में रत्नगिरि के निकट पश्चिमी तटपर एक अज्ञात विमान द्वारा 17 अगस्त को की गई उड़ान के सम्बन्ध में परिवहन मंत्री सभा को जानकारी दे चुके हैं। इस सम्बन्ध में और कुछ जानकारी देना चाहता हूं। एक हेड कांस्टेबल ने हरनाई नामक स्थान पर विमान को प्रातः 6 बजकर 25 मिनट पर देखा। उस स्थान पर तार घर अथवा टेलीफोन सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध न होने के कारण वह तुरन्त वहां से नौ मील की दूरी पर दापोली में पुलिस थाने में इस सम्बन्ध में सूचना देने के लिये चल पडा। वहां पहुंचने पर तुरन्त रत्नगिरि के पुलिस अधीक्षक को तार किया गया। पुलिस अधीक्षक ने तार मिलते ही घटना के बारे में वायरलेस द्वारा अपने पुलिस महानिरीक्षक, बम्बई हवाई अड्डे के नियंत्रक, जुहू में हवाई अड्डा अधिकारी, बम्बई के गुप्तचर विभाग के उप महाअधीक्षक और बम्बई क्षेत्र के पुलिस उप-महाअधीक्षक को सूचित किया। उसी रात पुलिस के सभी जिला अधीक्षकोंको विमान उतरने की संभावना के बारे में सचत कर दिया गया। विशेष रूप से उन्हें तटीय क्षेत्र के सभी पुलिस थानों को सचेत करने के लिए हिदायतें दे दी गईं थी। सूचना मिलने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने स्वयं इस मामले की जांच आरंभ कर दी। बम्बई में उड्डयन अधिकारियों ने कराची, बाहरीन, मद्रास और कोलम्बो के उड़ान सूचना केन्द्रों तथा मंगलौर, गोआ, पूना, अहमदाबाद, जामनगर और बड़ौदा के हवाई अड्डों से तुरन्त सम्पर्क स्थापित कर इसी प्रकार की पूछ ताछ की। अभी तक न ही किसी ने इस समाचार की पुष्टि की और न ही कहीं देश के किसी भाग में इस प्रकार के विमान उतरने का कोई समाचार मिला।

26 सितम्बर, 1963 को सफदरजंग हवाई अड्डे से डेनियल वालकाट भाग निकलने तथा 8 जून, 1964 को मुरुड घटना के पश्चात सरकार ने हवाई अड्डों पर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा अनधिकृत रुप से विमानों के उतरने के सम्बन्ध में आवश्यक उपायों का काफी ब्यौरेवार पुनर्विलोकन किया है। सभी राज्य सरकारों को हिदायतें दीं गई है कि वे विभिन्न अधिनियमों तथा नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत जिला तथा पुलिस अधिकारी स्थानीय उड्डयन, सीमाशुल्क अधिकारियों की सहायता से विमान तथा उसके यात्रियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सकते हैं। इस से कोई विमान सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कहीं पर नहीं उतर सकता है। वायु सीमा अतिक्रमण को रोकने के लिये भारतीय विमान अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत अनेक अधिसूचनायें जारी की गई है। उपबन्धों को व्यापक और सुदृढ़ बनाने के लिये हम भारतीय विमान अधिनियम और नियमों में संशोधन करने का विचार कर रहे हैं।

पिछली घटनाओं से हमें जिन कमियों का पता चला है उन्हें दूर करने के लिये विशेष कदम उठाये जा रहे हैं। डेनियल वालकाट के भाग निकलने की परिस्थितियों के सम्बन्ध में जांच की गई थी और उन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनीय जांच की जा रही है जो उसके भाग निकलने की घटना के लिये दोषी पाये गये। सरकार ने जांच अधिकारी का यह सुझाव भी मान लिया है कि भारतीय विमान अधिनियम तथा नियमों का विस्तृत रूप से पुनर्विलोकन किया जाये।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भुवनेश्वर में हाल मे एक विमान उतरने के सम्बन्ध में जांच की थी। यद्यपि उसकी जांच से किसी गैरकानूनी अथवा सन्देहात्मक बात का पता नहीं चला, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कमियों को दूर करने तथा प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिये कई उपयोगी सुझाव दिये हैं। वास्तव में, जुलाई, 1964 में सरकार द्वारा स्थापित किये गये केन्द्रीय जांच ब्यूरो के आर्थिक अपराध एकक का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापार को रोकने के लिये कई दिशाओं में किये जाने वाले प्रयत्नों को सुदृढ़ बनाना और सरकार को आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में निरंतर परामर्श देना था।

8 जून, 1964 को मुरुड घटना के तुरन्त बाद सरकार ने करने के उपायों तथा हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क, आप्रवर्जन, स्वास्थ्य जांच, यात्री सुविधाओं तथा सुरक्षा सम्बन्धी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये सिफारिशें करने के सम्बन्ध में एक हवाई अड्डा सुरक्षा समिति नियुक्त की थी। समिति ने हाल में अपना प्रतिवेदन दिया है और सरकार समिति की सिफारिशों पर शीघ्र विचार करके कार्यवाही करेगी।

अध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य को केवल एक प्रश्न पूछने अथवा केवल एक स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी जायेगी।

श्री हेम बरुआ : वक्तव्य से स्पष्ट है कि हमारे हवाई अड्डों पर कोई विमान नहीं उतरा किन्तु यह सच है कि विमान हमारी वायु सीमा का अतिक्रमण करके हमारे क्षेत्र में आया था। अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों अथवा गिरोहों द्वारा इस प्रकार वायुसीमा के अतिक्रमण की घटनाओं को देखते हुए मैं जान सकता हूं कि (क) क्या सरकार ने अन्य देशों में इन गिरोहों के अड्डों का पता लगा लिया है और (ख) क्या सरकार ने भारतीय वायुसेना की सहायता से तटवर्ती वायु सीमा की रक्षा के लिये प्रतिरक्षा मंत्री से सहयोग मांगा है?

श्री नन्दा : रक्षा व्यवस्था, प्रतिरक्षा, असैनिक उड्डयन तथा गृह कार्य मंत्रालय सभी का मिला जुला उत्तरदायित्व है। किन्तु प्रत्येक का क्षेत्र अलग अलग है। इन सभी पहलुओं को समेकित किया जा रहा है। माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि वालकाट के मामले में प्रत्यार्पण कार्यवाही प्रायः पूरी हो चुकी है और अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो चुकी है।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री नन्दा : वायु सीमा के अतिक्रमण की पुष्टि नहीं हुई अतः दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय के वक्तव्य में वालकॉट के मामले तथा भुवनेश्वर की घटना का उल्लेख है।

अध्यक्ष महोदय : उनका वक्तव्य व्यापक हो सकता है किन्तु यहां पर केवल ध्यानाकर्षण सूचना का प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या गृह कार्य मंत्री महोदय उपलब्ध सूचना के आधार पर इन बातों से इन्कार कर सकते है कि इस विमान ने मुरुद में सोने की छड़े गिराई थी; भुवनेश्वर पर विना कार्यक्रम के उतरने वाले विमान ने समय ने बारे में सूचना दी थी और विमान ने सर्वप्रथम श्री बीजू पटनायक से सम्पर्क स्थापित किया था ?

श्री नन्दा : भुवनेश्वर में जहाज उतरने की घटना की पूरी तरह जांच की गई थी। इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : वालकॉट के भाग निकलने की घटना के बाद क्या सामरिक महत्व के स्थानों पर राडार आदि लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गई है और क्या मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि भविष्य में कोई अज्ञात विमान हमारे क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकेगा ?

श्री नन्दा : हम अपने उत्तरदायित्व के प्रति पूर्णतः जागरूक हैं। हमने बहुत कुछ किया है तथा भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये और कदम उठाये जायेंगे। देहाती क्षेत्र में कुछ लोगों ने कोई वस्तु देखी थी और उस वस्तु के बारे में जानकारी देने में कुछ समय लगेगा। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि सुरक्षा के लिये पूरी व्यवस्था की जायेगी।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से राडार लगाये गये हैं?

श्री यशवंतराव चव्हाण : जहां तक वायु सेना का सम्बन्ध है संभावित खतरे के स्थानों पर राडारों की व्यवस्था है। निस्संदेह पश्चिम तट पर राडार की व्यवस्था है किन्तु मैं इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी नहीं दे सकता। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि राडार छोटे विमानों द्वारा नीची उड़ान का पता नहीं लगा सकता।

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, पिछली बार असैनिक उड्डयन मंत्री महोदय ने ध्यान दिलाने वाली मेरी सूचना के उत्तर में बताया कि वहां पर राडार की व्यवस्था नहीं है इसी लिये वहां राडार का पता नहीं लग सका किन्तु आज बताया गया है कि वहां पर इसकी व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह नहीं कहाँ कि व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समूचे क्षेत्र के लिये पर्याप्त नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : वालकॉट के भाग निकलने के बाद कई विदेशी पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि भारत तस्करों और जासूसों का स्वर्ग है। क्या इन कार्यों के लिये विमानों को उतरना नही पड़ता है किन्तु भारतीय तस्करों के लिये सोने से भरे थैले फेंक देते हैं और यदि हां, तो क्या ऐसे विमानों को गिराने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नन्दा : हम सदा ही इस प्रकार की घटनायें न होने देने के लिये पूरा प्रयत्न करते हैं। वालकॉट इस प्रकार के कांड ब्रिटेन, बेरुत, बर्लिन, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में भी कर चुके हैं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य सरकारी सूत्रों पर आधारित है जिसमें इस प्रकार की बातों से इन्कार किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कराची तथा अन्य स्थानों से प्राप्त जानकारी पर विश्वास किया है। क्या करांची तथा अन्य हवाई अड्डों से हमें तस्करों आदि के बारे में, विशेष रूप से जब हमारे उनके साथ सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं, सही जानकारी देंगे? जब कि दिल्ली में केवल 20 प्रतिशत अपराधों का पता लग पाता है तो क्या अधिकारिक सूचनाओं के बजाय अन्य सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं पर क्यों विश्वास किया जाता है?

Shri Bade (Khargone) : Whether Government have security in Murud-Harhe area in order not to allow the dropping of gold bars there?

श्री नन्दा : अब व्यवस्था की जा रही है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल पंचायत अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल पंचायत अधिनियम, 1960 की धारा 130 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) एस० आर० ओ० 64/65 जो दिनांक 16 फरवरी, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (बूचड़खाना तथा मांस की दुकान) नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये है।

(दो) एस० आर० ओ० 153/65 जो दिनांक 6 अप्रैल, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (लावारसी लाशों का संस्कार) नियम, 1964 में एक संशोधन किया गया है।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०–4676/65।]

खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 1965

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 3 अगस्त, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1144 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए, संख्या एल० टी०–4677/65।]**

वर्ष 1963-64 के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वार्षिक लेखे तथा उन पर परीक्षा प्रतिवेदन

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1963-64 के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए, संख्या एल० टी०-4678/65]**

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1965-66

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS), 1965-66

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटील) : मैं वर्ष 1965-66 के आयव्ययक (रेलवे) के बारे में अनुदानों की मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

सरकार (दुष्कृति के लिये दायित्व) विधेयक

GOVERNMENT (LIABILITY IN TORT) BILL

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दुष्कृति के लिये सरकार के दायित्व सम्बन्धी विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिये तथा तत्सम्बन्धी कतिपय मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: "कि दुष्कृति के लिये सरकार के दायित्वसंबंधी विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिये तथा तत्संबन्धी कतिपय मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

श्री जगन्नाथ राव : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1965—जारी

FINANCE (No. 2) BILL, 1965—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री ति० त० कृष्णमाचारी द्वारा 30 अगस्त, 1965 को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर विचार करेगी :

"कि प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी कतिपय विधियों में अग्रेतर संशोधन करने वाले, स्वेच्छा से आय प्रकट करने, भारत में आयात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर सीमाशुल्क बढ़ाने अथवा उसमें रूपभेद करने और कुछ ऐसी वस्तुओं पर, जिनका भारत में उत्पादन अथवा निर्माण किया जाता है, उत्पादन शुल्क बढ़ाने अथवा उसमें रुपभेद करने और उत्पादन शुल्क लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : कल मैं कह रही थी कि इन आयात शुल्कों का अभिप्राय घाटे की अर्थ व्यवस्था से बचना है परन्तु इनसे मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना है। हमें सभी बातों पर पुनः विचार करना चाहिये। हमें दो चीजों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना है। एक यह कि देश में बनी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाया जाये। दूसरी है विकास छूट जो उद्योगों के लिये बहुत लाभदायक है। हमें बैंकों द्वारा धन को अग्रिम ऋण दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। इस से जमाखोरी समाप्त हो जायेगी। मुझे हर्ष है कि वित्त मंत्री इस बारे में कार्यवाही कर रहे हैं।

हमने अपने देश के लिये खाद्यान्नों सम्बन्धी नीति निर्धारित नहीं की है। इस बारे में तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बारे में हमें पूरे देश के मूल्य नियत कर देने चाहियें। हमें जहां जरूरत हो राशन व्यवस्था लागू कर देनी चाहिये।

माननीय वित्त मंत्री को इस ओर बिशेष रूप से कार्यवाही करनी चाहिये। हमें मुनाफाखोरी को समाप्त करना होगा।

आज जनता की ओर से सरकार पर जो दबाव है उस के लिये कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। यह पार्टी सरकार को जनता की कठिनाइयों के प्रति सचेत रखती है। सरकार के प्रशासनिक ढांचे में जो काया पालट की जाने वाली है मैं उस का स्वागत करती हूं। एक प्रगतिशील देश के लिये यह बहुत आवश्यक है। सरकार को अपने खर्चे में कमी करनी चाहिये। इस से अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। सरकार ने इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की थी। उस की रिपोर्ट में बहुत अच्छे 2 सुझाव हैं। उन को कार्यान्वित किया जाये।

छिपा धन को निकलवाने के सम्बन्ध में सरकार ने बहुत ढील से काम लिया है। और अपराध करने वालों को बहुत सी रियायतें और छूटें दी हैं। इससे सरकार को कोई लाभ नहीं होगा।

आजकल देश में अफवाहें फैली हुई हैं कि निर्यात अधिकारों का न केवल व्यापारी बल्कि सरकारी निरीक्षक भी दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि वित्त मंत्री इस बारे में जांच करें और दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें। आज राज्य सरकारों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमें ऐसे समय में उत्साहपूर्ण ढंग से कार्य करना है। मुझे आशा है कि हम अवश्य ही सफल होंगे। मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur): The controversy over the size of fourth Plan is a matter of consideration. It shows lack of wisdom on the part of Government. Our Finance Minister is himself a businessman. We do not expect any such measure from him as may be against the interest of business community. His son's Company M/s T.T. Krishnamachari is the sole selling agent of Government owned Company known as Travancore Chemicals Limited. Is it proper?

I have to say that the national property in states is not being looked after properly by State Governments. I will give a few examples about Rajasthan.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

There about 1200 bighas of Government land has been distributed to the relatives of Chief Minister of Rajasthan. This was done in 1953-54.

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : वह राज्यों के मंत्रियों के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। आप इस बात पर विचार करें कि क्या ऐसा करना उचित है?

Shri Kishen Pattnayak : I am not criticising anybody. I want that national property should be properly looked after. I want to draw Finance Minister's attention to this thing. Country's interest should not be overlooked.

उपाध्यक्ष महोदय : आप राज्यों के मंत्रियों की यहां आलोचना नहीं कर सकते। इस समय हम केन्द्रीय सरकार के बजट पर चर्चा कर रहे हैं।

Shri Kishen Pattnayak : I am not criticising anybody. We had a big discussion on Shri Biju Patnaik here. He was not present here. A **contract** of 800 square miles of land has been given on Rs. 18,000 annual in Rajasthan. It is in Panarva jungle. It is not proper.

The Finance Minister wants to increase the financial resources. I want to know why the royalty on mica has been reduced?

Rajasthan Government is indulging in profiteering by purchasing gram at very low rates and selling the same to other states on much higher rates.

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : आज देश के सामने बहुत सी समस्यायें हैं। हमें देश की सुरक्षा के लिये अल्प कालीन और दीर्घ कालीन उपायों पर विचार करना है। हमारे वित्त मंत्री के इरादे बहुत अच्छे हैं। हमें उन की पूरी सहायता करनी चाहिये। पहली योजना काल में हमारी कृषि उत्पादन में 4.2 प्रतिशत व्यक्ति हुई थी और दूसरी योजना में इस में 3.9 प्रतिशत कमी हो गई थी।

तीसरी योजना के तीसरे वर्ष में, जो भी हालात थे, उत्पादन 8 प्रतिशत बढ़ गया था। हमने आयात भी 60 लाख टन के लगभग किया था। इसके बावजूद कीमतों को चढ़ने से रोका नहीं जा सका। दोष पूर्ण वितरण था अन्यथा नियन्त्रण नहीं था, जो कुछ भी कमी हो, मामला गम्भीर है। हमें इस पर अधिक ध्यान देना होगा।

वित्त मंत्री महोदय ने नये उद्योगों के लिए विकास की छूट दी है। और यह विकास की छूट इस हालत में मिलेगी यदि उद्योग में लाभ होगा। उन्हें अपने दिये हुए वचन पूरे करन होंगे। इसी तरह उन्हें सीमा शुल्क इत्यादि के रूप में भी अधिक भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त बाजार में रुपये की कमी हो गयी है। ऋण संकुचित हो गया। आगे वह दिन आ रहा है जब कि अपेक्षित धन उपलब्ध हो सकेगा। यदि संकुचित करने का सूत्र यहां लागू किया गया तो काफी बिकट परिस्थिति हो जायेगी। विभिन्न समयों पर विभिन्न उद्योगों के विभिन्न दर लागू हैं। मेरा विचार यह है कि यदि कुछ परिवर्तन कर दिये जायें तो हालात अच्छे हो सकते हैं। कुछ अनावश्यक नियन्त्रण लगाये गये थे, जिनके फलस्वरूप पूंजी की मंडी कुछ कसी गयी थी। हालत अनुकूल नहीं हो रहे थे। कई कारखानें पूंजी की कमी के कारण ही बन्द हो गये।

बड़े आश्चर्य की बात है कि एक स्कूटरों का कारखाना केवल विदेशी विनिमय उपलब्ध न होने के कारण बन्द हो गया ; हालांकि कि उन्हे चालू किये जाने के लिए अपेक्षित लाइसेंस दे दिये गये थे। विभिन्न मंत्रालयों के कामों में उचित ढंग से समन्वय किया जाना चाहिये। वित्त, उद्योग, वाणिज्य और अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मंत्रालयों को मिल कर काम करना चाहिये। कोई दोहरा काम नहीं होना चाहिये।

वर्तमान बजट में उत्पादन तथा अन्य शुल्क लगाये गये हैं। वित्त मंत्री ने बड़ी कुशलता से चौथी योजना का लक्ष्य 2,000 करोड़ रुपये कम कर दिया है। सरकारी क्षेत्र की परियोजाओं अथवा योजना परियोजनाओं पर कम से कम 2000 करोड़ रुपया अधिक

प्राप्त होगा, उसका उपयोग वित्त मंत्री ने कर लिया है। इस तरह गैर सरकारी क्षेत्र के लिए 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी गई। परन्तु जो भी हालात है, उन्हें देखते हुए यह सन्देह की बात ही है कि गैर सरकारी क्षेत्र 2000 करोड़ रुपय की व्यवस्था कर सकेगा।

यह भी है कि यदि आज की स्थिति में चौथी योजना में परिवर्तन किया गया तो इसका भी सामान्यत: लोगों पर बुरा प्रभाव होगा। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के लिये धन का वचन दिया जा चुका है। अत: सब से अच्छी बात इस दिशा में यही है कि योजना को निर्धारित स्तर पर रखते हुए उसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाय। यह भी ठीक है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आये। हमें इसके लिये समुचित समन्वय करना चाहिये। इससे अधिक लाभ की सम्भावना हो सकती है एकाधिकार की बात सचमुच बुरी है परंतु जब सब कुछ सरकार के हाथ में हो तो यह एकाधिकार कुछ प्रभाव नहीं रखता? यदि सरकार समाजवाद के नाम पर उत्पादन में वृद्धि कर सकती है तो एकाधिकार का झूठा नारा नहीं लगाना चाहिये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर): वित्त मंत्री महोदय द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही निराशजनक स्थिति को प्रगट करता है। इस के प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में जो तर्क वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किये है वह बहुत ही असंगत प्रतीत होते है। यद्यपि मैं अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने में कोई बुराई नहीं समझता, परन्तु मेरे विचार में इससे पता चलता है कि सरकार वित्तीय मशीनरी ठीक प्रकार से नही चल रही। वह दोषपूर्ण है। इसके यह भी कारण हो सकते हैं कि सरकार खपत के लिए जो व्यय हो रहा है उसके लिए धन जुटाना चाहती हो। इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश की आर्थिक अवस्था बहुत खराब है। ऐसा लगता है कि हमारी अर्थ व्यवस्था अब निरन्तर कमजोर होती चली जा रही है। मेरा निवेदन है कि आज इस बात की जरूरत है कि वास्तविक तथ्यों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये। हमें अपनी आर्थिक विचारधारा को सद्धान्तिक पक्षपात से मुक्त रखना चाहिये।

अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाना गलत नहीं है परन्तु विचार यह करना है कि क्या यह हमें वित्तीय संकट से, जिसमें आज हम अपने आप को पाते हैं, वास्तव में बचा सकेगा। पूंजी बाजार गिरा हुआ है। यह आवश्यक है कि इसमें फिर से जान डालने के लिये कार्यवाही की जाये। यह विचित्र बात है कि यह प्रस्ताव चौथी योजना की स्वीकृति के आधार पर किये गये हैं यद्यपि संसद को इस सम्बन्ध में विश्वास में नहीं लिया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार संसद का आदर नहीं करती।

यह दु:ख की बात है मंत्रियों द्वारा की गई सार्वजनिक घोषणायें उस जिम्मेवारी के साथ नहीं की गई है जो अपेक्षित है। हाल ही में वित्त मंत्री ने ऋणों के विरूद्ध चेतावनी दी है और उपलब्ध संसाधनों के अन्दर गुजारा करने की आवश्यकता पर बल दिया है परन्तु अनुपूरक आय-व्ययक में इस प्रकार की विचारधारा बिल्कुल नहीं है। योजना के सम्बन्ध में सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि उसका उचित समन्वय किया जाय। खेद की बात है कि यह समन्वय नहीं किया जा रहा है और परिणाम यह हो रहा है कि हमारे उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में काफी क्षमता बेकार पड़ी हुई है। उससे कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बेकार क्षमता को प्रयोग में लाने की कोई व्यवस्था करनी चाहिये। जहां तक समान्य व्यक्ति की दशा सुधारने का प्रश्न है सरकार ने इस दिशा में बहुत ही कम कार्य किया है। बहुत सा काम तो केवल कागजों पर ही हुआ है अमल में बहुत थोड़ा आया है। इस संदर्भ में मरूस्थल विकास प्राधिकार का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। यह प्राधिकार कागजों पर ही रही है। यद्यपि इसके बारे में सरकार द्वारा नियुक्त की गयी समिति ने जो सिफारिश की थी वह इसके पक्ष में थी।

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

जहां तक चौथी योजना के लिये साधन उपलब्ध करने का प्रश्न है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अन्तर 7650 करोड़ रुपये का रहा है। इस बारे में सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह इस अन्तर को कैसे पूरा करने का विचार रखती है। इसके लिये जिस धनराशि की अपेक्षा है वह राज्य सरकारें जुटा सकेंगी इस बारे में प्रायः सन्देह ही व्यक्त किया जा रहा है। योजना के बारे में यह भी शिकायत है कि इसे तैयार करने में सामान्य लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं किया गया। इसके लिये सामान्य सहयोग प्राप्त करने की बड़ी आवश्यकता है। जिस योजना को तयार करने में सामान्य व्यक्ति भाग नहीं ले सकते उसे उन्हें कार्यन्वित करने के लिये कहना मजाक ही दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि संधारण आयात तथा विकास आयात के सम्बन्ध में असंतुलन दुःखदायी है और उसे ठीक करने के लिय उपाय किए जाने चाहिएं। जहां तक विदेशी मुद्रा-संकट का सम्बन्ध है, हमें, अपने भुगतान सम्बन्धी उत्तरदायित्व पर मोहलत लेना आवश्यक है, अन्यथा हम उन्हें चुकता नहीं कर पायेंगे।

हमें अपने निर्यात को बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना होगा। यदि हमने ऐसा न किया तो स्थिति बड़ी बिकट हो जायेगी। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि उसने देश में उत्पादन व्यय कम करने तथा उत्पादिकता की वृद्धि करने की दिशा में क्या किया है? मेरे विचार में बातें बनाने के अतिरिक्त उसने कुछ नहीं किया। जन्मदर की वृद्धि भी बढ़ा चिन्ता का विषय है। वित्तमंत्री को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। यदि इसी प्रकार स्थिति बनी रही तो मुद्रास्फीति का प्रश्न बड़ा गहन हो जायेगा। यह भी खेद की बात है कि मूल्य स्थायीकरण बोर्ड जिसके बारे में आश्वासन दिया गया था अभी तक स्थापित नहीं किया गया है।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि सभा और सारे देश ने भारत की काश्मीर नीति का हार्दिक समर्थन किया है। इससे लोगों में विश्वास की भावना का निर्माण हुआ है। अच्छा होता यदि सरकार इस प्रकार के निर्णय पर कुछ कदम पहले अमल करती तो शायद बहुत अच्छा होता। परन्तु हम गलत कल्पानाओं में लगे रहे। बजट में प्रतिरक्षा के लिये व्यवस्था अतः यह जरूरी है कि सब ही इसका समर्थन करे। सरकार को देश का विश्वास प्राप्त करना चाहिये। आवश्यक चीजों के बारे में सरकार ने वह नीति नहीं अपनाई जो कि उसे अपनानी चाहिये थी। इसके बिना आज भी बहुत सी समस्याओं को सुलझा पाना सम्भव नहीं।

Shri R.S. Pandey (Guna) : I support this supplementary budget, but there are difficulties. People feel that they are not getting due return of the contribution that they are making in this direction. The Finance Minister may satisfy the house with figures but it is difficult to allay public doubts. People have liberally donated money for the sake of the defence of the Country. Same is the case regarding the development work going on in different directions. It is very diplorable that the targets of agricultural and industrial production have not been achieved in the Third Five Year Plan. This has resulted inflation. We have not adopted the Course of Self-reliance. Result is that there is an acute shortage of foreign exchange.

The agricultural production is the back bone of our economy. But adequate provision has not been made for this purpose. We should do everything possible in order to increase our production. We Should not continue to depend upon foreign countries any more. American attitude in this connection is very insulting. She is trying to humiliate us by starting dictating terms in regard to the supply of food grains. I would urge upon the Government that it is proper that we should make provision for increasing food production and should double it.

It is really good that the Government have proposed to open banks in the rural areas. Farmers may be able to get money from these banks very easily. But in this direction, it is very necessary to see that money should actually reach the farmers. We have seen that most of this scheme remain on and actually never implemented. This should be properly implemented. Government will also be benefitted by getting enough money by way of interest from the farmers. I should also like to urge that Government should not create obstacle in the way of mixed economy. We should create confidence in the capital market and reform the dividend rate tax. We should aim at the target of increase production by all possible means.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Our Finance Minister may come forward with supplementary budget. If the aim of the budget is to raise funds for the defence of the country, it is welcome. But at the same time Government should also realise that the taxes were already very high in the Country. If the tendency to tax the production continues, the prices are bound to rise. At present the rising of prices will be very harmful.

Let me point out in this House that the farmers are already hit very hard due to the taxes. If we wish that the prices of the food grains should come down then the prices of the other commodities should also fall. The articles of daily need ought to be available at normal prices. Government have not been able to assure the people of the normal prices. Due to this the farmers are facing lot of difficulties.

As far as I can say the incidence of taxes in India is the highest, as compared with the other countries there are small industries who cannot stand the burden of such high taxes. Hence they cannot flourish properly. I would urge upon the Government to pay more attention to the small industries so that the common man may be benefitted.

I do not think that it is correct to say that the national income has gone up. I think this claim of the Government can only be proved on the paper. Actually speaking there has been no increase at all. It is not proper to export sugar at much less a price than that which is actually available in the market. Particularly when it is not available to our own people in the country. The argument of getting more foreign exchange in this connection appears to me very ill founded.

I would also like to submit that Government should not levy tax on the persons who donate their land for charitable purposes. If this is not done, it will create great discontentment amongst the people. I cannot support the whole budget, but give my support to the items connected with the defence of the Country.

श्री काशीनाथ पाण्डे : मैं केवल कुछ बातों पर ही अपने विचार व्यक्त करूंगा। मेरा निवेदन यह है कि वर्तमान कराधान का ढंग और बजट प्रस्तुत करने का तरीका देश में काफी निराशा पैदा कर रहा है। और यह निराशा उस हालत में है जब कि हम देश की रक्षा के लिये अधिक से अधिक बलिदान करने को तैयार है। हमारी सीमाओं पर खतरा सजीव हो रहा है। इस समय इस बात की आवश्यकता थी कि लोगों में भारी उत्साह पैदा किया जाय और वे यह अनुभव करने लगे कि वे समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। यह बात नहीं कि हम कर नहीं देना चाहते। परन्तु आम लोगों की बात यह है कि वे कराधान का भार वहन करने में असमर्थ हो रहे हैं।

[श्री कार्शीनाथ पांडे]

देश के बहुत से लोग बेकार हैं, उनके पास कोई कारोबार नहीं है। बहुत से क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है। वर्षा से कुछ राहत मिलेगी। इस बात की ओर वित्त मंत्री का ध्यान जाना चाहिये। हम देख रहे हैं कि धन कुछ एक हाथों में इकट्ठी हो रही है। यह इस लिये कि आप लाइसैन्स बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही दे रहे हैं। क्या आप बड़े बड़े उद्योगों का विकेन्द्रीकरण नहीं कर सकते? हमें देहातों में उद्योगों को फैलाना चाहिये। एक रुपए प्रतिमास से कम किसी का वेतन नहीं होना चाहिये। छोटे छोटे लोगों को सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। डीजल पर कर परिवहन के काम को बढ़ा देगा। इसका प्रभाव सभी चीजों की किमत पर पडेगा लोगों को रोजगार देने की कोई व्यवस्था करनी चाहिये। लोग बेरोजगार रहे तो वे कैसे कर अदा करेंगे। सरकार उन से किस प्रकार कर वसूल कर सकेगी। मुकदमें बाजियों के कारण कितनी ही जमीन ऐसी है जिस पर सिंचाई नहीं हो रही।

मेरा मत यह है कि कि कृषि उपकरणों के आयात की कोई आवश्यकता नहीं। इन्हें हम बड़ी सरलता से स्वयं ही देश के भीतर बना सकते हैं। यह भी बात है कि इन आयात किये हूए उपकरणों का प्रयोग केवल बड़े बड़े जमीन दार ही कर सकते हैं। सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि कृषकों के लिये सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये कितने खेद की बात है कि इस दिशा में योजन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं। हमें उन कमियों को पूरा करना चाहिये जिनसे उत्पादन के राह में रूकावट पैदा हो रही है।

कुछ दिनों पूर्व यह घोषणा हुई थी कि सीमेन्ट पर नियन्त्रण हटा लिया जायेगा। मेरा विचार यह है कि सीमेन्ट पर नियन्त्रण हटाने की कोई आवश्यकता है। उत्पादन लागत काफी कम है, अतः उत्पादक पहले ही अधिक लाभ उठाये जा रहे हैं। सब से जरूरी इस दिशा में यह है जिससे स्थिति काफी सुधर सकती है, यह है कि वितरण की त्रुटियां दूर की जाय। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के आवेदन का एक बड़ा अंश काले बाजार में चला जाता है। मेरा निवेदन यह है कि वित्त मंत्री महोदय को इस बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। परन्तु यदि उनके विचार में उत्पादन काफी है तो बेशक वह इस पर से नियन्त्रण हटा लें।

मुझे इसका पता नहीं था कि नकद बचत प्रमाण पत्रों पर भी कर लगाया जा रहा है। यह बात तो उचित नही है। इससे पूर्व तो उन्हें कर मुक्त रखा गया था। मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस बारे में पुनः विचार करना चाहिये। इस बात में जन विश्वास का प्रश्न है, इसकी अपेक्षा नही की जानी चाहिये। लोगों को महसूस होना चाहिए कि हमारी सरकार वास्तव में ही समाजवाद लाना चाहती है।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): सारी बातों का उत्तर देना तो मेरे लिये सरल कार्य नहीं। माननीय सदस्य भी सचे हैं उन्हें इस तरह बजट के आ जाने का कोई ध्यान नहीं था। शायद कुछ माननीय सदस्यों के मनों में कोई भ्रांति हो। वर्तमान बजट सामान्य प्रणाली के अनुरूप नहीं है। सब से पहले मैं नकद बचत प्रमाण पत्रों का उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे विचार में इस बारे जो शिकायत की गयी है, वह ठीक नहीं है। प्रमाण पत्रों के कर योग्य होने की नई योजना के अन्तर्गत शिकायत उचित भी नहीं। मेरा निवेदन है कि किसी भी ऐसे प्रमाण पत्र में जो कि कर रहित प्रमाण पत्र के रूप में जारी किया गया है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो प्रमाण पत्र कर रहित थे, वे अब भी कर रहित ही है। यदि लोग चाहें तो वहीं कर रहित प्रमाण-पत्र खरीद सकते हैं। 25,000 रुपये के लगभग जिनकी आय है, उन्हें तो इस में धन लगाना नहीं अखरेगा।

श्री दाजी ने कुछ सीमा शुल्क के बारे में कहा है। मेरा कहना है कि जहां तक सीमा शुल्क का सम्बन्ध है, उनके कुछ वादों का सम्बन्ध अदालत के फैसलों से है। यह कहना बिलकुल गलत है कि सरकार किसी पक्ष में हस्तक्षेप करती है। म यह निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योगों के बारे में किसी प्रकार की रियायतें देने के बारे में सरकार की स्थिति बहुत ही कठिन है। भारत सरकार की नीति मिली जुली अर्थ-व्यवस्था की नीति को प्रोत्साहन देने की है। इसमें कठिनाई यह है कि मिली जुली अर्थव्यवस्था को अपनाने के कारण वे लोग रुष्ट हो जाते हैं, जो कि बड़े उद्योगों के प्रभारी है। उसके साथ ही ऐसे लोग भी हैं जो अनुभव करते हैं कि धन संचय हो रहा है। धन के प्रभाव और शक्ति का बहुत ही बुरा उपयोग हो रहा है। और सरकार वह कुछ करने में नितान्त असमर्थ हो रही है; जो कुछ कि उसे करना है, अथवा जो कुछ वह कर सकने में समर्थ है।

एक माननीय मित्र ने व्यय कर के बारे में शिकायत की है। मेरा निवेदन इस दिशा में यह है कि जहां तक व्यय कर सम्बन्ध है खेद की बात है की अभी तक इस कर को पर्याप्त रूप से सक्रिय बनाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। आशा की जाती है कि इस वर्ष के अन्त से पहले इस प्रयोजन के लिए उचित व्यवस्था बनाई जा सकेगी। यदि कर प्रभावी रूप से लागू हो सका तो अनावश्यक व्यय रूक जायेगा। यदि हम बैंकिंग व्यवसाय को काफी हद तक लोक नियन्त्रण में रखना चाहते हैं, तो "स्टैट बैंक" का विस्तार किये जाने पर ऐसा सम्भव हो सकता है। बैंको का राष्ट्रियकरण अथवा उन पर और अधिक नियन्त्रण की संभावना बनी रहेगी। इस समय हमारे पास एक साधन है जिस की सहायता से हम काफी हद तक विस्तार कर सकते हैं।

जहां तक कृषकों को सहकारी क्षेत्र के माध्यम से ऋण देने के प्रश्न का सम्बन्ध है, हम वास्तव में एक ग्रामीण बैंक अथवा ऐसे एक बैंक के बारे में सोच रहे हैं जो कुछ गांवों के बीच में हो और जिसका प्रबन्ध केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उस क्षेत्र के लोगों से परिचित हो और जो उनकी सेवा भी करता रहे तथा नैमित्तिक रूप से उसके द्वारा बचत धनराशि भी वहीं पर इकट्ठी होती रहे। समाजवाद की विभिन्न परिभाषाएं हैं। किन्तु व्यापक रूप से, इसका अर्थ एक ऐसे समाज से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग का महत्व महसूस करता है और अपने को उसका एक अंग समझता है, जहां उसकी योग्यता को प्रोत्साहन दिया जाता है। जहां अवसर उपलब्ध है, जहां किसी व्यक्ति को, जो वास्तव में काम करना चाहता है, काम देने से इन्कार नहीं किया जाता है। यह सब काम कुछ एक ही दिन में नहीं कया जा सकता। इसके लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है।

वे लोग सचमूच भाग्य शाली रहे, जैसे कि श्री रफी साहब थे। उन्होंने नियन्त्रण हटाया और हालात अनुरूप हो गये। अच्छा होता कि वह आज जीवित होते, परन्तु यह हमारे हाथ में तो है नहीं। अतः मेरा निवेदन है कि यह उत्तरदायित्व केन्द्र के वित्त मंत्री का है कि वह सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था बनाये रखे। परन्तु उसे कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। यह भी एक बड़ा भारी दोष है। मैं जादूगर तो हूं नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जो भी मुझसे सम्मान हो सकता है, करता रहता हूं। कृषि मूल्यों पर राज्य किसी सीमा तक नियन्त्रण रख सकते हैं। परन्तु इस दिशा में खाद्य मंत्री की स्थिति समुचित अधिकारों के न प्राप्त होने के कारण तथा उत्पादन पर किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण न होने के कारण बहुत ही कठिन है। वित्त मंत्री के पास यदि काफी मात्रा में धन हो, तो यह आयात करके मूल्यों को कम कर सकते है। परन्तु आर्थिक सहायता तो वह सीमित मात्रा में ही दे सकते हैं।

[श्री० ति० त० कृष्णमाचारी]

कृषि के लिये डीजल का मूल्य कम किया जाना चाहिये । डीजल से चलने वाले इंजनो को कुछ न कुछ सहायता दी जानी चाहिये । हमने वैसे डीजल पर सीमा शुल्क काफी कम कर दिया है । जहां तक पैट्रोल का सम्बन्ध है, इसके उपयोग में कमी करने का अर्थ यह होगा कि अच्छे कामों के लिए अपनी विदेशी मुद्रा हम बचा सकेंगे । इसी तरह डीजल की बात है । कृषि के लिए प्रयोग होने वाले डीजल पर हम कुछ राहत दे सकते है । कृषि के लिये जो डीजल प्रयोग होता है वह काफी हल्का है । उस पर वैसे भी हमने शुल्क बहुत कम कर दिया है । इस बात का सम्बद्ध व्यक्तियों को प्रचार करना चाहिए कि कम किमत का डीजल हलकी कोटि का नहीं है । लोगों को इस भ्रांति से निकालना चाहिये । सस्ता तल खरीदने वाले देहातियों को हमें मूर्ख नहीं समझना चाहिये । आज का देहाती अपने हित की बात समझता है ।

हमारा उद्देश्य उन उद्योगों को कुछ राहत देने का है जो ताम्बे का उपयोग करके अन्तिम उत्पाद को तैयार कर रहे हैं, जिससे हम शायद इसके उत्पादन को बढ़ा सकेंगे । इस मामले की जांच की जा रही है । माननीय सदस्यों ने व्यय को कम करने का उल्लेख किया है । चौथी योजना के लिये संसाधनों को खोज करने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों के साथ जिस बात पर हम विचार करते रहे हैं वह यह है कि हम व्यय को कैसे कम कर सकते हैं । ऐसा करना इतना आसान नहीं है । इमारतों में हम पर्याप्त मितव्ययता से काम ले सकते हैं । वास्तव में, हम ने सरकारी इमारतों का स्तर गिरा दिया है । हमें प्रत्यक्ष करों से काफी धन संग्रह करना चाहिए, हम यह विश्वास नहीं करते को ऊंची दर निर्धारित किये जाने पर ही प्रत्यक्ष करों से अधिक वसूली की जा सकती है । वास्तव में हम इस का आधार और बड़ा बनाने तथा प्रतिवर्ष और अधिक कर दाताओं को उस घेरे के अन्दर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

आशा तो हम यही करते हैं कि प्रत्यक्ष कराधान की वर्त्तमान दरों को जारी रखा जाय । परन्तु हो सकता है उनमें कमी भी करनी पड़ जाय । इस बारे में स्थिति सरकार के हाथ में न होकर आर्थिक स्थितियों पर आश्रित करती है । यदि हमारी अर्थव्यवस्था का प्रवाह समृद्धि की ओर होगा और काफी संख्या में लोग लाभ उठा रहे होंगे तो प्रत्यक्ष कर बढ़ जायेंगे, और सरकार अप्रत्यक्ष करों को कम करने में समर्थ होगी ।

विश्व बैंक के बारे में हमें किसी भ्रांति में नहीं रहना चाहिये । यह गलत बात है कि विश्व बैंक ने अपनी राय दे दी है । विश्व बैंक ने अभी कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा है । देश के आत्म सम्मान को समक्ष रख कर ही इस दिशा में कोई निर्णय किया जायेगा । काफी विचार करने के पश्चात ही हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हमें मशीनों पर शुल्क को बढ़ा देना चाहिये ।

मैसूर में कुछ लोगों ने सामुदायिक विकास के बारे में शिकायतें की है । इस कार्य में संभव है कि कुछ गलतियां और भूलें हो, यह भी संभव है कि किसी ने अनुचित लाभ भी उठाया हो परन्तु सामुहिक रूप से विकास की दिशा में यह प्रयोग बहुत ही प्रभावशाली रहा है ।

यह योजना केवल कृषि के लिए नहीं है । यह विद्युत् तथा सिंचाई आदि के लिए भी है ।

मेरे माननीय मित्र ने कृषि उपकरणों पर 15 प्रति शत का कम शुल्क रखने पर आपत्ति की हैं, जब हमारे पास अपने देश में यह वस्तुयें बनाने के लिए पर्याप्त सामान होने लगेगा मैं तब शुल्क बढ़ा कर 35 प्रति शत करने को तैयार हूं ।

मशीनरी पर शुल्क बढ़ाने के प्रश्न पर मैं कई वर्षों से विचार कर रहा हूं । निस्सन्देह देश में बहुत अधिक फालतू क्षमता है । योग्यता भी है, जिसका प्रयोग करना है और जिसे प्रोत्साहन देना है ।

मेरे व्यक्तित्व के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख किया गया है। मैं किसी से कोई पक्षपात नहीं चाहता हूं। विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि मैंने झूठ बोला है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैं जो कुछ कहता हूं, सत्य है। मैंने माननीय मित्र, श्री अशोक सेन से कहा था कि मैंने 1942 में व्यापार में सक्रिय भाग लेना छोड़ दिया था। मैंने यह नहीं कहा था कि अप्रत्यक्ष रूप से मेरा कोई हित नहीं है। मैंने जब 1942 में व्यापार छोड़ने का निश्चय किया तब मेरे दो अवयस्क पुत्र थे। छोटा पुत्र 24 अप्रैल, 1946 को वयस्क हो गया और मेरा उत्तरदायित्व समाप्त हो गया।

विरोधी दल के एक माननीय सदस्य को कहीं से एक फोटोस्टैट पत्र मिल गया है। उसमें इस बात का उल्लेख बताया जाता है कि श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने 1955 में कहा था, "कारखाने में धन लगाईये"। 1955 में मेरा वित्त विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं था। वास्तव में मेरे पास कोई कारखाना लगाने के लिए धन नहीं है। इस दल ने जिस व्यक्ति को वित्त मंत्री के पद के लिए चुना है, वह व्यक्ति दल की महान् परम्पराओं से दूर हटने की कोई बात नहीं करेगा। पिछली बार जब मैंने पद त्याग किया था तो इस लिए नहीं किया था कि मेरा उन घटनाओं के साथ कोई सम्बन्ध था बल्कि मेरा विचार यह था कि इस दल की महान् परम्पराओं को कायम रहना चाहिये और इस प्रयोजन के लिए मैं फिर पद त्याग करने को तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को उस पर 15 अक्तूबर, 1965 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ/*The Motion was negatived*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स० मो० बनर्जी का संशोधन अवरुद्ध है।

प्रश्न यह है :

"कि प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी कतिपय विधियों में आगे संशोधन करने वाले, स्वेच्छा से आय प्रकट करने, भारत में आयात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर सीमाशुल्क बढ़ाने अथवा उसमें रूपभेद करने और कुछ ऐसी वस्तुओं पर, जिनका भारत में उत्पादन अथवा निर्माण किया जाता है, उत्पादन-शुल्क बढ़ाने अथवा उसमें रूपभेद करने और उत्पादन-शुल्क लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted*

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खंडवार चर्चा आरम्भ होगी। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted*

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया/Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 (धारा 10 का संशोधन)

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन यह है कि पंक्तियां 7 से 20 हटा दी जायें और उस के स्थान पर संशोधन में दिये शब्द रखे जायें :

खण्ड 3 के समूचे उप-खण्ड (क) का सम्बन्ध सेवा-निवृत्ति वेतन के राशिकृत मूल्यों को कर से छूट देने के सम्बन्ध में संदेह दूर करने से है। मेरी आपत्ति उस सिद्धांत के सम्बन्ध में नहीं है कि सेवा-निवृत्ति वेतन के राशिकृत मूल्यों पर कर से छूट दी जानी चाहिये। मुझे इस बात का कोई कारण दिखाई नहीं देता कि इस सन्देह को दूर करने का प्रयास करते हुये, खण्ड 3(क) को मद (दो) द्वारा कर से छूट की सीमा के महत्व को कम कर दिया जाय।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : विधेयक के मूल खण्ड का उद्देश्य निवृत्ति वेतन के राशिकृत मूल्य में रियायत देना है। माननीय सदस्य इस रियायत को और व्यापक बनाना चाहते है। मैं इस के लिए तैयार नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ/
Amendment No. 5 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted*

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया/*Clause 3 was added to the bill*

खण्ड 4 तथा 5 विधेयक में जोड़ दिये गये/*Clauses 4 and 5 were added to the bill*

उपाध्यक्ष महोदय : डा०. सिंघवी का संशोधन संख्या 6 विधेयक के क्षेत्र से बाहर है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्रीमान्, यह संशोधन इस सभा के नियमों के क्षेत्र से बाहर नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करुंगा कि आप इस पर नियम 83 की दृष्टि से विचार करें। इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किये जाने वाले नये खण्ड अथवा संशोधन चुनने का अधिकार होगा।

परन्तु क्योंकि यह मामला गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक में उठाया जा रहा है, इस लिये मैं इस प्रक्रम पर संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

ऐसा ही एक संशोधन स्वीकार किया गया था जब कि इस वर्ष प्रथम वित्त विधेयक प्रस्तुत किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आप आयकर अधिनियम की धारा 23 में संशोधन चाहते हैं, जिस में इस अधिनियम द्वारा संशोधन नहीं हो रहा है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 से 8 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted*

खण्ड 6 से 8 विधेयक में जोड़ दिये गये/*Clauses 6 to 8 were added to the bill*

खण्ड 9 (धारा 88 का संशोधन)

श्री नारायण दांडेकर]: मैं इस समूचे खण्ड का विरोध करता हूं। यह एक विचित्र प्रस्ताव है जिसे स्वीकार करने के लिए हमसे कहा जा रहा है अर्थात् क्योंकि यह देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इस लिए,

धार्मिक प्रयोजन धर्मार्थ प्रयोजन नहीं है। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसका भौतिक मूल्यों के स्थान पर आध्यात्मक मूल्यों में अधिक विश्वास है। यद्यपि हमारा राज्य विभिन्न धर्मों में भेदभाव नहीं करता है तथापि हम धर्म विरोधी नहीं हैं। यह खण्ड संविधान की भावना, हमारे लोगों के स्वभाव तथा चरित्र की और इतिहास की उपेक्षा तथा उल्लंघन करता है। मेरे विचार में यह खतरनाक है। इससे ऐसा दिखाई देता है कि किसी का कुछ ऐसी बात करना, जिसका धर्म से कुछ भी सम्बन्ध हो, लोक-नैतिकता के विरुद्ध है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह खण्ड विधेयक से बिल्कुल निकाल दिया जाये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्री दांडेकर ने जो कुछ कहा है, मैं उसका बलपूर्वक समर्थन करता हूं। मेरा विचार है कि इस खण्ड द्वारा लोगों के सारवान अधिकारों का 'धर्मार्थ उद्देश्य' के अर्थ में, जिसमें सार्वजनिक धार्मिक उद्देश्यों को सदैव शामिल किया जाता रहा है, हनन होता है। यदि इस खण्ड को उस रुप में पारित कर दिया जाये जिसमें वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया है, तो मैं समझता हूं कि यह हमारे द्वारा मान्य कानून तथा परम्परा की स्थिति के अनुकूल नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रस्ताव करुंगा कि वह इस खण्ड पर विशेष रूप से पुनः विचार करें।

Shri Bade (Khargone) : I request the Minister of finance to reconsider this clause. Everyone in India gives foremost importance to religion and gives donations in the name of religion.

It has been given in the clause that "charitable purpose' does not include any purpose, the whole or substantially whole of which is for a religious nature". What does he mean by 'religious nature'? Is running the educational institutions not religious ? Teaching, opening hospitals and serving the people are all deemed religious.

It is also not clear what does, "the whole or substantially whole" mean. Provision should be made to exclude the institutions run by Hindus, Muslims, Sikhs or Parsis from the operation of this clause.

डा० मा० श्री० अणे : मैं अपने धार्मिक जीवन पर इस अतिक्रमण का कड़ा विरोध करता हूं। धर्मार्थ उद्देश्य और धार्मिक उद्देश्य के बीच भेदभाव करना सम्भव नहीं है। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री ने ऐसा किस आधार पर किया है। अधिकांश दान धार्मिक विचारों पर निर्भर करता है।

भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है परन्तु धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा कहीं नहीं की गई हैं। संविधान में कहीं भी शब्द 'धर्मनिरपेक्षता' का प्रयोग नहीं किया गया है। हमने धर्मनिरपेक्ष शब्द की परिभाषा की है और राष्ट्रपति जी ने भी की है। परिभाषा यह है कि यह सभी धर्मों का समान आदर करता है।

इन परिस्थितियों में मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें। ऐसे खण्ड को विधेयक का अंग नहीं बनने देना चाहिये।

श्री हेडा (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अब समय आ गया है कि हम धर्मार्थ प्रयोजन तथा धार्मिक प्रयोजन में भेदभाव करें। इस खण्ड में कोई धार्मिक क्रिया बन्द नहीं होती है। इस में मतभेद यह किया गया है कि इस के अन्तर्गत लाभ और सुविधायें केवल उसी धर्म के मानने वालों को न मिलें। धर्म के व्यापक रूप में अर्थ किये जाते हैं परन्तु जब क्रियान्विती का समय आता है तो वास्तविक भेद का पता लगता है।

यदि कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर सारी मानवता की सेवा करने का प्रयत्न करता है तो यह क्रिया 'पूर्त्त' के अन्तर्गत आयेगी। हमें किसी विशेष धर्म का नाम लेने की क्या आवश्यकता है। जब हम न्यासों की जांच करते हैं तो पता चलता है कि धर्म के नाम पर प्राप्त की गई राशि राजनीति में भी लगाई जाती है। इस दृष्टि से मैं यह कहूंगा कि यह उपबन्ध शीघ्रता से नहीं बल्कि देर से किया जा रहा है।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं। मेरे विचार में यह हमारे संविधान की भावना के विरुद्ध है कि न्यायालय इस बात का निर्णय करें कि क्या यह संविधान के असंगत है। हमारे संविधान का धर्मनिरपेक्ष तथा धर्म-विरोधी कोई स्वरूप ही नहीं है। हमारे संविधान में कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं है, न ही कोई धर्म-विरोधी बात है। यदि आप संविधान पढ़ें तो पता लगेगा कि यह संविधान धर्म-समर्थक है, धर्म विरोधी नहीं।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए

SHRI KHADILKAR *in the Chair*]

शब्द 'धर्मनिरपेक्ष' का इतना दुरुपयोग हो रहा है कि मैं चाहता हूं कि इसे अपने शब्द-कोष से निकाल दिया जाये। गांधीजी धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। गांधीजी का सभी धर्मों के एक समान मान्य होने में विश्वास था।

अपने संविधान को धर्मनिरपेक्ष कहना उसका अपमान है। इसी कारण हम इस खण्ड का विरोध करते हैं और हम उन लोगों का, जो इस देश में धर्म के विरोधी है, भण्डा फोड़े बिना इसे पारित नहीं होने देंगे।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Secular movement was first started in England in 1846. Then the meaning of secular was considered to be non-religious. All the books by Holy Oak, the founder of this movement, were burnt.

In the Constituent Assembly Dr. Ambedkar, while moving Articles 25 to 28 of the Constitution, said that our Constitution was secular.

It has been pointed out that we have no right to enact this law. It has been stated in Article 28(1) : "No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds."

Education in France, Australia and America is secular.

Our Constitution provides for a secular State. But it does not mean that India is irreligious State. Secularism means that in so far as administration is concerned, there should not be any discrimination on the basis of caste and religion.

Shri Yashpal Singh : The word "Secular" is meaningless. This word means that there is no need for any religion. If there is no need for any religion then a blackmarketeer or a person who sells adulterated milk does not do anything bad. Therefore, I submit that the word "Dharmnirapeksh" should be substituted by the word "dharmsapeksh".

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस खण्ड द्वारा किसी व्यक्ति पर धर्म के काम के लिये कुछ धन देने के लिये रोक नहीं लगती। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार धन दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति यज्ञ करवा चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। और कोई उसे ऐसा करने से नहीं रोकेगा। यह धारा इस दृष्टिकोण से रखी गई है कि कोई व्यक्ति अपने घर में निजी मन्दिर न बनाये और यह न कहे कि "मैं ने मन्दिर बनाया है इसलिये धन का यह अंश करमुक्त होना चाहिये।" निजी मन्दिरों पर यह छूट नहीं दी जा सकती। करों में छूट दिये जाने के लिये गिरजे, मन्दिर, गुरुद्वारें तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान महत्वपूर्ण होने चाहिये। पिछले वित्त विधेयक में इस बारे में उपबन्ध किया गया था। इसके अलावा अधिनियम की धारा 11 तथा 12 के अन्तर्गत धर्म के कार्य अथवा सम्पत्ति से हुई आय पर कर नहीं लगाया जा सकता। परन्तु यदि कोई व्यक्ति लोकप्रिय होने के लिये धार्मिक समारोह करता है अथवा निजी मन्दिर बनाता है तो सरकार से यह नहीं कहा जा सकता कि कर में छूट दी जाये। इस लिये इस विशेष खण्ड को नहीं हटाया जा सकता। इस खण्ड के अन्तर्गत लोग धर्म के नाम पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ/*The Lok Sabha divided*

पक्ष में 99; विपक्ष में 22/Ayes 99; Noes 22

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted*

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया/*Clause 9 was added to the Bill*

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 10 से 18 एक साथ प्रस्तुत करता हूं; इन पर कोई संशोधन नहीं हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान्, मैं खण्ड 10, 11 तथा 12 पर बोलूंगी। मैं ने अपने सामान्य भाषण में भी इन खण्डों के बारे में अपने विचार व्यक्त किये थे। मैंने राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों के बारे में कहा था। मैं माननीय वित्त मन्त्री से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि वह राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में रियायत देने के लिये एक पृथक विधेयक लायें। राष्ट्रीय बचत के 100 रुपये के प्रमाण-पत्र पर 12 वर्ष के बाद 65 रुपये का लाभ होगा। इससे ब्याज की दर 5.5 अथवा 5.75 प्रतिशत निकलती है। परन्तु यह ऐसा समय नहीं है कि हम इस पर आय-कर लगायें। बाज़ार में ब्याज की दर बहुत ऊंची है। लोग बैंकों से रुपया निकाल रहे हैं और यह रुपया कम्पनियों आदि में लगा रहे हैं। क्योंकि वहां ब्याज की दर 12 से 13 प्रतिशत है। वर्तमान विधान से वे लोग बहुत दुरुत्साहित होंगे जो अपना धन छोटी बचत में लगाते हैं। वे अपनी बचत को बैंकों से निकाल लेंगे।

दूसरे यह एक धन विनियोजन का साधन है जिसके बारे में बचत को बढ़ाने की दिशा में बहुत प्रयत्न करना होगा। यदि एक बार यह भावना बन गई कि यह ठीक नहीं है तो इस प्रकार की बचत के लिये आकर्षण नहीं रहेगा। आयकर अधिनियम की धारा 12 को, जहां तक उसका राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों पर ब्याज की राशि से सम्बन्ध हैं, हटा दिया जाये।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : कर-योग्य प्रमाण-पत्र जारी करने में कोई दोष नहीं हैं क्योंकि इससे लोगों को यह विकल्प मिल जाता हैं कि वे कर-योग्य अथवा कर-मुक्त प्रमाण-पत्र खरीदें। मेरे विचार में माननीय सदस्या ने यह बात ठीक से नहीं समझी है। इस विशेष उपबन्ध से ऐसे लोगों को लाभ होता है जो प्रमाण-पत्र खरीदते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 से 18 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted*

खण्ड 10 से 18 विधेयक में जोड़ दिये गये/*Clauses 10 to 18 were added to the Bill*

खण्ड 19 (1953 के अधिनियम 34 का संशोधन) :

श्री कर्णी सिंहजी : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह संशोधन नियमानुकुल नहीं है। आप इस खण्ड के बारे में बोल सकते हैं।

श्री नारायण दांडेकर : प्रथम वित्त विधेयक पर भी यही प्रश्न उत्पन्न हुआ था। मैंने उस पर एक संशोधन रखा था और उसे इस कारण स्वीकार नहीं किया गया था कि उसका विधेयक के खण्ड से कोई सम्बन्ध नहीं था। अन्त में आपने यह विनिर्णय दिया था कि वह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु यदि संशोधन का विधेयक से कोई सम्बन्ध न हो तो उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह इस खण्ड के बारे में बोल सकते हैं।

श्री कर्णी सिंहजी : जब से पाकिस्तान द्वारा कच्छ पर अतिक्रमण किया गया, उस समय से मैं यह सोच रहा हूं कि मैं अपने इस प्रश्न को फिर दोहराऊं की सशस्त्र सेना की तरह पुलिस वालों को भी संपदा शुल्क से छूट दी जाये। सशस्त्र सेनाओं को सम्पदा शुल्क अधिनियम के उपबन्धों से 1958 में छूट दे दी गई थी। अब विधेयक में एक संशोधन किया जाना चाहिये जिससे पुलिस दल और सुरक्षा दल को, जो हमारी सीमाओं पर लड़ रहे हैं, सशस्त्र सेनाओं के बराबर माना जाये क्योंकि पुलिस और सेना बिल्कुल एक जैसी ही काम कर रही हैं। इन दोनों में भेदभाव करना ठीक नहीं होगा। आज प्रश्न यह है कि पुलिस दल और सशस्त्र सेनाओं को समान समझने की भावनाओं को प्रदर्शित किया जाये। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री स्वयं ही एक संशोधन प्रस्तुत करेंगे और बहादुर पुलिस कर्मचारियों की सेवाओं को मान्यता देंगे। श्रीमान्, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री नारायण दांडेकर : श्री कर्णी सिंहजी के प्रस्ताव के गुणों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह इस सभा के लिये एक महान कार्य है कि वह इस तथ्य को स्वीकार करे कि जब कोई सशस्त्र सैनिक अथवा पुलिस कर्मचारी अथवा अधिकारी अपनी सेवाओं के दौरान अपने प्राणों को आहुती देते हैं, तो उनसे सम्पदा-शुल्क न लिया जाये। कितनी ही पुलिस कर्मचारी अपना कर्त्तव्य निभाते समय कच्छ, पूर्वी-बंगाल सीमा, काश्मीर तथा अन्य स्थानों पर अपने जीवन का बलिदान दे चुके हैं। इन लोगों से हमें सम्पदा-शुल्क नहीं लेना चाहिये। जिस प्रकार सशस्त्र सैनिकों को इस कर में छट दी गई है, उसी प्रकार पुलिस कर्मचारियो को भी यह छूट दी जानी चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं एक सीमावर्ती निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं। हमारी सीमाओं की निरन्तर निगरानी रख कर हमारी पुलिस एक महान कार्य कर रही है। पुलिस दल को सम्पदा शुल्क से छूट देने के लिये यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिये। यह केवल शिष्टाचार की भावना ही नहीं बल्कि सौजन्य की भावना भी होगी। यदि उन्हें यह छूट दी जाये तो मुझे विश्वास है कि वे बहुत प्रसन्न होंगे और उन्हें यह पता लगेगा कि संसद में बैठने वाले उनके देश के लोग उनके कल्याण की ओर काफी ध्यान देते हैं। मैं श्री कर्णी सिंहजी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कपूर सिंह : इस खण्ड पर अपने विचार रखने से पूर्व मैं प्रो० शर्मा द्वारा कही गई गलत बात के बारे में कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि कोई बात यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कही गई हो, तो वह ठीक होती है। इस प्रकार तर्क देना बिल्कुल गलत है। मैं इस खण्डका विरोध करता हूं। इस खण्ड में तीन बड़े दोष हैं। यह असंवैधानिक और समाज-विरोधी हैं तथा इसमें धर्म की परिभाषा नहीं की गई है। मैं इन तीन कारणों से इस खण्ड का विरोध करता हूं।

श्री दाजी : म श्री कर्णी सिंहजी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं हुआ है।

श्री दाजी : राज्य के लिये यह एक अनैतिक बात है कि किसी मनुष्य को बन्दुक दे दी जाये और उसे सीमा की रक्षा के लिये भेजा जाये और जब वह मर जाये तो यह कहा जाये कि उससे सम्पदा शुल्क लिया जायेगा। यह बिल्कुल ही अनैतिक बात है। सरकार की यह नीति अ संविधानिक तथा भेदभाव-वाली है क्योंकि इससे सशस्त्र सेना तथा सशस्त्र पुलिस दल में भेदभाव किया गया है इसमें कोई तर्क नहीं है। जब सरकार ने एक बार यह स्वीकार कर लिया है कि कर्तव्य पालन करते हुये यदि किसी

सशस्त्र जवान की मृत्यु हो जाती है, उससे सम्पदा शुल्क नहीं लिया जायेगा तो देश की रक्षा करते हुये यदि किसी पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाय तो उससे सम्पदा शुल्क क्यों लिया जाये। क्या सरकार ऐसा करके एक न्यायपूर्ण तथा नैतिक कार्य कर रही है? मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस दिशा में सुधार करने के लिये आश्वासन देंगे।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं इस बात पर आग्रह करता हूं कि यह नियम बाह्य नहीं है, जैसा कि सरकारी पक्ष ने दावा किया है। खण्ड 19 विधेयक का अंग है और माननीय मित्र, श्री कर्णी सिंहजी केवल यही चाहते हैं कि इस विशेष खण्ड में पुलिस के लिए विमुक्ति शामिल की जाये।

जहां तक श्री कर्णी सिंहजी के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, इसे इस सभा का लगभग एकमत समर्थन मिला हुआ है और सरकार को इसे मान लेना चाहिये। यह प्रस्ताव राजस्व पर प्रभाव डालने की अपेक्षा सद्भावना से किया गया है। मुझे विश्वास है कि इस पर उसी भावना से विचार किया जायेगा जिस से प्रेरित होकर उसे प्रस्तुत किया गया है। आज हमारी पुलिस सीमाओं की रक्षा कर रही है। कम से कम इसी विचार से ही हमें यह सुझाव मान लेना चाहिये।

श्री मा० श्री० अणे : मैं माननीय मित्रों से अपील करता हूं कि वे श्री कर्णी सिंहजी के सुझाव का समर्थन करें। पुलिस के मन में यह विचार नहीं आना चाहिये कि सरकार उसके तथा सेना के बीच भेदभाव कर रही है, विशेष रूप से एक ऐसे समय पर जब कि वे देश के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य पर लगी हुई है।

श्रीमती रेणुका राय : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री कर्णी सिंहजी के सुझाव का बलपूर्वक समर्थन करती हूं। मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं जहां आये दिन सीमा दुर्घटनायें होती रहती हैं। आशा की जाती है कि इस सभा की भावना का आदर करते हुये पुलिस कर्मचारियों को सम्पदा-शुल्क से छूट दिय जाने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रीजी या तो इस विधेयक में या अलग संशोधन के रूप में यह उपबन्ध करेंगे।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह इस प्रकार नहीं किया जा सकता है परन्तु क्योंकि सभा ऐसा चाहती है, इसे लिए मैं इसे अगले वित्त विधेयक में लाने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted*

खण्ड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया/*Clause 19 was added to the Bill*

खण्ड 20 (1957 के 27वें अधिनियम का संशोधन)

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 8 और 9 प्रस्तुत करता हूं। यह दोनों छोटे संशोधन हैं। जिस विशेष उप-खण्ड में मैं संशोधन कराना चाहता हूं, उस का मुख्य उद्देश्य ऐसा है जिसे मैं पूर्णतया स्वीकार करता हूं। सिद्धान्त रूप में यह खण्ड बिल्कुल ठीक है परन्तु इसके अर्थ बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए मैं समझता हूं कि संशोधन की आवश्यकता है। मैं यह संशोधन चाहता हूं कि जब कोई कार्यवाही विचाराधीन हो तो पकड़े जाने के पश्चात राहत पाने के लिए उस व्यक्ति द्वारा बाद में दिये गये वक्तव्य या प्रस्तुत की गई दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य माना जाना चाहिये। इस प्रकार का संशोधन करने से प्रस्तावित उपबन्ध के उद्देश्य स्पष्ट हो जायेंगे। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इस से यह खण्ड बहुत ही व्यापक हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 8 तथा 9 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8 तथा 9 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए/
Amendment Nos. 8 and 9 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted*

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया/*Clause 20 was added to the Bill*

खण्ड 21 (1958 के 18वें अधिनियम का संशोधन)

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं उन संस्थाओं का नाम सूची में जोड़ने के लिए तैयार हूं जिनके नाम माननीय सदस्य बतायें परन्तु मैं माननीय सदस्य का सुझाव मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 10 सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ/
Amendment No. 10 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted*

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया/*Clause 21 was added to the Bill*

खण्ड 22 से 24 विधेयक में जोड़ दिये गये/*Clauses 22 to 24 were added to the Bill*

खण्ड 25 (1934 के 32वें अधिनियम का संशोधन)

श्री मी० रु० मसानी : मैं संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 12 तथा 13 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मी० रु० मसानी : मेरे संशोधन का अभिप्राय खण्ड 25 के उप-खण्ड (क) को निकालना है।

जैसा कि इस चर्चा के आरम्भ में हमारे दल के नेता ने कहा है, अनुपूरक आयव्ययक तथा प्रस्तावित करारोपण सम्बन्धी प्रस्तावों के औचित्य को सिद्ध करने के पक्ष में कुछ नहीं कहा गया है। यह ठीक है कि बाजार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है तथा पूंजी विनियोजन रुक गया है परन्तु क्या इस का समाधान यही है। इस के विपरीत, इस विधेयक से देश की तथा पूंजी बाजार की स्थिति और भी खराब हो जायेगी।

इस विधेयक के कारण अतिरिक्त व्यय बढ़ेगा। इस विधेयक के उपबन्धों को लागू करने से ही देश को और 35 लाख रुपये का व्यय करना पड़ेगा। उद्देश्य तथा कारणों सम्बन्धी विवरण तथा विधेयक के साथ संलग्न वित्तीय ज्ञापन से पता लगता है कि निर्यात शुल्कों तथा उत्पादन शुल्कों में वृद्धि के कारण अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। इस प्रकार फजूल खर्ची की जा रही है।

वित्त मंत्री अच्छे अथवा बुरे आयव्ययक द्वारा मूल्य स्थिर रख सकते हैं अथवा मुद्रास्फीति पैदा कर सकते हैं। यदि पिछली फरवरी से मूल्य बढ़े हैं तो उसकी समूची जिम्मेवारी वित्त मंत्री तथा सरकार के ऊपर है जिसने फरवरी में आयव्ययक प्रस्तुत किया था और जिसके सम्बन्ध में हम ने यह चेतावनी दी थी कि यह बहुत ही मुद्रास्फीति वाला आयव्ययक है और इस आयव्ययक के सम्बन्ध में भी हमारा आरोप यह है कि यह भी जान बूझ कर मुद्रास्फीति करने वाला आयव्ययक है। इसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को मालूम होना चाहिये कि इस से मूल्यों में वृद्धि होगी।

इस वित्त विधेयक में दो बुराईयां हैं। विशेष रूप से आयात शुल्क में। इस से मूल्य बढ़ेंगे। यह पहले ही हो चुका है। कई उद्योगों में व्यय बढ़ जायेगा। उच्चतर आयात शुल्क के कारण औद्योगिक कच्चे माल पर अधिक लागत होगी। विशेष रूप से ऐसा तेल, भट्टी के तेल, डीज़ल, पैट्रोलियम, लोहे तथा इस्पात के सम्बन्ध में होगा।

आयातित कच्चे माल पर उच्चतर शुल्क के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि होगी। पैट्रोलियम तथा डीज़ल पर व्यय में वृद्धि के कारण यातायात पर व्यय में वृद्धि होगी। खाद्यान्नों के मूल्यों में भी वृद्धि होगी। मैं वित्त मंत्री तथा इस सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि उन्होंने आयात शुल्क तथा उत्पादन शुल्क द्वारा परिवहन के मूल्यों में वृद्धि की है और इसके परिणाम-स्वरूप बाज़ार में लाये जाने वाले खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की है। मूल्यों में वृद्धि तथा उत्पादन में रुकावट हमारी राष्ट्रीय बचत को समाप्त कर देगी। मैं इसे राष्ट्र-विरोधी तथा देश की प्रगति के विरुद्ध समझता हूं। इसी लिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किये हैं।

श्री नारायण दांडेकर : मैंने संशोधन संख्या 12 तथा 13 इस लिए प्रस्तुत किये हैं क्योंकि मुझे इस बात की कोई आशा नहीं है कि श्री मसानी के अधिक महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकार कर लिया जायेगा। खण्ड 25 और 26 वास्तव में विधेयक के विषैले अंग हैं। मैं संशोधन संख्या 12 द्वारा यह चाहता हूं कि शुल्क दर वही हों जो कि प्रशुल्क अनुसूची में वित्त अधिनियम संख्या 2 द्वारा संशोधन किये जाने से तुरन्त पहले लागू थे। दूसरे संशोधन संख्या 13 का उद्देश्य यह है कि यदि नये उत्पादन शुल्क की दर में काफी हद तक वृद्धि की जानी है, तो 10 प्रतिशत का विनियमन शुल्क, जो उस वर्ष 17 फरवरी को चपचाप प्रस्तुत किया गया था, हटा दिया जाये।

तथाकथित विनियमन दर रुपया बचाने के उद्देश्य से नहीं लगाये गये थे बल्कि इस लिए लगाये गये थे कि वित्त मंत्री बचत वाला आयव्ययक प्रस्तुत कर सकें। यह विनियमन दर हट जाने चाहियें।

श्री बड़े : मैं श्री मसानी का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बड़े अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 1 सितम्बर, 1965/10 भाद्र, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, September 1, 1965/Bhadra 10, 1887 (Saka).

भा० स० मु० ना०---वि० २---२४ लोक सभा/६५---१२-४-६६---६००